

जर्मनी का विकास

दूसरा भाग

लेखक

सूर्यकुमार चर्चा

१९१९

श्रीबहुमीनारायण प्रेस ब्रनारस में मुद्रित ।

मूल्य ?

विषय-सूची ।

(दूरास भाग)

तेरहवाँ अध्याय—छोटे पैमाने पर खेती का काम	१
चौदहवाँ „ —कृषि कार्य और मजदूरों का प्रभ	१३
पढ़हवाँ „ —को अपरेशन अर्थात् परस्पर सहयोगिता .	३८
सोलहवाँ „ —प्रजा की वृद्धि और शिशु रक्षा	५९
सत्रहवाँ „ —राष्ट्र का विस्तार	८०
अठारहवाँ „ —उपनिवेश	१०९
उम्मीदवाँ „ —उपनिवेशों का नया युग	१२३
बीसवाँ „ —साम्राज्य की त्वर्च	१३९
इकोसवाँ „ —साम्राज्य की अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति	१५०
बाईसवाँ „ —सोशियालिज्म के भावी चिन्ह	१७४
तेझेमवाँ „ —पोलिंग लोगों का प्रभ	१९३

जर्मनी का विकास ।

दूसरा भाग ।

तेरहवाँ अध्याय ।

छोटे पैमाने पर खेती का काम ।

झुश्कों का जीवन सुखमय हो और दूसरों को जमीन का लगान देकर खेती द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले लोगों का कल्याण हो, ऐसी सदिच्छा रखनेवाले किसने ही लोगों का मत है कि जर्मनी में बहुत से खेत ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा विस्तार है। इस कारण थोड़ी सी खेती करनेवालों को छोटे छोटे खेत न मिलने से, देश को हानि उठनी पड़ती है और इसी कारण कृषिप्रधान प्रातों से शहरों की ओर मनुष्यों के जाने का जो स्रोत बढ़ रहा है उसके रोकने के लिये और खेती, का काम करनेवालों को मजदूरों का टोटा न हो, यह आवश्यक है कि खेतों का विस्तार मर्यादित कर के, उन्हें किसानों अथवा खेती का काम करनेवाले मजदूरों को देने से, उनका अधिक संयोग किया जा सके।

अब तक साधारण तौर पर यह विचार था कि प्रशिया के उत्तर और पूर्व भाग की बड़ी बड़ी इस्टेंटों को नष्ट करके उनकी जगह छोटी छोटी इस्टेंटें (जर्मीदारिया) यदि बनाई जाय तो खेती को बहुत बढ़ी हानि पहुँचेगी । बड़े बड़े पहोसी जर्मीदारों के कारण छोटे छोटे जर्मीदारों पर एक प्रकार रा जो नैतिक प्रभाव है वह जाता रहेगा । अतएव कृपि का काम प्राय नष्ट हो जायगा और स्थानिक स्पराउय को बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा । ये विचार बड़े बड़े जर्मीदारों में बहुत हृष्ट थ, परतु आनंद की बात इतनी ही थी कि सरकार को ये विचार बहुत कुछ नापसद थे । तौर्भा पहले की यह स्थिति अब बदल गई है । बड़ी बड़ी इस्टेंटों (जर्मीदारियों) को विशेष उत्तेजना देने से उन जर्मीदारियों के मालिकों को सापत्तिक लाभ होता है और राजनैतिक हृष्टि से उनका प्रभाव बढ़कर उनके हाथ में राजकीय अधिकार अधिक रहते हैं, यह बात देश के लिये कुछ विशेष लाभदायक ही नहीं बरन् कुछ हानिकारक भी है, यह अब लोग समझने लगे हैं । कृपि पर यदि कदाचित कोई आपत्ति आ पड़े तो छोटे छोटे किसान एकाएक डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि उनका व्यापार अधिक न होने के कारण वे स्वत के परिश्रम से अपना बचाव किसी न किसी तरह कर लेते हैं । परतु बड़े बड़े किसान या जर्मीदार परावलबी होने के कारण, सकट पड़ने पर घबरा जाते हैं और उन्हें अपना बचाव करना कठिन हो जाता है । अतएव छोटी छोटी जर्मीदारियों की सख्त बढ़ाने की ओर सरकार का ध्यान

गया है। इस समय बढ़ी बढ़ी जर्मींदारियों का जो पहा भारी है उसी प्रकार दूसरी ओर का पहा भी भारी करना। बहुत आवश्यक है। ऐसा करेना सरकार को न्यायानुरूप जान पड़ता है, तो भी, पुरानी और मर्यादा से अधिक बढ़ी हुई जर्मींदारियों को हानि न पहुँचाते हुए छोटी छाटी नई जर्मींदारिया कायम हो जाय, यह महत्व का प्रश्न सरकार के सामने आ उपस्थित हुआ है। वर्तमान समय में मजदूरा को जो कठिनाई आ उपस्थित हुई है, उसे दूर करने के लिये छाटी छोटी जर्मींदारियों की जितनी सख्त बढ़ाई जा सकता हो अच्छा है, इस बात को अब बड़े बड़े जर्मींदार भी खोकार करने लगे हैं। परंतु इसमें कोई यह अनुमान न कर ले कि जर्मनी में अवशक छाटी ऊटी जर्मींदारिया थीं ही नहीं। धोड़ी सी जर्मनी पर ही असता जीवन-निर्वाह करनेवाले बहुत में लोग जर्मनी में पहुँचे ही से पाए जाते हैं। ऐसे किसानों की सख्त पश्चिम और मध्यभाग और इसी प्रकार बवेरिया और उत्तर समुद्र के सभी पर्याप्त प्रात में बहुत है। ये किसान अपने खेतों में अनाज न घोड़र पशुओं के खाने योग्य सब प्रकार का चारा ही बहुतायत से तैयार करते हैं। यह काम वे अपने घर के बाल बच्चों और स्त्रियों की सहायता से करते हैं, मजदूरों को अपने काम पर नहीं लगाते। इस काम से उन्हें अधिक लाभ होता है। इस कारण छोटे परिमाण पर खेती करने का काम बहुत बढ़ता जा रहा है, यह बात सरकारी कागज पत्रों को देखने से पाई जाता है।

जिन लोगों ने कृषि का मन लगा कर अध्ययन किया है उन लोगों का मत है कि छोटे प्रमाण पर खेती का जितना विस्तार जर्मनी में बढ़ता जायगा उतना ही कृषि का वहां उत्कर्ष होगा। यह उत्कर्ष किसी दूसरे उपाय से होना बड़ा कठिन है। प्रशिया के जिस विभाग में बड़े बड़े जर्मनीदार हैं उस भाग में आपत्काल के समय किसानों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। परतु छोटे छोटे किसान और उनमें भी खास करके वे जो अपनी थोड़ी सी जमीन में जानवरों के काम में आने योग्य चारा पैदा करते हैं—सकट के समय बहुत डगमगाते नहीं हैं, यह बात बहाँ सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। ह्राइनलैंड और वेस्टफालिया जैसे पश्चिमी प्रांतों में यह बात अच्छी तरह दिखाई पड़ती है। क्योंकि स्वतं की जर्मनीदारी अथवा लगान पर खेत ले कर छोटे प्रमाण पर खेती करनेवाले जितने लोग इन प्रांतों में हैं उतने अन्यत्र नहीं हैं। ह्राइनलैंड प्रात के कुछ भाग में तो यह हालत है कि कुल जमीन में से $\frac{1}{2}$ जमीन किसानों से कबूलियत लिखा कर पट्टे पर दी गई है। इन सेतों को जर्मनीदार लोग बड़ी प्रसन्नता से किसानों को देते हैं। बड़े बड़े शहरों के पास की जमीन तो वे लोग बड़ी सुशी से ले लेते हैं, क्योंकि शहरों में काम आनेवाली तरकारियां, फल, फूल आदि और साथ ही जानवरों के लिये चारा तैयार करके वे लोग बहुत अधिक लाभ उठा लेते हैं। वेस्टफालिया प्रात के आस पास पूर्व की ओर बहुत बड़े बड़े जर्मनीदार हैं, परतु उनकी सख्त थोड़ी है। छोटे छोटे जर्मनीदार ही वहां अधिक हैं। जमीन जोतने की चारों ओर चारी प्रचलित

पद्धतिया वहाँ दिखाई पड़ती हैं और सब प्रकार की फसलें भी वहाँ बोई, जाती हैं। जर्मनी में व्यवसाय वाणिज्य को किरनी भी उन्नति हुई तो भी जर्मांदारों और किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँची। इससे यह अनुमान करने में कुछ हजे नहीं है, कि बड़े पैमाने पर और साथही छोटे पैमाने पर एकही जगह रेती करने से एक दूसरे को परस्पर कोई हानि नहीं पहुँच सकती, एक से दूसरे का नाश होने की कोई सभावना नहीं है।

पूर्वी प्रशिया के “पोलिश” प्रात में जमीन का “सेटल-मेट”—बदोबस्त—करने के लिय बोख वर्ष पहले एक “लैंड कमीशन” बैठा था। उस कमीशन की रिपोर्ट में एक जगह लिखा है—“मजदूरों को एकत्रित करने का काम निश्चित रूप से न होने के कारण बड़ी बड़ी इस्टेटों (जर्मांदारियों) को बहुत कुछ सकट भोगने पड़े हैं। आज कल इतमीनान के साथ छोटी और मध्यम दर्जे की अर्थात् २५ से ५० एकड़ तक के खेतों में खेती करना ही सभव है। खेती का काम करनेवाले मजदूरों का टोटा पड़ने से भी खत के मालिकों को हानि नहीं उठानी पड़ती। उनकी जमीन से पैदा होने योग्य अनाज बहुत कर के जानवरों क खाने के काम में आता है। इस कारण अनाज का भाव कितना ही गिर जाय तो भी उन्हे उससे प्रत्यक्ष कोई विशेष हानि नहीं होती। जानवरों का पालन पोषण करनेवाले लोग गोबर का खाद और दूध, दही भी, आदि तैयार कर के अपनी हानि, यदि कुछ हो तो, पूरी कर लेते हैं। जानवरों की देख रेख का काम वे स्वतः

करते हैं। इसके लिये उन्हें कुछ विशेष खर्च भी नहीं करना पड़ता। बड़े जमीदारों का जानवरों से इतना लाभ उठाते नहीं बनता। क्योंकि उनके खेतों की दशा मर्यादित न होने के कारण वे अपने खेतों की निगरानी स्वयं नहीं कर सकते। वे अपना काम नौकरों द्वारा करते हैं, इस कारण उन्हें खर्च भी अधिक पड़ता है। बड़े बड़े जमीदारों ने अपने खेतों में जो सुधार किए हैं वे ही सुधार छोटे जमीदारों ने भी किए हैं। बड़े यत्रों का व्यवहार करते हैं वैसे ही यत्रों का छोटे छोटे जमीदार भी व्यवहार करने लगे हैं। जिस प्रकार वे अपने खेतों में खाद डालते हैं उसी प्रकार ये भी डालते हैं। सहकारी समितियों द्वारा छोटे छोटे जमीदारों को थोड़े व्याज पर कर्जा मिलने में भी कोई रुकावट नहीं होती। इसी प्रकार खती की पैदावार व अन्य प्रकार का माल घेचने और खेती के उपयोगी सामान को खरीदने में उन्हें इन समितियों द्वारा बहुत सहायता पहुँचती है। इन सब कारणों से बड़े बड़े जमीदारों की अपेक्षा उन्हें अपनी जमीन के लिये अधिक दाम देना नहीं अखरता।

मर्यादित विस्तार के नए खेतों को निर्माण करने के लिये आज कल जो बड़े खेत हैं, उन्हीं की काट छाट करनी चाहिए। परतु ऐसा करने में यदि कोई रुकावट है तो लोगों का हठ है। पूर्वी प्रशिया के बड़े बड़े जमीदार अपनी दारिद्र कहानी सदा कहा करते हैं। आवश्यकता से अधिक खेतों का विस्तार होने के कारण, वे अधिक परिश्रम करने में असमर्थ हैं और इसीसे वे हीनावस्था को पहुँच गए हैं परतु अपनी जमीन के ढुकड़े कर के किसानों को दे कर स्वत

लाभ उठाना और दूसरों को लाभ उठाने, देने की यदि चर्चा
उनसे की जाय तो उनके प्राण ही निकल जाते हैं और मरत
दम तक वे इस बात को स्वीकार नहीं करते । यदि
वडे वडे खेतों के छोटे छोटे खेत बनाने की युक्ति किसी
ने समझाई भी तो यथाशक्ति उस युक्ति का खड़न करने
में वे अपनी सारों शक्ति लगा देने को तैयार हो जाते हैं ।
पहले भाग के अंतिम अध्याय में अमेरिंयन लीग का उल्लेख किया
जा चुका है । सन १९०७ में इस लीग ने अपनी यह आकाश्चाप
प्रगट की थी—“सरकारी आज्ञा के विना निज के तौर पर काई
अपनी इस्टेट (जर्मींदारी, के विभाग न कर)” और यदि इसी बाक्य
को इस प्रकार कहा जाय तो ठीक होगा कि एक के अधिकार
की जगीन को दूसरे के अधिकार में देन की आवश्यकता आ
पड़े तो विना स्थानिक अथवा प्रातिक अदालतों और “मिनिस्टर
आफ एप्रीकलचर” की निगरानी में “स्टेट वार्ड आफ कलिटवे
शन” की मजूमी विना, यह काम न हो सके । सरकार को
हाजि पहुँचे यह हमारी इच्छा नहीं, परतु खती के लोभ क
लिये यदि सरकार लाखों रुपया खर्च करन को तैयार होगी तो
उसके हाथ से राष्ट्र का बहुत बढ़ा कार्य भवादन हो सकेगा ।

- वशपरपरा अथवा दान विक्रय के रूप की इस्टेटों को बहाँ
“एनटेल” (Entail) कहते हैं । एनटेल के कठिन कानून
द्वारा बही इस्टेटों के मालिकों का सरक्षण पहल होता था ।
परतु अब इस कानून का लाभ और भी बहुत से जर्मींदारों
को मिलने लगा है । परतु इतने-से ही लीग के कथना-
कुसार विशेष व्यवस्था करने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं

पढ़ता । प्रशिया में एनटेल नाम की रियासतें बहुत हैं । पञ्चीस हजार एकड़ से ले कर दस लाख एकड़ तक जमीन रखनेवाले प्रचड़ जमींदार उस प्रात में पाए जाते हैं और उन सबों को इस कानून से लाभ पहुँचता है । बहुत से लोगों का यह मत है कि छोटी छोटी जमींदारियों के लिये भी यह कानून काम में लाया जाना चाहिए क्योंकि जिससे एक को लाभ होता है उसीसे दूसरे को लाभ प्राप्त होने लगेगा । बवेरिया में एक बार इस कानून का प्रयोग किया गया था परन्तु उससे वहाँ कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । -

सन् १८९० व १८९१ में कुछ कानून प्रशिया में पास किए गए और उनके आधार पर छोटे छोटे नए खेतों को बनाया जा कर किसानों को देने का कार्य आरंभ किया गया । इन कानूनों के अनुसार बड़ी बड़ी जमींदारिया सरकार पहले तो खरीद लेती है पश्चात् छोटे छोटे खेतों को बना कर उन्हें पुनः किसानों को दे देती है । इन खेतों के बदले में 'किसानों को रुपया देना पड़ता है । इस लगान का कुछ भाग घरौर मालगुजारी के देना पड़ता है जो कभी माफ नहीं होती और कुछ भाग जमीन की कीमत के बदले में लिया जाता है । जमीन की कीमत किश्तों द्वारा साढ़े छप्पन वर्ष में वसूल की जाती है । इस व्यवस्था से किसान लोग सदा सरकार की दृष्टि के सामने रहते हैं, और जमीन से उनका बहुत दिनों तक सबध बना रहता है । सरकार से जो जमीन ली जाती है, उसे न तो उसका मालिक बैंच सकता है और न रेहन रख सकता है । यह सब देखने का काम सरकार

ने “जनरल कमीशन” और “रेट बैंक्स” के स्वाधीन कर दिया है। खेतों के पास यदि मकान बनाना हो तो किसानों को बैंक से हपया कर्ज दिला दिया जाता है और इस प्रकार सरकार और किसानों के बीच साहूकारी का सघध हो जाता है। इस सघध से किसान लोग बहुत सुखी रहते हैं। निजी साहूकार के पास जमीन रेहन रखने से उतनी सहृदियते रेहन रखनेवाले को नहीं मिलती जिनती सरकार से मिलती हैं।

सन् १९०५ के अत तक प्रशियन राज्य में ११ प्रातिक सरकारों ने कुल १,३१५ जर्मनीदारिया खरीदीं। इन जर्मनी-दारियों में कुल ६,७२,६८२ एकड़ जमीन थी। सबा छ एकड़ से लेकर साढ़े बासठ एकड़ तक के दुकड़े करके भिन्न भिन्न किसानों को बांट दिए गए। इन खेतों को सरीद करने वाले किसान उन्हें न बेच सकें, इस बात का उचित प्रबंध सरकार ने कर दिया है। इस कारण जमीन रेहन रख कर मन माना कर्ज लेने का मार्ग सरकार ने रोक दिया है। इस नियम के कारण मालिकों के मरने के पश्चात् यदि उनकी विधवा अथवा नाते रिश्ते के लोग जमीन का कुछ भाग बेचना चाहे अथवा और किसी प्रकार से किसी को देना चाहें तो उन्हें इस काम के लिये जनरल कमीशन की आज्ञा लेनी पड़ती है।

कृषि के अभिमानी लोगों को सरकार ने बहुत सहायता पहुँचाई परंतु इस पद्धति से मजदूरों को खेत ले देने की ओर जितना ध्यान सरकार का जाना चाहिए या नहीं गया। प्रशियन सरकार ने इस ओर अवश्य ध्यान दिया है और चर्तमान कृषि विभाग के मन्त्री भी इसके अनुकूल हैं। जनवरी

सन् १९०७ में कृषि विभाग के मन्त्री ने एक आज्ञा प्रकाशित की थी, जिसमें लिखा था कि “जिन शर्तों पर किसानों को जमीन दी जा रही है उन्हीं शर्तों पर खेती का काम करनेवाले अथवा कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को भी जमीन दिए जाने की व्यवस्था की गई है।” इस आज्ञानुसार बहुत से मजदूरों को सरकार ने अपने धन से जमीन-खरीद दी है। जमीन की कीमत का बोझा जमीन पर ढाल कर सरकार ने घारह से पद्रह वर्ष में उसे वसूल कर लेने का निश्चय कर लिया है। पश्चात् मालगुजारी के तौर पर सरकार हर साल रुपया वसूल करती रहती है। मालगुजारी का रूपया वक्त पर अदा करने के लिये सरकार मजदूरों से जमानत भी लेती है। इस प्रकार मजदूर लोग जमीन के बधन में फँप कर फिर इधर उधर भाग जाने का साहस नहीं करते। यह जमीन इनको बहुत थोड़ी दी जाती है। सब से छोटा खेत का टुकड़ा एक तिहाई एकड़ तक का होता है। इतना छोटा खेत रखने का कारण यह है कि वे अपने खेत में ही मेहनत करके अपने बाल बच्चों के पालन पोषण योग्य अनाज पैदा कर लें और उन्हें दूसरे किसानों के पास मजदूरी के लिये न जाना पड़े। परंतु जिस कठिनाई को दूर करने के लिये यह योजना की गई है वह कठिनाई ज्यों की त्यों बनी ही रहेगी। क्योंकि कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को जमीन देने पर जो मुख्य बात देखने की है वह यह है कि कारखानों में उन्हें साल भर बराबर काम मिलता रहेगा अथवा नहीं। यदि ऐसा हुआ तो वे एक जगह काम में लगे रह कर हल्ल फावड़े में स्वत अपने को अथवा अपने

बाल बच्चों को छिगाकर खेती का काम करते रहेंगे अथवा नहीं।

ऊपर जिस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है उसे आरभ में सरकार को ही करना पड़ा। अब सरकार ने उसमें से अपना हाथ निकाल लेना आरभ कर दिया है। लेड वैक, कोआपरेटिव, सोसाइटा और यूनियनों के समुद्र अब यह काम किया गया है और कानून के अनुसार, इस काम सबधी सार अधिकार सरकार ने इन संस्थाओं के समुद्र कर दिए हैं। किसी कठिनाई के उपस्थिति, होने पर सरकार धन द्वारा भा इन संस्थाओं को इस कार्य के लिय सहायता पहुचाती है।

सरकार से प्राप्त हुई जमीन पर घर बार बनान की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। इस काम में केवल शर्त इतनी ही है कि ८५ से ९० फो सदी जमीन खेती के काम के लिये साली रखनी चाहिए। बाकी जमीन पर एकमजिला चाहे दुमजिला रहने के लिय घर अथवा खेती के काम में आने योग्य इमारत बना लेने में कुछ इर्ज नहीं है।

इस योजना के विरुद्ध खेतों का काम करनवाल मजदूरों को यह उम्र है कि इतना छोटा खेत देने स बहुत हुआ तो हमें तरकारी भाजी अथवा भेंड का दूध पाने को मिलेगा अतएव खेती में परिश्रम करने स हमें लाभ क्या ? सरकार ने एक तिहाई एकड़ के छोटे छोटे ढुँढ़े देकर हमारे ऊपर जो उपकार किया है, केवल उसी पर इमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हमें तो मजनूरन उदर निर्वाहार्थ दूसरों के खेत पर मजदूरी करने के लिय जाना ही पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास पेट भरने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।

चौदहवाँ अध्या

कृषिकार्य और मजदूरों

सन् १९०० ईस्वी की मनुष्यगण

साम्राज्य में कुल ५,६३,६७,१
से ८,२३,५९७ लोग विदेशी थे, अर्था
लोग काम करते थे, परतु सन् १८८५
भनुसार ४,९४,२८,००० मनुष्य थे,
विदेशी थे, अर्थात् ०.८७ फी सदी विदे
थे। कृषिप्रधान प्रातों में गर्मियों के दि
करने के लिये तीन लाख मजदूर विदेश
लोग एक जगह न रह कर काम की रु
करते हैं। अकेले प्रशिया में सन् १९
५,२४,८७४ विदेशी मनुष्य आकर रहे
सख्या ३,६७,६७,२०२ है अतएव प्रति
सख्या १४ पाई जाती है। इन लोग
लाख मनुष्य आस्ट्रिया, हगरी और रूस
थे, जिनमें ८० फी सदी पुरुष थे। प्रौ
२०, ५, ८१८ मनुष्य विदेशी थे और
सख्या १, ५६, ९७० थी। इस से
है कि सन् १८८५ से १९०५ तक वीस
मनुष्यों में ५५ से लेकर १४१ तक प्रा
की आबादी बढ़ी।

कल कुछ वर्षों से देशी तथा और प्रकार के मजदूरों का प्राय अकाल सा पड़ गया है। इस कारण कुल देश में और खास कर प्रशिया में जेती के काम में कितनी कठिनाईया आकर उपस्थित हो गई हैं यह बात ऊपर जो अक दिए हैं, उन पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाती है। मजदूरों की कमी का प्रभ, वर्तमान समय में, जिस किसी के मुद्दे से सुनाई पढ़ता है। प्रशियन पार्लियामेंट में भी इस विषय पर बात चीत प्राय होती ही रहती है। आज कल दस पद्दट वर्ष से कृषिप्रधान प्रातों से मजदूरों के बाहर जाने का जो विलेक्षण स्रोत वह रहा है, इसका कारण क्या है यदि इसकी विवेचना की जाय तो प्रशिया की कृषि की अत स्थिति का स्वरूप सामने आ जायगा। थोड़ा सा विचार करने पर यथार्थ दशा का पता चल जायगा और उसे जान कर कुपि कार्य में सुधार चाहनेवालों के मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा।

पुरातन काल से आज तक जिन लोगों के भरोसे जेती का काम होता आया है, वे लोग अपना देश छोड़ कर बराबर अन्यत्र जा रहे हैं। पोलिश प्रात और प्रशिया के पीछे, उत्तर की ओर के निवासी, दूसरे शहरों में जाकर अपने छिये जीविका हूँडते हैं। इस कारण बड़े बड़े जमीदारों और छोट छोटे जमीदारों, दोनों को, बराबर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पोलिश प्रात से बार्लिन हाइन प्रात और बेटफालिया से हजारों लोग बाहर चले गए हमका पता सरकारी कागज पत्रों से पाया जाता है। जो

लोग विदेश जाते हैं उनमें बहुत से लोग खेती का ही व्यवसाय करनेवाले होते हैं। वे लोग खेती की ओर थाँख उठा कर भी देखना नहीं चाहते। उनकी रुचि अब उद्योग धर्षों की ओर है। कुछ थोड़े लोग निज के तौर पर नौकरी भी कर लेते हैं परतु अधिक मख्या उन्हीं लोगों की है जो व्यवसाय वाणिज्य सम्बंधी कामों में ही अपने को लगा कर अपने लिये जीविका पैदा करते हैं।

आरभिक शिक्षा की पाठ्यालाभों के शिक्षणों की सहायता से पूर्वी प्रशिया के सबध में सरकार ने जो कार्रवाई की है उपर में स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है कि करीब करीब २४०० कुटुम्ब सन १५०५-०६ में इस प्रात को छोड़ कर बाहर चले गए। इनमें से कुछ तो जर्मन देश छोड़ कर अन्य देशों में चले गए और वाकी सब जर्मनी के पश्चिमी भाग में जा कर रहने लगे। विंदेश जाने की यह उत्कठा जैसी युवा पुरुषों में दिखाई पड़ती है वैसी ही बालिकाभों में भी दख्ती जाती है। ये कन्याएँ कारखानों में मजदूरी का काम करती हैं या किसी के यहा जाफ़र नौकरी करती हैं। बहुत सी तो सीने पिरोने, अथवा झाड़ बुहारी लगाने या कपड़ा धोने का काम करती हैं। और कोई कोई तो दूकानों पर सौदा बेचने की नौकरी भी स्वीकार कर लेती हैं। इन प्रातों से ममुद्र पार विदेश जानेवाले लोगों की सख्या भी कुछ कम नहीं है। औद्योगिक प्रातों में जाने की अपेक्षा यह सख्या बहुत अधिक है।

गाँवों और किसानों की आवादी दिनों दिन क्यों कर्म

होती जाती है, इस विषय में भिन्न भिन्न विचार के लोग भिन्न भिन्न कारण उपस्थित करते हैं। जर्मांदार और उनके कुछ अनुयायी लोग यह कहते हैं कि आजकल मजदूर लोग बहुत अधिक हो गए हैं और इस कारण इनका दिमाग विस्तृत बिगड़ गया है। इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करनवाले लोग, यह कहते हैं कि जिस प्रकार जर्मांदारों को कुछ कठिनाइया आती है उसी प्रकार मजदूरों को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खेती का काम छोड़ कर जहा चाहें चले जाते हैं। सालीशिया में जर्मांदारों की एक कामेस हुई थी, उम वाप्रेस में एक जर्मांदार ने कहा था—‘आज कल बालकों को खूब शिक्षा मिलन लगी है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हमें मजदूर नहीं मिलते।’ जर्मांदारों के इस प्रकार के उद्घार वर्तमान स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान करा देते हैं। सभव है, बहुत से लोगों के ध्यान में यह यों आती हो परतु यथार्थ दशा यह नहीं है और न हम यह कहते हैं कि उनके इस कथन में भी कुछ सचाई नहीं है। हम तो रेवल इतना ही कह सकते हैं कि मजदूरों का चाह जितना दूषण दिया जाय तो भी खेती का काम करनेवालों को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह क्यों उपस्थित हुई है, इस प्रश्न का निर्णय नहीं होता।

इस सवध में सब से अधिक महत्व की वात खेती के काम में नए चत्रों का उपयोग है। पहले साल भर तक नरावर जो मजदूर खेतों पर काम करते रहते थे, उनको सालभर तक वरावर काम नहीं मिलता है, आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों

को काम के लिये हताश होना पड़ता है और इस कारणे बहुत से मजदूर खेती का काम छोड़ कर उद्योग धर्घों में जा ले दें हैं और जो थोड़े बहुत रह गए हैं, उन्हीं पर खेती का काम निर्भर है। परंतु इससे न तो मजदूरों का काम चलता है और न जमीदार ही लाभ उठाते हैं। वे अपना जीवन निर्वाह करने के लिये कभी इस खेत पर कभी उस खेत पर मारे मार फिरने लगते हैं, स्थिर आजीविका के अभाव से वे भी धीरे धीरे शहरों की ओर जीविका के लिये दौड़े चले जाते हैं। खेती के काम में वात्रिक-शक्ति का अधिक उपयोग होने से, मजदूर लोग गावों में न रह कर कल कारखानों में जा कर काम करने लगते हैं। जमीन का विस्तार अधिक होने के कारण यत्रों की सहायता से खेती का काम करना अधिक लाभदायक है, परंतु मजदूरों के विदेश चले जाने के कारण ठीक समय पर यदि किसी को हानि पहुँचती है तो वह वह जमीदारों को।

पूर्वी प्रशिगा के जमीदारों की स्थिति का वर्णन हर एक नाम के एक सज्जन ने इस प्रकार किया है— “पश्चिमी भाग की आवोहवा खेती के काम के लिये कम अनुकूल होने के कारण बड़ा खेती का काम जल्द खत्म हो जाता है। पश्चिमी भाग में यह काम घरावर साल भर होता रहता है तौ भी कुछ कठिनाई नहीं पड़ती। गर्मियों में थोड़े समय में ही खेती की फसल तैयार हो जाती है। इस कारण जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों के दिनों में जमीदारों को मजदूर, थोड़े और अन्य जानवरों

की अधिक जरूरत पड़ती है। बोझा ढोनेवाले घोड़ों की यद्यपि उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती तौमी फसल मीजने, गाहने के काम में, यथाशक्ति किफायत के साथ साल भर बरापर वे उसे काम में ले आते हैं, परतु मजदूरों के विषय में क्या किफायत की जा सकती है ? कृषि हो अथवा कल कारताना, यदि काम हो तो किफायत के साथ किया जा सकता है परतु बिना काम के साल भर तक मजदूरों को अपने पास रखना कैसे किफायत कहला सकता है ? अनाज निकालने—मीजने और गाहने—के लिये जब तक भाप के येत्र त्रिमीण नहीं हुए ये तब तक जाड़ों भर खलिहानों में और घरों में, काम आने योग्य, कपड़े बुनने के लिये मजदूरों को काफी काम मिल जाता था। परतु जब से यत्रों की सद्व्यवहार से यह काम होने लगा तब से हाथ द्वारा काम करनेवालों की बहुत दुर्दशा हो गई। अपने पास के मजदूरों को भरपूर काम देने के लिये नर्मदार लोग मीजने गाहने की कळों का उपयोग न करें, यह बात कैसे स्वभव हो सकती है ? जाड़े के दिनों में जितने मजदूर चाहिए उतने वर्षारभ होने पर रख लिए जायें और जब काम आपडे तब उनसे काम लिया जाय, भला इस प्रकार काम लेने से कहीं किफायत के साथ काम हो सकता है ! इसपर से यह कहा जा सकता है कि शहरों में रहकर आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से नहीं, केवल खेती की दशा बढ़ा जाने के कारण— उचित समय तक काम न मिलने से—पूर्ण भाग के लोग अपना घर बाँकर छोड़ कर अन्य स्थानों में जांकर बस गए

है। कलों का अधिक उपयोग होने से खेतों की स्फटी फसल को काटने के काम में पहले की बनिस्वत अब जमीन आसमान का अतर पड़ गया है। जाइ के दिनों की खराब आवोहवा में जंगलों में काम करने, रास्तों को ठीक करने, अथवा जमीन संवर्धा सुधार के अन्य कामों को मजदूर लोग हाथों से कर नहीं पाते। अतएव ऐसी स्थिति में स्थायी रूप से मजदूरों को भविष्यत् के काम के लिये नौकर रखना, कितना कठिन काम है। और इसी कारण वे लोग स्थायी मजदूरों को रखने के काम में हाथ नहीं डालते। ऐसी दशा प्राप्त हो जाने के कारण, यदि मजदूर लोग खेती के काम से विरक्त हो शहरों में जाकर अपने लिये जीविका तलाश करें तो कुछ आश्र्य की बात नहीं है। काम पड़ने पर फसल के दिनों में मजदूरों से काम लेने की परपरा गत चाल टूटने से समाज की व्यवस्था विगड़ती है, यह बात किसान लोग जानते हैं, परन्तु खर्च के काम में किफायत का व्यवहार करने से स्थायी मजदूरों को अलग करना क्या कुछ अनुचित कहा जा सकता है ?”

परन्तु इतने से ही इस विषय का पूरा पूरा विचार हो गया, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार खेती करने की नवीन पद्धति निकल आने से, पहले के समान बड़ी बड़ी जमींदारियों में मजदूरों को यथार्थ काम नहीं मिलता, उसी प्रकार समय पड़ने पर काम करनेवाले मजदूरों को जमीन का आश्रय रखकर रहने में आसानी नहीं मालूम होती, इसका उपरोक्त विवेचन से पूरा पूरा पता चल जाता है। परन्तु चाल भरवावर

बारह महीनों तक मजदूरों की कमी क्यों पड़ती है इस बात का अवतरण निर्णय नहीं हुआ। समय पड़ने पर मजदूरों की कमी पूरी करने के लिये रूस, आस्ट्रिया और गलेशिया से मजदूरों को लाकर यह कमी पूरी की जा सकती है अतएव इस प्रश्न का यह भाग इतने महत्व का नहीं है। इमने जो बात ऊपर प्रकट की है अथवा उपरोक्त अवतरण में जिस प्रश्न का समावेश नहीं हुआ उसी प्रश्न का विचार करना घड़े महत्व का है। और उस अवतरण में जो स्थिति बताई गई है उस स्थिति के प्राप्त होने का कारण जानने की मीमासा करना ही यहां पर जरूरी है। यदि इन कारणों को एक शब्द में कहा जाय तो यह कहा जा सकता है कि उत्तरी और पूर्वी भाग के समाज ने मजदूरों को अब जहा ले जाकर ढाल दिया है वहां उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होना असभव है। थोड़ा बेतन, दूटे फूटे रहने के झोपड़े, समाज का सनपर वहिष्ठार, मालिकों का कहा शासन, शहरों के मजदूरों को मिले हुए नागरिकों के अधिकार का उनके लिये अभाव, इत्यादि वातों का परिचय होने से वे यह समझने लगे हैं कि मनुष्य और नागरिक इन दोनों वातों में हम बहुत नीच दशा को प्राप्त हो गए हैं। अतएव हजारों लोग अपना घर बार छोड़ कर पूर्व से पश्चिम की ओर द्व्योग धधों में आगे घड़े हुए शहरों का आश्रय ग्रहण करते हैं। वेस्टफालिया की कोयले की खानों में जाकर काम करने के लिये हजारों पोल्प लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़ कर लिये त्याग कर चले जा रहे हैं। डार्डमेंट की खानों में पोल्प और पूर्वी प्रशिया के लोग बहुतायत के साथ जाते

हैं। ह्राइनलैंड की भी यही स्थिति है। "मजदूरों की कठि नाइयों का बीज मजदूरों में ही है" यह वाक्य वहाँ के लोगों के मुख से जहा तहा सुनाई पड़ता है और इस वाक्य में बहुत कुछ सत्यता है। एल्प नक्की के पूर्वी ओर की बड़ी बड़ी जर्मांदारियों से, मजदूरी का काम करते करते मजदूरों की वर्तमान दशा शोचनीय हो गई है और उन्हें अपना जीवन भारवत् मालूम होने लगा है। मजदूर शब्द उच्चारण करते ही प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, स्वत के सुधार होने की आशा, सब नष्ट हो जाती है। यह टीन दशा वहा के खेती करनेवाले लोगों की हो गई है और उन लोगों की स्थिति को जर्मन समाज आखें उठा कर भी नहीं देखता।

कृषि प्रदेशों के निवासी मजदूर लोगों के घर बहुत ही बुरे होते हैं। इस विषय में अधिक प्रमाण तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रसिद्ध जर्मांदार ने सरकार को इस बात की सूचना दी थी कि "खेती का काम करनेवाले मजदूरों को अपना घर छोड़ कर शहरों में जाने से उन्हें शहरों में अच्छा घर रहने को मिलेगा, यदि वे यह विश्वास न करा सकें तो उन्हें अपना घरबार छोड़कर जाने की रोक होनी चाहिए।" उस जर्मांदार की यह सूचना उचित है अथवा अनुचित, इस पर विचार न करने पर भी यह बात तो मान लेना ही पढ़ती है कि गाँवों के घरों की अपेक्षा शहरों के मकान अच्छे होते हैं। परतु यथार्थ बात यह भी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में आरोग्यता के विचार से मजदूरों के रहने के मकान बहुत कुछ सुखदाई होते हैं परतु उन्हें उन मकानों

में किराया भी अधिक देना पड़ता है। प्रशिया में सार्वजनिक स्वास्थ्यरक्षा विभाग की ओर से जो सरकारी सूचना प्रकाशित होती है उससे जाना जाता है कि आवश्यकतानुसार मजदूरों के रहने की जगह काफी नहीं होती। दीवाले दूटी पूटी, कोठरियों में औंधेरा, पानी का उचित प्रबंध नहीं, पाखाने और मोरियों के पानी का ठीक निकास नहीं, रहने के पास ही मकानों में जानवरों का बौधा जाना, इत्यादि कष्ट उन्हें भोगन पड़ते हैं। मजदूरों को अपनी मजदूरी के ही दिसाव से सुखदाई अथवा दुखदाई मकान किराये पर लेना पड़ता है। हा, यह बात जरूर है कि अब कुछ दिनों से मजदूरी की दर कुछ बढ़ गई है परतु साथ ही रहने चलने का खर्च भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अतएव जो मजदूरी उन्हें अब मिलने लगी है, वह उनके पेट पालनार्थ ही पूरी नहीं होती है। अन्य वारों के सुधारने के लिये फिर भड़ा वे कहाँ से धन ला कर लगावें ?

गाँधों को छोड़ कर जो मजदूर शहरों में जाते हैं, वे केवल दरिद्रता के बश जाते हैं, इस विषय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। जिस प्रात में आमदनी के कर की आय अधिक है, वह प्रात धनवान है और जिस प्रात में आमदनी के कर की आय कम है वही प्रात निर्धन है, यह तत्व स्वीकार फर लेने में भी किसी प्रकार का हिस्सा नहीं है। यदि इस तत्व को आगे रख कर प्रस्तुत विषय पर विचार किया जाय, तो यह बात ध्यान में आ जायगी कि जिस प्रात में आमदनी पर कर का भार अधिक है उस प्रात में दूसरे प्रातों के लोगों को

जाकर्षित कर लेने की शक्ति अधिक है । और जिस प्रात में यह आमदनी कम है उस प्रांत को अपने प्रातवासियों को अपने पास रखने की शक्ति भी कम है । यह सिद्धात सरकारी कागज पत्रों से भी सच्चा प्रतीत होता है ।

प्रशिया का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा आमदनी के हिसाब से बहुत आगे होने से वहां जितनी अच्छी मजदूरी मिलती है उतनी पूर्वी अथवा उत्तरी भाग में कहाँ भी नहाँ मिल सकती । उत्तरी भाग का उपरोक्त वाक्य में समा वेश करने का कारण यह है कि इस विषय में दोनों प्रातों की स्थिति समान है, केवल वहाँ के मजदूरों की जाति मात्र भिन्न है । पूर्वी भाग के मजदूर पोल्स लोग हैं और उत्तरी भाग के लोग “जर्मन” वश के हैं । ये लोग बहुत सहनशील, बुद्धिमान और सकट के समय धैर्य धारण करके रहनेवाले हैं ।

कृषि का काम करनेवाले मजदूरों को मजदूरी अथवा मजदूरी के बजाय माल देने का रिवाज प्रशिया में था । परतु अब यह चाल प्राय बद सी हो गई है । यह माल अमुक प्रकार का होना चाहिए, यह कुछ नियम न था । अनाज, आळ, अन्य प्रकार की तरकारियाँ, दूध, जानवरों के लिए चारा, इत्यादि में सेजिसको जैसा सुभीता होता था, वैसा देता था । इन सब वातों को ध्यान में रख कर यदि अनुमान लगाया जाय तो साल में पचीस से लेकर चालीस पाँड़ नकद अथवा माल मिलता था, परतु अब तो उन्हें केवल नकद मजदूरी ही मिलने लगी है । उद्योग धर्षों में लगे हुए मजदूरों का सुधरा दृष्टा जीवनक्रम होने से जो ढाम उन्हें उद्योग

धर्मो में होता है यदि उसी प्रकार का भाभ कायदे कानून के अनुसार सेती के मजदूरों को प्राप्त होता, फिर चाहे उन्हें मजदूरी कुछ काम 'ही मिलती, तो भी वे घर के घर ही में रह कर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते। परतु जर्मनी के कानून कायदे उन्हें और कमज़ोर किए देते हैं। अपनी साप्तिक स्थिति सुधारने के लिये सघशक्ति का अवलबन कर के यदि वे अपनी स्थिति सुधारना चाहें तो कानून कायदे की कठिनाई के कारण वे यह कार्य कर नहीं सकते। प्रशिया में इसके लिये कानून का क्या स्वरूप है, यह जान लेने पर सारी जर्मनी में प्रचलित कानून की कल्पना सहज में ही हो जायगी। इसी लिये, यहाँ पर उस प्रात का, उस विषय का, थोड़ा सा विवरण देना बहुत आवश्यक है।

अहुरहर्वीं शताव्दी के अत तक प्रशिया में मालिक लोग अपने निजी नौकरों को गुलाम के समान समझते थे। उन्नी-सर्वों शताव्दी के आरभ में किंग फ्रेडरिक विलियम तीसरे ने सब प्रकार की गुलामी बद करने के लिये एक फर्मान—शाही आज्ञापत्र—जारी किया। परतु इस आज्ञापत्र से भी प्रजा को न्यकिंगत स्वतत्रता प्राप्त होकर गुलामी का अत नहीं हुआ। इस फर्मान को देख कर बड़े बड़े जर्मनीदारों के देवता कूच कर गए। अपने पास के लोगों को स्वतत्र हुभा देय, उन्हें भय उत्पन्न हुभा और उन्होंने यह समझा कि अब ये लोग हमारा मनमाना काम नहीं करेंगे और हमारा इन पर उतना दयावत रह सकेगा जितना अब तक है। अतएव उन्होंने बादशाह से विजय की कि “ आपने देश से सब प्रकार की गुलामी की

आकर्षित कर लेने की शक्ति अधिक है । और जिस प्रात में यह आमदनी कम है उस प्रांत को अपने प्रातवासियों को अपने पास रखने की शक्ति भी कम है । यह सिद्धात सरकारी कागज पत्रों से भी सदा प्रतीत होता है ।

प्रशिया का पञ्चमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा आमदनी के हिसाब से बहुत आगे होने से वहां जितनी अच्छी मजदूरी मिलती है उतनी पूर्वी अथवा उत्तरी भाग में कहीं भी नहीं मिल सकती । उत्तरी भाग का उपरोक्त वाक्य में सभा वेश करने का कारण यह है कि इस विषय में दोनों प्रांतों की स्थिति समान है, केवल वहाँ के मजदूरों की जाति मात्र भिन्न है । पूर्वी भाग के मजदूर पोल्स लोग हैं और उत्तरी भाग के लोग “जर्मन” वश के हैं । ये लोग बहुत सहनशील, बुद्धिमान और सकेट के सभय धैर्य धारण करके रहनेवाले हैं ।

कृषि का काम करनेवाले मजदूरों को मजदूरी अथवा मजदूरी के बजाय माल देने का रिवाज प्रशिया में था । परतु अब यह चाल प्राय बद सी हो गई है । यह माल अमुक प्रकार का होना चाहिए, यह कुछ नियम न था । अनाज, आलू, अन्य प्रकार की तरकारियाँ, दूध, जानवरों के लिए चारा, इत्यादि में से जिसको जैसा सुभीता होता था, वैसा देता था । इन सब बातों को ध्यान में रख कर यदि अनुमान लगाया जाय तो साल में पचीस से लेकर चालीस पौँड नकद अथवा माल मिलता था, परतु अब तो उन्हें केवल नकद मजदूरी ही मिलने लगी है । उद्योग धर्घों में लगे हुए मजदूरों का सुधरा दृष्टि जीवनक्रम होने से जो ढाभ उन्हें उद्योग

घरों में होता है यदि उसी प्रकार का लाभ कायदे कानून के अनुसार खेती के मजदूरों को प्राप्त होता, फिर चाहे उन्हें मजदूरी कुछ काम ही मिलती, तो भी वे घर के घर ही में रह कर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते। परतु जर्मनी के कानून कायदे उन्हें और कमज़ोर किए देरे हैं। अपनी साप्तिक स्थिति सुधारने के लिये सघशक्ति का अवलम्बन कर के यदि वे अपनी स्थिति सुधारना चाहें तो कानून कायदे की कठिनाई के कारण वे यह कार्य कर नहीं सकते। प्रशिया में इसके लिये कानून का क्या स्वरूप है, यह जान लेने पर सारी जर्मनी में प्रचलित कानून की कल्पना सहज में ही हो जायगी। इसी लिये, यहाँ पर उस प्रात का, उस विषय का, थोड़ा सा विवरण देना बहुत आवश्यक है।

अट्टारहवीं शताब्दी के अत तक प्रशिया में मालिक लोग अपने निजी नौकरों को गुलाम के समान समझते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में किंग फ्रेडरिक विलियम तीसरे ने सब प्रकार की गुलामी बद करने के लिये एक फर्मान—शाही आज्ञापत्र—जारी किया। परतु इस आज्ञापत्र से भी प्रजा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होकर गुलामी का अत नहीं हुआ। इस फर्मान को देख कर बड़े बड़े जर्मनीदारों के देवता कूच कर गए। अपने पास के लोगों को स्वतंत्र हुआ देख, उन्हें भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने यह समझा कि अब ये लोग हमारा मनमाना काम नहीं करेंगे और हमारा इन पर उतना दबाव न रह सकेगा जितना अब तक है। अतएव उन्होंने धादशाह से विनय की कि “आपने देश से सब प्रकार की गुलामी की

ग्रथा उठा दी इसके लिये हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु अपने नौकर चाकरों पर जो अधिकार हमें था उसे ज्यों का त्यों बना रहने दिया जाय।” उनकी इस विनय को बादशाह ने स्वीकार कर लिया और यह आज्ञा दी कि “गुलामी की ग्रथा हमने बंद की तौ भी मालिक लोगों का अपने नौकर चाकरों पर अब तक जो अधिकार चला आता है अथवा अब तक जैसा उनका सबध बना हुआ है वह वैसा ही बना रहेगा।” इस दूसरे आज्ञापत्र में कुछ ऐसे शब्द थे कि उसी आधार पर निजी नौकरों के समान ही खेती का काम करनेवाले मजदूरों पर भी उनके मालिक अनियन्त्रित सत्ता चलाने लगे। इस दूसरे आज्ञापत्र का प्रचार सन् १८१० से अब तक पूर्वी प्रातों और उत्तरी व पश्चिमी भागों के कुछ प्रातों में पाया जाता है। इस आज्ञापत्र का नाम “सन् १८१० का प्रशियन सेवेंट्स-आरडिनेंस” है। इस आरडिनेंस का उपयोग निजी नौकरों और स्थायी रूप से इकरारनामा लिख कर काम करनेवालों अथवा किसी प्रकार से उनके घर या जमीन का आश्रय लेकर रहनेवाले मजदूरों पर किया जा सकता है, और इस प्रकार के लोग अपने मालिकों की सब प्रकार की आज्ञा मानने के लिये वाध्य हैं। ऐसी स्थिति होने से उन लोगों को अपना जीवन गुलामी में व्यतीत करना पड़ता है। “गुलामी” शब्द का प्रयोग केवल उठाया गया है परंतु व्यवहार में वह वैसी ही बनी है। मालिकों के साथ जो इकरारनामा लिखा जाता है यदि उस इकरारनामा को रद करने के लिये किसी के मन में आई तो कानून ऐसा जटिल

है कि यह कार्य होना एक प्रकार से असभव ही समझना चाहिए। कारखाने के मजदूर लोग ट्रेड ऐसोसिएशन के समान स्थायी कायम करके अपने मालिकों के विषय हडताल बगैरह कर सकते हैं, उन्हें इसके लिये कायदे से कोई रोक टोक नहीं है। परतु खेती का काम करनेवाले मजदूरों की दशा इससे विलक्ष्ण भिन्न है। सन् १८५४ में एक कानून घनाकर यह बात तय कर दी गई है कि यदि कभी खेती का काम करनेवाले मजदूर लोग हडताल करें, तो वे दोषी समझे जाकर उन्हें दृढ़ दिया जाय। कहने का वात्पर्य यह है कि इन लोगों और गुलामों में कोई अतर नहीं है। केवल “गुलाम” शब्द का उच्चारण करना मना है।

प्रशिया के समान ही जर्मनी के अन्य प्रान्तों में भी “सर्वेंटस आरडिनेंस” काम में लाया जाता है। अतएव निजी नौकरों और खेती का काम फरनेवाले मजदूरों को समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि इस विषय में कहीं कुछ सुधार हुआ है तो सेक्सन प्रात में “प्रशियन सर्वेंटस आरडिनेंस” को और भी दृढ़ बनाने के लिये सन् १८५४ के कानून का कितना सहारा मिल गया है, इस बात का इस कानून की एक धारा से जो नीचे दी जाती है पता लग सकता है—“जो कोई नौकर अपने मालिक की आँखा हठपूर्वक पालन नहीं करेगा अथवा किसी कानूनी कारण के बताए बिना नौकरी छोड़ दगा तो मालिक की ओर से निवेदन किए जाने पर अपराधी को पद्रह शिल्प जुर्माना अथवा तीन दिन तक की क्रैद की सजा दी जायगी।”

यह नियम केवल खती का काम करनेवाले मजदूरों और निजी नौकरों के लिये उपयोग में लाया जाता है।

जर्मनी में अपराधियों को दड़ देने का कानून जिस उद्देश्य को आगे रख कर बनाया गया है उस उद्देश्य से बिल्कुल विरुद्ध यह ऊपर दी हुई धारा है। शर्तवदी के अनुसार यदि कोई काम करने से इनकार करे तो और किसी नागरिक को दड़ नहीं दिया जाता केवल हानि को पूरा कर देने की जिम्मेदारी कानून के अनुसार होती है। कभी कभी हड़ताल होने पर कारखानों के मजदूर मालिकों को बिना सूचना दिए ही काम छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसा मौका आने पर मालिकों की ओर से अदालत की माफ़त हड़ताल करनेवालों से हानि को पूरा करने के लिये हर्जाना मुँगा जाता है। कारखानों के मालिकों का मन समझाने के लिये कानून में यह गुजाइश रखती गई है परतु वास्तव में उन्हें इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होता। क्योंकि अदालत में पैर रखते ही धन और समय दोनों का अपव्यय होता है। इतना ही नहीं, अदालत से क्या निर्णय होगा इसका भी कुछ निश्चय नहीं। इसी कारण कारखानों के मालिक अदालत तक जाने की झश्ट में वहुधा पढ़ते ही नहीं। परतु निजी नौकरों और खती का काम करनेवाले मजदूरों की दशा इस से बिल्कुल भिन्न है। उनके लिये जो कानून बनाया गया है, वह बड़ा कड़ा है और उसका उपयोग भी मनमाना होता है। शर्तों के दृटने से यही कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों में से एक ने शर्तों को तोड़ा। इस नियम के अनुसार जिस

प्रकार मजदूर शर्तों को तोड़ सकते हैं, उसी प्रकार मालिक भी शर्तों को तोड़ सकते हैं। परतु इस बात की जाँच हो कर मालिकों को कभी दड़ नहीं मिलता। दड़ भुगतना पढ़ता है केवल मजदूरों और नौकरों को। नौकरों को यदि नौकरी छोड़नी हो तो उन्हें अपने मालिकों को पहले से सूचना देनी चाहिए, इतना कठिन कानून है। परतु यदि मालिक आधी रात को नौकर से कहे कि हमने तुमको नौकरी से अलग किया तो उसके लिये कायदे कानून में कुछ भी उल्लेख नहीं। यदि कोई नौकर विना सूचना दिए नौकरी छोड़ कर चला गया तो कानून के अनुसार फिर उसे जबरदस्ती पकड़ कर काम पर लाया जाता है परतु यदि किसी मालिक ने किसी नौकर को निकाल दिया तो फिर इसकी कहीं पूछ नहीं कि वह किस अपराध के कारण अलग किया गया। नौकरी छोड़ जाने के अनेक कारण बताने पर भी अदालत नौकर को निर्दोष समझ कर नहीं छोड़ती और मालिक के बिना कारण बताए ही नौकर अलग कर दिए जाते हैं, यह कितना अन्याय है। अदालतों में जूरी पद्धति का प्रचार होने से सारी स्थानिक अदालतों में जर्मिंदारों का पक्ष ही प्रबल रहता है।

खेती का काम करनेवाले मजदूरों के लिये एक अनिष्ट-कारी बात और है। आजकल पचास, साठ वर्षों से कानून कायदों में जो सुधार हुआ है, उस सुधार से मजदूर बिल्कुल अलग समझे गए हैं। उन्नीसवाँ शताब्दी के भारत में गुलामी की प्रथा बद की गई। उसी समय से

जमीदारों के कुलियों की दशा बहुत सुधर गई। इससे पहले जमीदार लोग, इन लोगों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। परतु मजदूरों की स्थिति सुधारने की ओर किसी का पूरा पूरा ध्यान नहीं जाता था। शाही फर्मान से मजदूर लोग लाभ उठावेंगे, यह देख कर जमीदारों ने उस फर्मान में ही फेर कार करा दिया यह बात पीछे बढ़ाई जा चुकी है। कुलियों की दशा सुधरने पर कुछ साल तो जमीनी में खेती की दशा बच्छी रही। उन्नसवीं शताब्दी के आरभिक पचास वर्षों में तो कृषिप्रधान प्रातों की आबादी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक रही, और उस समय तक जमीन कृषि प्रधान देश था, यह कहने में कुछ हर्ज नहीं है।

आगे फिर उद्योग-युग आरम्भ हुआ। शहरों की आबादी पुन शीघ्रता के साथ बढ़ने लगी। कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों ने अपने सघ बनाना आरम्भ कर दिया और वे यह कहने लगे कि हमें अमुक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उनकी यह आवाज कानून बनानेवाले अधिकारियों के कान तक भी पहुँची। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि खेती का काम करनेवाले मजदूरों के सबध में जो प्रश्न वर्तमान समय में उपस्थित हो रहा है, उसे बिना कारण हौआ बना दिया गया है। परतु इन लोगों के ध्यान में यह बात नहीं आती कि गत चालीस वर्षों में जितने सुधार-सबधी कानून बनाए गए हैं उन सभों से कारखानों के मजदूरों का हित ही हुआ है। उन १८६९ में “लेवर कोड” नाम का कानून बनाया गया और उसमें समय समय पर सुधार-

भी होता गया परतु इस कानून में खेती का काम करनेवाले मजदूरों के नाम का उल्लेख भी नहीं है। कारखानों अथवा कलागृहों के निरीक्षण सबधी भी कानून है, उसमें भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बीमारी, अपघात, अशक्तता आदि के सबध में जीवन बीमा करने का कार्य गत २५ वर्ष से कारखानों के मजदूरों के लिये हो रहा है परतु खेती का राम करनेवाले मजदूरों के लिये इसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं अब इनके लिये भी इस प्रथा का अनुसरण होने लगा है परतु जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। बीमारी की हालत में जब वे लोग हाथ से काम करने में असमर्थ होते हैं उन्हें “पुबर ला” अथवा दान धर्ग पर अपना गुजारा करना पड़ता है। कारखानों के मजदूरों के समान सघशक्ति के बल पर अपने मालिकों से समय पढ़ने पर सदायता पाने का प्रबन्ध कानून द्वारा न होने के कारण, उन्हें अपने आत्म सरक्षणार्थ केवल देशत्याग ही करना पड़ता है। देशत्याग ही एक शक्ति है जिसके द्वारा वे अपनी आत्मरक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। सरकार को हम लोगों की कुछ भी फिर नहीं है अनएव जिन लोगों को हमारी फिर है उन्हीं की पक्कि में चलकर बैठना चाहिए, यदि यह भाव उनके हृदय में जाप्रत हो तो फसूर किसका है? योड़े दिन हुए जब एक दूरदर्शी जर्मादार ने कहा था—“खेती का काम करनेवाले मजदूरों की जितनी मजदूरी आज हमने घार्डाई है, यदि उतनी ही मजदूरी पचीस वर्ष पहल हमने घटा दी होती तो हमें आज मजदूरों का इतना टोटा न पड़ता। अलावा इसके कम घन

खर्च करके आज कल की अपेक्षा अधिक अच्छे, मजदूर हमको मिलते रहते । ” यह कथन चाहे सच हो अथवा न हो परंतु एक घात अवश्य सभव थी । मजदूरों की दशा सुधारने के लिये जो कानून जारी किए गए, उनसे खेती के मजदूरों को भी लाभ पहुँचना चाहिए था, इस सबध में जैसा विचार अब किया जा रहा है वैसा कुछ समय पहले से किया जाता और उद्योग धर्धों का प्रसार होने से उत्पन्न हुई नवीन स्थिति के अनुसार नया कानून बनाने की सन् १८८१ में सरकार को जैसी आवश्यकता प्रतीत हुई वैसी ही यदि इन लोगों के सबध में भी उत्पन्न होती तो आज खेती का काम करनेवाले मजदूरों की जैसी कठिन समस्या आकर उपस्थित हुई है, वैसी न उपस्थित होती । वहे बड़े जमीदारों और छोटे छोटे किसान योनों से एक ही भूल हुई और वह भूल और कुछ नहीं, यही थी कि जब तक मजदूरों के मन में जमीन के मालिकों से मिल कर रहने की चुद्धि बनी हुई थी उसी समय उनके कल्याण का मार्ग ढूँढ निकालना चाहिए था । परन्तु ऐसा न करके केवल अहभाव से जो उलटा मार्ग उन्होंने प्रदृष्ट किया उसीका परिणाम आज वे भोग रहे हैं ।

लोगों के उपयोग के लिये पहले जो जम , याली पड़ी रहती थी वह अब साली पड़ी नहीं रहने पाती । उसी तरह नक्कड़ मजदूरी के साथ कुछ माल देने की जो पहले पद्धति थी, वह पद्धति अब उठा दी गई है । इन दोनों कारणों से मजदूर लोग बहुत निराश हो गए हैं । खाली जमीन पड़ी न रहने के कारण उनके जानवरों को चरने के

लिये जगह नहीं रही । मजदूरी के साथ अनाज, आलू, ईधन कड़ा के लिए जमीन, जौ, अलसी आदि समान मिलता था । यह चाल चाहे बिल्कुल अच्छी न हो तो भी इससे इतना लाभ अवश्य होता था कि मजदूर लोग जमीन से प्रेम करते थे । परन्तु यह माल मिलना वद होजाने से वे जमीन पर भाड़े के टद्दूर के समान काम करते हैं और उनके परिश्रम का सारा फल मालिकों को प्राप्त होता है । जमीन में उत्पन्न हुई तरकारी अथवा फल फलहरी का एक तिनका अथवा दुकड़ा तक उन्हें नहीं मिलता । ऐसी दशा प्राप्त हो जाने से मजदूरों का जमीन पर और जमीन के मालिकों पर बिल्कुल प्रेम नहीं रहा ।

सब जर्मीदार और किसान लोग, अपने पास काम करनेवाले लोगों के व्याणियर्थ बिल्कुल बेफिकर अथवा लापरवाह रहते हैं, यदि उपरोक्त किए हुए विवेचन पर से कोई यह परिणाम निकाले तो यह उसकी भूल है । क्योंकि कुछ लोग इस नियम से अवश्य बरी हैं । कुछ लोग अपने पास काम करनेवालों के साथ बहुत भलमनसाहत का व्यवहार करते हैं और मजदूर लोग भी उनके साथ प्रेमपूर्वक बर्ताव करते हैं । यहां पर इसके विपरीत कार्य होता है वहां पर मालिक लोग जान बूझ कर ऐसा करते हैं, यह बात नहीं है । उनके मन में यह बात समाई हुई है कि मालिक श्रेष्ठ लोग और मजदूर हीन लोग हैं । उनकी यह समझ आज की नहीं, इसे वे पुरातन काल की एक मर्यादा समझते हैं । सेक्सन प्रात के एक लेखक ने जर्मीदारों को यह उपदेश दिया है—“तुम्हारे

दिन अच्छे आनेवाले हैं, यह आशा मजदूरों के हृदय में उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। मनव्यों के रहने योग्य घर उनको रहने को दो। काम दराते समय उनकी शारीरिक दशा पर ध्यान रखें। बीमारी के समय उनकी और उनके कुदुवियों की सहायता करो और सब से बड़ी बात यह है कि मजदूर हीन और हम लोग श्रेष्ठ, यह भाव दूर कर दो। मजदूरों छी कठिनाइयों को जान कर उनके दूर करने का प्रयत्न करने से तुम्हारी मजदूरों के सबध की कठिनाइयाँ भी दूर हो जायगी। मजदूरों को सापत्तिक कठिनाइयों के साथ साथ सामाजिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, इन सामाजिक कठिनाइयों से वे बिलकुल दूर न गए हैं ।”

जिस जमीन पर काम करना है उस जमीन के विषय में मजदूरों के मन में प्रेम उत्पन्न हो और वे उसे छोड़े कर चले न जाय, इस बाबत अब कई जगहों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह प्रयत्न सफल हो, ऐसी वहूत से उदार हृदय पुरुषों की इच्छा है। यदि वास्तव में देखा जाय तो मजदूरों की कठिनाइया दूर करने का और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इस बाबत मालिकों के मन में प्रेम उत्पन्न करने का उद्दोग उदाराशय पुरुषों की ओर से होना चाहिए। परन्तु ऐसे लोग अभी बहुत थोड़े हैं, यह दुख की बात है। अब भी वहूत से जमीदार अपनी पुरानी पद्धति को हृदय से लगाए लकीर के कक्षीर बने दूए हैं। अपने पास काम करनेवाले मजदूर क्या हैं—अपने पैर की जूती हैं, यह विचार अब भी

उनके अत करण से दूर नहीं होता। नौकरों को उनके पास नौकरी पाने के लिये स्वत आना चाहिए। इस प्रकार की कोई नई व्यवस्था ढूँढ़ निकालने की अपेक्षा वे लोग मजदूरों को जहाँ अधिक मजदूरी मिलती है, वहाँ जाने की रोक का प्रयत्न किया करते हैं और उन्हें दूसरी जगह अधिक मजदूरी न मिलने पावे, इसकी रोक का उपाय सोचा करते हैं और उनके मार्ग में नई नई कठिनाइया उपस्थित करते रहते हैं। सन १९०७ में प्रशियन पार्लियामेंट में एक बहुत बड़े जमीदार ने यह स्पष्ट कहा था—“हर एक युवा मजदूर हमारे खर्च किए हुए धन की जीती जागती पूँजी—मूलधन—है। परतु वे युवा काम करने योग्य होते ही कारखानों में जाकर प्रवेश पा जाते हैं और इसके लिये कारखानों के मालिकों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता।” कुछ साल हुए तब प्रशियन पार्लियामेंट में कासरवेटिव पक्ष के समासदोंने खेती का काग करनेवाले मजदूरों की स्थिति सुधारने के अनेक उपाय घताए थे। उन उपायों में से कुछ उपायों को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था। मजदूरों और जमीदारों के मध्यस्थ बहुत से दलाल प्रशिया में पाए जाते हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा है। “इडस्ट्रियल कोड” में सरकार ने सुधार करके दलालों का उपद्रव कम कर दिया है। इस प्रकार का प्रबंध कर देने से मजदूरों का पैसा मजदूरों के ही पास रहता है। दलालों का कमीशन प्राय बद हो गया है। छुट्टी के दिनों में खेती का काम करने के लिये सेना में से सिपाही हर साल भेजने का नियम किया गया है। ऐसे लोगों की सख्ता दिनों

दिन बढ़ती जाती है। केवल एक महीने, सन १९०७ की गर्मियों की छुट्टी में “फर्स्ट आर्मी कोर” में से सात हजार, सिपाही पूर्वी प्रशिया में बड़े बड़े खेतों पर काम करने के लिये भेजे गए थे। राज-दरबार में आने जानेवाले अपने मित्र लोगों की मार्फत बड़े बड़े जमीदारों ने यह पद्धति पहले पहल शुरू की। अब छोटे छोटे जमीदारों को भी इस प्रकार की सहायता बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो जाती है। दक्षिणी प्रांतों में भी अब जमीदारों को सिपाहियों की सहायता प्राप्त होने लगी है। जमीदारों में से कुछ लोग यह कहते हैं कि सैनिक-सेवा के लिये जो यह नियम बनाया गया है कि दो वर्ष सैनिक-सेवा करनी ही होगी, यह उसे देना चाहिए, और उसके स्थान पर एक वर्ष सैनिक-सेवा की मियाद रखने से खेती के काम के लिये बहुतायत से लोग मिलने लगेंगे। जमीदार लोग अपने लाभ की ओर ध्यान रखकर सरकार को अनेक प्रकार की युक्तिया सुझाते रहते हैं। वे हर काम में अपनी अनुकूलता देखते हैं, दूसरे के सुख दुख का विचार बित्कुल नहीं करते और इसी कारण सरकार उनके प्रस्तावों को प्राय स्वीकार नहीं करती। मजदूरों न कोई शर्त न मानी या किसी शर्त के अनुसार काम करने से इनकार कर दिया तो फिर वे बराबर यही प्रयत्न करत रहते हैं कि उन्हें कठिन से कठिन दब दिया जाय। राजकीय विचारों का श्रोत प्रशिया में किस प्रकार बह रहा है इसका चदाहरण प्रत्यक्ष यह आदोलन है। लिवरल पक्ष के लोग यह प्रयत्न कर रहे हैं कि शर्त के अनुसार काम न करने पर

दीवानी अदालतों द्वारा हर्जाना बसूल करने की प्रथा का अन्य लोगों के समान ही इन पर भी प्रयोग किया जाना चाहिए। परतु जमीदार लोग इस प्रयत्न में हैं कि कानून में “सजा और जुर्माना” ये दोनों जहा रख्खे गए हैं वहाँ केवल कैद की सजा रखनी चाहिए। इसी प्रकार शर्त के अनुसार काम छोड़कर जानेवाले मजदूर को, और जो दूसरा कोई उस मजदूर को अपने यहा काम पर लगावे उसे, जो दलाल उसे नया मालिक तलाश कर दे उसे, और शर्त के अनुसार काम न करने के लिये जिसने उसे बहकाया हो उसे, इन सबों को कठिन दड़ देना चाहिए।

मजदूरों की कठिनाई कब दूर होगी, यह अभी कौन कह सकता है। परतु वर्तमान समय में अन्य देशों से मजदूरों को लाकर काम ‘निकालने का कार्य हो रहा है। प्रशिया के पूर्वी और उत्तरी भागों में और जर्मन राष्ट्र के और सब भागों में, थोड़ी बहुत करके गर्भियों का आरम्भ होने से बरसात रातम होने तक विदेशीय मजदूरों से सेती का काम लेने की परिपाटी सी पढ़ गई है। वडे वहे जमीदारों का सर्वस्व तो इन्हीं पर अवलम्बित है। पूर्वी रूस में से बहुत से मजदूर वहा पहुँचते हैं, परतु अब गल्लीशिया से भी बहुत से मजदूर आने लगे हैं। काम पूरा करके ये लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जर्मनी में उन्हें कोई रहने नहीं देता।

विदेशीय मजदूरों को मजदूरी भी थोड़ी देनी पड़ती है। परतु अनाज अथवा रहने की जगह, बहुत करके दोनों ही,

उन्हें अपने पास से देनी पड़ती हैं। इस कारण अपने घर वापस आने पर वे बहुत कम धन अपने साथ ले जाने पाते हैं। इन मजदूरों के साथ जर्मांदार लोग दयाधर्म का बर्ताव बिलकुल नहीं करते। इसके विपरीत वे उनके साथ द्वेष करते हैं और निरुपाय होकर ही वे लोग उनसे काम लेते हैं। परतु इसी के साथ यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि मजदूर लोग भी मालिकों का काम बिलकुल मन लगाकर नहीं करते और शर्त पूरी होने के पहले ही काम छोड़कर चलते बनते हैं।

प्रचलित कानून के कारण खेती का काम करनेवाले मजदूर लोग राजनैतिक बातों में अपना मन नहीं लगाते। उनमें अभी थोड़ी सी भी सघशक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। इस का कारण केवल उनकी दरिद्रता है। दिनभर काम करने का मार्ग भी किसी ने सुझाया तो भी वे लोग उसे सशक्ति दृष्टि से देखते हैं। उन्हें विश्वास है कि यदि ये लोग इस पचायत में पड़ेंगे तो जो कुछ गांठ में है उसे भी खो दैठेंगे। कुछ प्रधान प्रातों में उच्च कोटि के लोगों के हाथों में सब अधिकार होने के कारण मजदूर लोग दिल खोलकर बात भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई एक भी नेता नहीं मिलता जो उनमें चैतन्य लाकर उत्साह प्रदान करे। प्रजा सत्तावादी (Social Democrats) लोग कुछ प्रयत्न करते हैं परतु केवल पार्लियामेंट में सेवरी के चुनाव के समय। उस समय भी उनके प्रयत्नों का विशेष फल दिखाई नहीं पड़ता।

इस विषय पर जिन लोगों ने बहुत दुखित होकर विचार किया है और खेती का काम करनेवाले मजदूरों की यथार्थ

वृशा क्या है, यह समझ लेने का जिन्होंने सरलतापूर्वक प्रयत्न किया है, उनके ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी कि मढ़लिया अथवा समाज स्थापित करने के सघध में शर्त-बद्दों का वर्तमान कानून बहुत ही अधिक पक्षपातयुक्त है और वर्तमान सुधार-युग के बिलकुल विपरीत है। मजदूरों को कम मजदूरी मिलने के कारण वे अपना जीवन सुखमय व्यतीत नहीं कर पाते और इसी कारण खेती का काम करनेवाले मजदूर काफी तादाद में नहीं मिलते। यह बात सच होने पर भी सब से अधिक कठिनाई उपस्थित होने का कारण यदि कोई है तो वह कानून की विषमता ही है। इस कानून को सुधारने के लिये आज तक अनेक प्रयत्न हुए, पर वे सब अधूरे रहे। इस कानून में मनुष्यत्व को शोभा पास होने योग्य सुधार होने चाहिएँ पर सुधार होने तक अथवा सुधार होने के कुछ दिनों बाद तक भी शहरों की ओर आने-वाले मजदूरों की मात्रा में कमी होना सभव नहीं है।

पंद्रहवाँ अध्याय

कोआपरेशन अर्थात् परस्पर संहायोगिता ।

पूरस्पर लाभ पहुचाने के लिये मिलकर चलना जर्मन लोगों का स्वभाव ही है। परमात्मा ने यह बुद्धि उन्हें प्रदान की है। उनकी इस बुद्धि का परिचय पुरातन काल से लोगों को मिलता आ रहा है। वर्तमान समय में इस बुद्धि का स्वरूप कोआपरेशन ने प्रहण किया है। पद्रह मनुष्यों में से एक मनुष्य जर्मनी की किसी न किसी कोआपरेटिव सोसाइटी का सभासद पाया जाता है। सयुक्त बृटिश राज्य कोआपरेशन का मूल स्थान है परतु वहाँ बीस में एक आदमी भी कोआपरेटिव सोसाइटी का सभासद नहीं पाया जाता।

जर्मन कोआपरेटिव सोसाइटियों के चार भाग हैं। जनरल यूनियन, सेंट्रल यूनियन, रेफसन (Raiffeisen) और इपीरियल यूनियन। सन् १९०५ से रेफसन यूनियन और इपीरियल यूनियन मिलकर एक हो गए हैं और इन दोनों सयुक्त यूनियनों का सबध खास कर कृषि और किसानों से है।

इन समितियों के मुख्य उद्देश्य ये हैं—साझा-देखकर रुपया कर्ज देना, कर्ज लेनेवाला चाहे खेती करनेवाला हो या व्यवसायी हो, कच्चा माल खरीद कर इकट्ठा करना, भिज भिज प्रकार का माल तैयार करना, कारखानों से तैयार

दुए माल का व्यापार करना और अनाज इकट्ठा करना और मकान बनवाना । इन छ प्रकार की समितियों में से कुछ को सरकारी सहायता प्राप्त है और कुछ बिना सरकारी सहायता प्राप्त किए ही अपना कारोबार स्वतंत्रतापूर्वक चलाती हैं ।

सन् १९०७ के आरम्भ में सब प्रकार की समितियों की सख्त्या २५,७१४ थी, और इन समितियों के सभासदों की सख्त्या ३८,६०,१४३ थी । इनमें क्रेडिट (साध) सोसा इटियों की सख्त्या १५,६०२ थी, और कोआपरेटिव स्टोर्स की सख्त्या २००६ थी, और इन सभासदों की सख्त्या क्रमशः २१,१३६५३ और १०,३७६१३ थी । खेती पर उदारनिर्वाह करनेवाले खास कर छोटे छोटे किसानों की जर्मनी में बहुत अधिक समितियाँ हैं ।

केवल प्रशिया में रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटिया सन् १८९० में २,९१२, १८९५ में ५,१३५, १९०० में ९,४३९, १९०५ में १३,३३१ थीं । सन् १९०४ में प्रति समिति के सभासदों का औसत १४७ था । प्रशिया में भी बहुत सी क्रेडिट सोसाइटिया हैं ।

क्रेडिट सोसाइटियों में से बहुत सी तो देहातों और खेती से सबध रखनेवाली "हरल" हैं । इनमें से कुछ तो "लिमिटेड" कपनियों के तौर पर चलती हैं । रेफसन सोसाइटियों ही केवल इस तत्व के विपरीत कार्य करती हैं । कच्चा माल उत्पन्न करनेवाली समितियों में चमार, दर्जी, नानवाई, हलवाई, कसरे, कलईगर, नाई, रगरेज आदि की समितियों ही मुख्य हैं । औद्योगिक काम की समितियों में

अनाज के कारखाने, विजड़ी और गैस तैयार करने के कारखाने, घट्ट, खट्टिक आदि का काम करनेवाले अधिकतर हैं। कृषि समितियों में बहुत सी समितियाँ खलियानों से अनाज निकालने का काम करती हैं और कुछ भाष्प द्वारा चलनेवाले हल और अन्य प्रकार के कृषि उपयोगी यन्त्रों को खरीद कर चलाती हैं। बेखर-हार्ड सोसाइटियाँ मेज, कुर्सी, किंवाड़, ईंटें, चमड़ा, जानवर, मुर्गियाँ, बच्चों, अड्डा, अनाज, स्पिरिट और तबाहू, सिगरेट वगैर का व्यापार करती हैं। औद्योगिक व्यवसाय में काम आने योग्य कश्मीर माल की समितियों में टोपी बनानेवाले, दर्जा, घट्ट, चमार, यन्त्र बनाने वाले लोहार आदि इसी प्रकार का काम करनेवाले लोग शामिल होते हैं। कारखानों में माल उत्पन्न करनेवाली समितियों में नानवाई, छीपी, कलेवार, मेमार, जुलाहे और कोरी लोगों का समावेश होता है। खेती का काम करनेवाली समितियों में गोशाला (डेरीफार्म), शराब बनाने के कारखाने और खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक टिकाऊ बना कर रखनेवाले कारखाने शामिल हैं। इनके अतिरिक्त पानी इकट्ठा करने, बीमा करने; जमीन खरीदने और उसे बेचने, पुस्तकें छापने और बेचने, हवा खाने जानेवाले लोगों के घरों की देख भाल और व्यवस्था रखने आदि भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के लिये भी वहाँ समितियाँ मौजूद हैं।

जर्मनी में कृषि संबंधी समितियों की सख्त्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सन् १९०६ के अंत में इन समितियों

की सख्ता २०,४५३ थी । इनके द्वारा छोटे छोटे गरीब किसानों को जितना लाभ पहुँचा है उतना कानून अथवा संरक्षण कर नीति द्वारा भी नहीं पहुँचा है ।

पुरानी पद्धति को बनाए रखने का स्वभाव जर्मन कृषकों की अनेक बातों में देखा जाता है । परंतु समाज और समितियों के स्थापित करने की नवीन पद्धति को उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया । इस कारण उनको निजी दूकानों और साहूकारों से जिस शर्त पर रुपया मिलता वा उससे आसान शर्तों पर उन्हें रुपया मिलने लगा और इस प्रकार उनकी साथ भी घड गई । यिनां दलालों की सहायता से अब उन्हें आपस के कारखानों से ही बाद और दीज मिलने लगा है । पास पैसा न होने से खेती में काम आनेवाले यत्र उन्हें उपलब्ध नहीं होते थे । वे उन्हें अब आसानी से मिलने लगे हैं । भाप के जोर से चलनेवाले हूँल, और अनाज को मिठाई आदि के यत्र, समितियों की सहायता से किसानों को मिलने में आसानी हो गई है । जमीन की पैदावार अनाज, आलू, फलादिक, दूध अडा वगैरह बेचने के लिये अब उन्हें स्वत - परिश्रम नहीं करना पड़ता । यह सब काम वाहर वाहर ही समितियों द्वारा हो जाता है और साथ ही पहले की अपेक्षा मूल्य भी अधिक मिलने लगा है । दूध, मक्खन, घी वगैरह को पुरानी पद्धति से किफायत नहीं होती थी और न अच्छा माल ही तैयार होता था । वही माल अब यत्रों की सहायता से किफायत के साथ अच्छा तैयार होने लगा है और इसका लाभ भी उन लोगों को प्राप्त होता

है। तात्पर्य यह है कि पहले समय में जो अनुकूल साधन बड़े बड़े जमींदारों को प्राप्त थे, वे अब इन नवीन सत्याभों के कारण छोटे छोटे जमींदारों और किसानों तक को प्राप्त होगए हैं। कृषि-प्रधान प्रांतों में उपरोक्त सब प्रकार के उद्देश्यों की सिद्धि के लिये अनेक समितिया स्थापित हो गई हैं और उनके द्वारा बहुत से महत्व के कार्य हो रहे हैं। खेत की पैदावार बेचने के लिये हनोवर प्रांत में जो को-आपरेटिव सोसाइटिया स्थापित हैं, उन्होंने सन् १९०६ में ४,२८,००० पौंड मूल्य के माल का लैट फेर किया। अपने लिये किसान लोग क्या कर सकते हैं इसका एक उदाहरण यहां देते हैं। प्रशिया में खान से पोटाश निकालने की एक कपनी है। उस कपनी के बहुत से हिस्से कृषि-समितियों ने खरीद लिए और इससे व्यवसाय का महत्व अधिक बढ़ गया।

यदि कृषक लोगों को यथार्थ में लाभ पहुँचा है तो सहकारी समितियों द्वारा ही। “कोआपरेशन से कृषकों की साख बढ़ी और उनके नाश होने का भयकर समय टल गया।” ये उद्घार एक बहुत बड़े जमींदार ने एक अवसर विशेष पर कहे थे। इन सोसाइटियों ने इतने महत्व के काम किए और अब भी कर रही हैं जिनका परिणाम कृषकों के लिये बहुत लाभदायक सावित हुआ। रेफसन सोसाइटियों ने जो काम कर दिखलाया है वह विलक्षण था। अतएव उसका विस्तारपूर्वक दाढ़ यहां पर देना बहुत आवश्यक है। इर्लैंड में कृषि सर्वधी जो सबसे बड़ी कठि-

नाई है, वह यह है कि समय पर कम ब्याज पर रुपया किसानों को नहीं मिलता। अतएव रेफसन सोसाइटियों का हाल जान कर इगलेंड में जो कठिनाइया उपस्थित हैं वे दूर की जा सकती हैं। इगलेंड में वैक हैं और उधार रुपया देनेवाली समितिया भी हैं परन्तु इनसे रुपया उधार लेने पर किसानों को अधिक ब्याज देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वैक जो जमानत मागे वह भी देनी पड़ती है। यदि जमानत देने का प्रबंध कोई न कर सके तो फिर उसे रुपया उधार मिल ही नहीं सकता। इगलेंड की यह स्थिति ध्यान में रखने योग्य है। इगलेंड के कृषक लोगों में कोआपरेशन तत्व पर चलनेवाली वैकों अथवा उधार रुपया देनेवाली सहकारी समितियों का विकास जितनी शीघ्रता से होना चाहिए, नहीं होता। वैक स्थापित करनेवालों को इगलेंड में धन की कमी हो, यह बात सभव नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो रेफसन नाम से चलनेवाले जर्मन वैकों और इसी नमूने पर चलनेवाली आस्ट्रिया की वैकों की इतनी उन्नति न दिखाई पड़ती।

फ्रेडरिक विल्हेल्म रेफसन नाम का एक परोपकारी पुरुष हाइनलेंड में रहता था। उस प्रात में उसने सन् १८१८ से १८८८ तक निवास किया। वह वहां पर मेयर का काम करता था। कृषकों को कृषि कार्यों के लिये धन मिलने में कितनी कठिनाइया उपस्थित होती हैं, इस बात का उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव के पश्चात् उसे यह भी माल्म हुआ कि छोटे छोटे किसानों के पीछे धन की कठिनाई

सदा ही लगी रहती है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये उन्हें महाजनों के पास गए बिना और कोई चारा नहीं हैं। ये महाजन 'ज्यू' जाति के होते हैं, जिनमें दया का तो नाम ही नहीं है। रेफस्ट ने कितने ही उदाहरण ऐसे देखे कि समय पर उधार लिया हुआ रुपया न पहुँचने पर अथवा सरकारी मालगुजारी या जर्मीदार का लगान का रुपया न अदा होने पर थोड़े से ही धन के लिये उन्हें अपने हल बैल ज्यू महाजनों के सर्पुर्द कर देने पड़ते हैं। महाजन पक्का चालवाज होते हैं—कानून कायदे का उल्लंघन न करते हुए जहां तक हो सके अपने पजे में फँसा लेने का वे बराबर प्रयत्न करते रहते हैं। उनके दाव पेंच समझने की बुद्धि उन विचारे किसानों में कहाँ। महाजनों के फदे में किसान लोग फँप्पन जांब इसकी जाच रेफस्ट स्वतं करता रहता था और जब कभी मौका आता, किसानों को दुष्ट महाजनों के पज से छुड़ाने का प्रयत्न करता। मेरर होने से उसके हाथ में राज्याधिकार था और बुद्धिमता होने के कारण वह किसानों के ऊपर महाजनों का अत्याचार होने नहीं देता था। यदि कभी किसानों को अपने जानवर बगैरह बैचने की जखरत पड़ती तो महाजनों की मार्फत न विफने देकर वह स्वतं उनके साथ चाजार जाफर बेघने का प्रबन्ध करा देता। उस समय महाजन लोग यह कहने लगे थे कि यह व्याघ रहा से पीछे लग गई। यदि कोई किसान महाजनों के पास उसका नाम ले देता तो उनका दिमाग ठढ़ा पड़ जाता था। इसी लिये किसान लोग उसे श्रेम और आदर की दृष्टि से देखते थे। किसानों की कठि-

नाइयों को जान कर और ये कठिनाइया किस के दोष से उत्पन्न हुई हैं, इस विषय में स्वतं का अनुभव प्राप्त करके “को-आपरेटिव क्रेडिट असोशियेशन” स्थापित करने की कल्पना उसके मन में उत्पन्न हुई। भारत में थोड़ा सा कार्य करने पर ही उसे यश प्राप्त हुआ। अतएव द्वाइन नदी के किनारे कई स्थानों पर अल्प प्रमाण पर उसने असोशियेशन स्थापित किए। परतु धीरे धीरे इस संस्था का महत्व और जीर्ति इतनी बढ़ी कि जर्मनी में किसानों की एक विशाल कोआपरेटिव संस्था स्थापित करने के उद्योग में उसने अपने जीवन का बाकी समय लगा दिया। उसके दीर्घ प्रयत्न से इस मुख्य संस्था की शाखाएँ जर्मनी भर में फैल गई और उनके द्वारा अनेक महत्व के कार्य होने लगे।

इस संस्था की मुख्य संस्था “सेंट्रल इस्टिट्यूट” न्यूबीड स्थान में है। आज कल इस संस्था के आश्रय में उधार देनेवाली बहुत सी समितियाँ स्थापित हो गई हैं। इसी प्रकार किसानों के काम में आने योग्य माल के कोऑपरेटिव स्टोर्स भी स्थापित किए गए हैं। हर प्रकार के सामान की बड़ी बड़ी दूकानें भी न्यूबीड में संस्था की ओर से खोली गई हैं। उदाहरणार्थ—फँकफोर्ट में यत्र सामग्री का एक बहुत बड़ा डिपो है। भिन्न भिन्न शास्त्राओं से माल को इकट्ठा करने का ‘कलोन’ में एक “वेअर हाउस” है। कृत्रिम रायद बनाने तथा तगाकू पैदा करने के भी कई एक कारखाने सहकारी समितियों द्वारा चल रहे हैं। इन सब कामों को उत्तमतापूर्वक चलाने के लिये तीन सौ से अधिक भिन्न भिन्न दर्जे के अधि-

कारी काम करते हैं और इसी पर से इस संस्था की व्यापकता की कल्पना पाठक कर सकते हैं ।

सहकारी समितिया किस सिद्धांत पर चलती हैं, इसकी विवेचना स्थल सकोचवश स्थूल दृष्टि से ही यहाँ की जाती है । क्रेडिट असोसियेशनों का मूलधन हिस्सों (शेअर्स) के रूप में इकट्ठा किया जाता है । हर एक हिस्से का मूल्य ज्यादा से ज्यादा दस शिल्लिंग रखा जाता है । एक आदमी को एक से अधिक हिस्सा नहीं दिया जाता । लोगों से उधार रुपया लेकर असोसियेशन को जितना ब्याज देना पड़ता है उससे अधिक “डिविडेंड” का भाग हिस्सा खरीदने वालों को नहीं मिलता । असोसियेशनों के सभासदों की सारी जायदाद जमानत के तौर गिरवीं रखकर कोआपरेशन की जो पद्धति (Cooperation with unlimited liability) है उसके अनुसार इस असोसियेशन का काम चलता है । यह पद्धति ठीक नहीं है, ऐसा आक्षेप बहुधा लोग करते हैं, परतु व्यवहार में उससे हानि की अपेक्षा लाभ होने का अनुभव प्राप्त हुआ है । रेफस्न समितिया आज पचास वर्ष से बराबर काम कर रही है । परतु इतने समय में भी सभासदों को इस तत्व के अनुकूल काम करने पर कभी कोई हानि होते नहीं देखी गई और न भविष्यत् में हानि होने की कोई सभावना ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पद्धति से होशियार, विश्वासपात्र और यथाशक्ति योग्यता के मनुष्यों के हाथ में असोसियेशन के काम की सारी व्यवस्था होने से, वे उनका काम बहुत जी लगाकर, करते हैं ।

अच्छा कृषक वही कहलाता है जिसे अपने खेती के काम से प्रेम होता है, जिसे खेती के काम से पूरी पूरी जानकारी होती है, और जो कठिनाइयों के समय अपने स्वत के साहस और भरोसे पर अपने को सम्भाल लेता है। ऐसे कृषकों की ओर यह सत्य बहुत ध्यान देती है। इसके बिरुद्ध जो मन लगा कर अपना काम नहीं करते, उत्तावली के साथ अव्यवस्थित काम करते हैं, उनको असोसियेशन की ओर से मागने पर भी सहायता नहीं दी जाती। फारीगरों और उद्योग धधा करनेवाले मजदूरों को भी जो खेती से थोड़ा बहुत सबध रखते हैं औजार खरीदने अथवा मकान बनाने या मरम्मत करने के लिये धन की जरूरत पढ़ने पर सहायता देने का विचार किया जाता है।

कर्ज पाने की दरखास्त आने पर पहले तो कर्ज लेनवालों की वर्तमान स्थिति की ध्यानपूर्वक जाँच की जाती है। इस जाँच में उसके दोष हुँढने का प्रयत्न नहीं किया जाता। दरखास्त देनेवाले की सापत्तिक स्थिति, साख, जमानत, रूपया कर्ज लेने का कारण, उससे होनेवाले लाभ आदि बातों की ही जाँच सास तौर पर की जाती है। कृषकों की हृषि में यह जाँच होना जितना आवश्यक है असोसियेशन की हृषि से भी वह उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि असोसियेशन के आन्तर्य में आनेवाले लोगों को उचित उत्साह और सहायता देना ही असोसियेशन का मुख्य उद्देश्य है। कर्ज लेनेवाले से जमानत यदि लेनी होती है तो बहुत करके गहने के रूप में ली जाती है। वह गहना कर्जे के रूपए से दूने

दाम का होना चाहिए, यह एक नियम है। परतु व्यवहार में इस नियम का पालन अक्षरशः नहीं होता।

लिया हुआ कर्ज कितने दिनों में वापस करना चाहिए, इसके लिये कुछ नियम हैं। पहला नियम यह है कि कम से कम तीन महीने में रुपया अदा किया जाय और ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष में। पहले वर्ष के अत तक कुछ न कुछ थोड़ी बहुत रकम वापस कर देनी पड़ती है। दूसरे नियम में रुपया वापसी की कोई मियाद नहीं है। कर्ज लेने-वाला अपनी आसानी को देखकर जब रुपया वापस दे, तब ले लिया जाता है। परतु रुपया वापस करने की जो तारीख नियत है उस तारीख पर रुपया अवश्य ही आ जाना चाहिए। क्योंकि इसी पर बहुत से वैंकों का यश अथवा अपयश अवलम्बित है। एक महीने की नोटिस अर्थात् सूचना देकर कर्ज का रुपया मागने का अधिकार भी असोसियेशन को प्राप्त है।

एक दूसरे को भिन्न भिन्न मार्गों में मद्दद पहुँचा सकें, इस उद्देश्य का ध्यान सदा रक्षा जाता है। असोसियेशन को जो लाभ होता है वह सब 'रिजर्व फड' के तौर पर अलग रख दिया जाता है। परतु सभासदों को कर्जा देने के लिये विशेष सुभीता देने की योजना की गई है। हिसाब किताब छिखनेवाले फो छोड़ थाकी सब अधिकारी कुछ भी वेतन न ले कर मुफ्त काम करते हैं। वेतन मिलना ही चाहिए, यह बात उनके मन में कभी नहीं आती। उन्हे यदि कुछ स्फुट खर्च करने की जरूरत हो तो वह असोसियेशन की ओर से दिया जाता है।

असोसियेशनों में सम्मिलित हुए कृपक लोगों में परस्पर सहायता करने की बुद्धि उत्पन्न हो और उसी के अनुसार काम करने का चाव उनमें हो। इसका प्रयत्न सबा होता रहता है। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध न कर सकें, इसके लिये असोशियेशन न नियम घना दिए हैं। देहाती समितियों का प्रधान पद पाठशाला के शिक्षकों को बहुधा मिलता है और वे लोग समाज की जो कुछ सबा करते हैं वह बहुत ही महत्व की है। पाठशाला के शिक्षकों का पेशा लोगों के लिये बहुत उपयोगी सावित होता है। उनमें सार्व जनिक कार्य करने का हौसला होता है। वे गाँव के लोगों को यह बात अच्छी तरह समझा सकते हैं कि उन्हें अपनी सापत्तिक स्थिति किस प्रकार सुधार लेनी चाहिए। रेफरन-वैंक के सेक्रेटरी नियत होते हैं और छोटे छोटे किसानों को रुपया उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त वे इस बात की भी गाँववालों को शिक्षा देते हैं कि उन्हें खेतों पर किस तरह काम करना चाहिए और अपना माल किस तरह बेचना चाहिए। किफायत के साथ खर्च करन की भी वे गाँववालों को सलाह देते रहते हैं। समाह भर में जो रुपया किसान लोग बचा लेते हैं उसे वे अपने पास जमा कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि गरीब किसानों के लिये शिक्षक लोग मार्ग-दर्शक का काम देते हैं। युक्तिपूर्वक वाते समझा कर वे उन्हें उचित सलाह देते हैं और मित्रता का व्यवहार करके उनके हितू बन जाते हैं। परंतु यह सब काम वे एक कौड़ी की अभिभाषा न रखते हुए केवल गरीब और अनाथ लोगों

की सदायता की इष्टि से ही करते हैं ।

सब स्थानों की समितियाँ न्यूयार्क की "सेंट्रल बैंक में" जा कर समिलित हो जावें, ऐसी व्यवस्था की गई है । रेफरन संस्था को चलाने का सारा काम इस संस्था को सौंपा गया है । इस संस्था को अपनी मुख्य संस्था मान लेने से छोटी छोटी संस्थाओं को बड़ा लाभ पहुँचता है । किसी बड़ी संस्था को आधारभूत मान कर आवश्यकतानुसार धन अपने पास रख कर वाकी का धन मुख्य संस्था को देने से अधिक लाभ होता है । इसी प्रकार यदि कभी धन की आवश्यकता हुई तो उसे मुख्य संस्था से धन आसानी से प्राप्त भी हो जाता है । सेंट्रल बैंक की स्थापना सन १८७३ में हुई थी । उस का मूल धन २,५०,००० पौंड का था । उसके नियम ऐस अच्छे हैं कि यदि नियमानुसार काम होता चला जाय तो लाभ के बजाय हानि की कोई सभावना ही नहीं है । बहुत करके सब हिस्से स्थानिक असोसियेशनों ने ही खरीद लिए हैं । विना आज्ञा के बे अन्य लोगों को दिए नहीं जा सकते और बैंक के देने की जिम्मेदारी हिस्सेदारों पर उनके हिस्से की रकम से ब्यादा नहीं होती । सेंट्रल बैंक के सबध में लोगों का इतना विश्वास जम गया है कि अब ४, १४७ स्थानिक असोसियेशन उससे लेन देन करते हैं । तीन करोड़ सत्तर लाख पौंड की रकम, उसकी ब्यापार में उगी हुई है । सन १९०६ में "इपीरियल बैंक" के ब्याज की दर साढ़ आठ फी सदी सालाना थी और यदि थोड़े दिनों के लिये रकम की जरूरत हो तो निज की बैंक दस रुपया

सेंकड़ा सालाना तक सूद लेती है। परंतु रेफर्म बैंक अपने मेंवरों को केवल साठे तीन या चार सेंकड़ा सालाना व्याज पर रुपया देती है। इस से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बैंक की सास्थ कितनी ज्यादा है। बैंक के जनरल डायरेक्टर हर साल अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। यदि उसे देखा जाय तो यह बात सहज ही ध्यान में आ जायगी। दहाती असोसियेशन भी आश्वर्यजनक कार्य कर रह हैं। इस रिपोर्ट से कुछ धारों नीच चढ़भूत की जाती हैं।

“ बेसवीलर (Baesweiler) की सेविंग्स बैंक को बहुत यश प्राप्त हुआ है। इस बैंक की स्थापना होने के समय से अब तक पत्थर का काम और खानों में काम करनेवालों के लिए १५ मकान मोल लिए गए हैं और गाँव की सापत्तिक स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है। सभासदों ने तीन हजार पौंड की धरोहर रकमी है। इसी से कितनी किफायत से चलते हैं, इस बात का पता चल जाता है। उधार रकमों पर बैंक चार रुपया सेंकड़ा सालाना सूद लेती है और २५ पौंड तक की रकम जमा करने पर साठ सीन करया सेंकड़ा सालाना सूद देती है। इस बैंक से इस गाँव के लोगों का बहुत कुछ छत्याण हुआ है। ”

“ को आपरेटिव स्टोर्स का काम तो विलकुल आश्वर्यजनक है और उससे सभासदों को बहुत बड़ा लाभ पहुँचता है। किसानों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन यथा असोसियेशन ने एरीद लिए हैं। ये नवीन यथा विचारे किसानों को कौन

मँगा कर दे सकता था ? इन यत्रों की बहायता से अब उनकी जेती बहुत ऊचे दरजे की हो गई है । ”

दूसरे एक और गाव के विषय में रिपोर्ट में लिखा है— “ यहाँ पर खेत जोतने के लिये हल्ल बैल किराये पर लेने का रिबाज था । किराये पर हल्ल बैल लेनेवाले को लाभ भी बहुत होता था । परतु किसानों का इससे हानि के अतिरिक्त मनमाना काम भी नहीं होता था । किसानों को अपन हल्ल बैल अपने पास रखने चाहिए और इसके लिये असोसियेशन ने जब से किसानों को रुपया उधार दिया तब से यह प्रथा यद हो गई । कृषिम खाद जब से मिलने लगी तब से परती जमीन का नामनिशान ही मिट गया और फसल भी अच्छी बैदा होने लगी । ”

लोरेन क असोसियेशन के सरकारी इस्पेक्टर ने एक जनरल रिपोर्ट में लिखा है—“रुपया उधार देने की जो पद्धति है वह रुपया उधार देनेवाले के लिये बहुत लाभदायक है । खास कर रुपया वापस करने में बहुत से सुभीते कर दिए गए हैं । प्रति सप्ताह के अंत में जो धन उनके पास बच रहता है वही धन वे वापस कर लेते हैं । को-आपरेटिव के सिद्धात पर जो माल बेचने के लिये दूकानों में इकट्ठा किया जाता है वह ऐसा होता है जो हर बक्क लोगों के काम में आता रहता है । जिस प्रात में रेफसन असोसियेशन पहुँचे न थे वहाँ कृषिम खाद का मूल्य बहुत अधिक था परतु असोसियेशन की स्थापना होते ही वहाँ खाद का भाव सस्ता हो गया और बहुत से लोग उसका उपयोग करने लगे ।

इस उपाय से जमीन की पैदावार भी बढ़ गई। जहा पहले तीन महीने के लायक गेहूं पैदा होता था वहा अब साल भर के लायक पैदा होने लगा। उचित से अधिक व्याज तो किसी को देना नहीं पड़ता, इसकी निगरानी असोसियेशन के अधिकारी लोग करते रहते हैं और समय पढ़ने पर सभासदों को उपयोगी सलाह भी असोसियेशन की ओर से दी जाती है।”

आज कल ४१५९ “रुरल को-ऑपरेटिव लोन असोसियेशन” न्यूबीड की सेंट्रल संस्था के आश्रय में चल रहे हैं। यदि इसमें कृषि उपयोगी यत्र और अन्य प्रकार का सामान बेचनेवाली को आपरेटिव स्टोर्स, जिनकी संख्या ६५२ है मिला लिये जाय तो कुल असोसियेशनों की संख्या ४,८११ हो जाती है। सन् १९०५ में सेंट्रल और स्थानिक एसोसियेशनों ने व्यापार में जितना लेन देन किया उसकी अपेक्षा पाच करोड़ पौंड अधिक का लेन देन सन् १९०६ में हुआ। आरभ में रेफसन संस्थाएँ विल्कुल सामान्य थीं, परतु अब इनका प्रचार केवल जर्मनी में ही नहीं आस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैण्ड, इरलैण्ड और आयरलैण्ड तक में हुआ है। इस संस्था से कृषकों को साम्पत्तिक लाभ तो बहुत ही अधिक हुआ ही है परतु नैतिक लाभ भी कुछ कम नहीं हुआ है, क्योंकि रेफसन ने जो उद्देश्य अपने सामने रखकर संस्था की स्थापना की थी वह यह था कि कृषकों की स्थायी रूप से नैतिक उन्नति होनी चाहिए और उसके होने के लिये आवश्यक धन की सहायता उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। रेफसन

संस्थाएँ अब इतनी अधिक दृढ़ हो गई हैं कि को-आपरेशन की जड़ में कौन सा तत्व है और उसका व्यवहार में किस तरह संपर्योग किया जाना चाहिए, इसकी शिक्षा भविष्य में काम काज करनेवाले को नियमानुसार देने के लिये, शीघ्र ही “ट्रैनिंग क्लास ” खोलने का इस संस्था ने निश्चय किया है।

रेफरेन्स सेंट्रल असोसियेशन की एक भिन्न शाखा है जो सामाजिक दृष्टि से किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न स्थानिक असोसियेशनों के द्वारा किया करती है। युवा, बालक और बालिकाएँ इस संस्था की सहायता से “फटिन्यूएशन” पाठशालों में शिक्षा पाती हैं। पाठशालाएँ, स्नानगृह, कपड़ा धोने की भट्टियाँ, पुस्तकालय, घाचनालय, बीमारों की सहायता करने, अनाथ लोगों के मुद्राँ को गाड़ने आदि अनेक उपयोगी काम इस संस्था की मार्फत होते रहते हैं। शहरों में औद्योगिक विकास को उत्तेजना देने के लिये घरों में बैठ कर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, इस ओर अब इस संस्था ने ध्यान दिया है।

प्रशिया में को आपरेटिव केंडिट सोसाइटियों को सहायता पहुँचाने के लिये “सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक” नाम से सरकार ने एक बैंक स्थापित कर दी है। जिन को-आपरेटिव केंडिट सोसाइटियों को पैसे की जरूरत होती है उन्हें इस बैंक से धन दिया जाता है। इस काम के लिये गवर्नेंट ने अहुत सा रुपया इस बैंक को दे रखा है। देहावी “सेविंग और लोन सोसाइटियों” और छोटी छोटी “केंडिट सोसाइटियों” को जब धन की आवश्यकता प्रतीत हुई तो कम

ब्याज पर धन मिलने में कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं और ज्यों ज्यों उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता गया त्यों त्यों वे कठिनाइयाँ और भी अधिक बढ़ने लगीं यह बात यहुत वर्ष हुए तभी ध्यान में आने लगी थी। छोटे छोटे किसानों का जिन सोसाइटियों से अधिक व्यवहार रहता है उन्हें पूजी की कठिनाइयाँ सदा सताया करती हैं और ये कठिनाइयाँ महाजनों से रुपया लेकर दूर करना विलकुल असम्भव है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये पहले पहल सरकारी तत्व पर जो कार्य आरभ किया गया वह इस प्रकार था। प्रातिक सोसाइटियों ने मिलकर “लिमिटेड” कपनियाँ बनाईं। उन कपनियों ने अपनी शाखा सोसाइटियों में जो धन बाकी था उसे बराबर बाट कर जिस सोसाइटी की दशा अच्छी थी उसके धन का लाभ नवीन और ज्यों त्यों करके चलनेवाली सोसाइटियों को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था की।

इसके बाद सन् १८९४ में जर्मन एप्रीकलचरल को-आपरेटिव सोसाइटियों की दसवीं काम्रेस में जो इनोवर में हुई थी, यह निश्चय किया गया था कि उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये सारे साम्राज्य के हितार्थ एक “सेंट्रल बैंक” स्थापित करना चाहिए। यह विचार यहुत उत्तम ओर उपयोगी है, इसकी चर्चा चारों ओर होने लगी। प्रशियन सरकार को तो यह विचार इतना उत्तम प्रतीत हुआ कि उसने प्रशिया में तो तुरत ही ऐसी बैंक स्थापित करने का प्रबंध कर दिया। सन् १८९५ में वहाँ “स्टेट सेंट्रल को आपरेटिव बैंक” स्थापित हो गई। जिस प्रकार “इपीरियल बैंक” व्यापारियों को

घन की सहायता पहुँचाती है उसी प्रकार छोटे छोटे किसानों को घन द्वारा सहायता पहुँचाना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य था । अब भी इसी उद्देश्य के अनुसार कार्य होता चला जा रहा है । इस बैंक का मूल धन आरम में २,५०,००० पौंड था और इस मूल धन पर तीन फी सदी ब्याज देना स्थिर किया गया था । परतु यह मूल धन शीघ्र ही २५ लाख पौंड तक बढ़ाना पड़ा और ब्याज की दर में किसी प्रकार की कमी बेशी नहीं की गई । कम दर के ब्याज पर बहुत सा रुपया बैंक के पास होने से महाजनों की अपेक्षा कम ब्याज पर जितनी रकम की किसानों को जरूरत हो उतनी रकम मिल सकती है । इस बैंक से जो कर्ज दिया जाता है वह व्यक्ति विशेष को अथवा को आपरेटिव सोसाइटियों को न दिया जाकर, सोसाइटियों के असोसियेशनों को दिया जाता है । परतु इस व्यवस्था के अनुसार भी किसानों को चार रुपया सैकड़ा स अधिक ब्याज नहीं देना पड़ता । इस बैंक के स्थापित हो जाने के बाद से, अपनी साख कम होने के कारण अपने को कौन कर्ज देगा, किसानों और मजदूरों का यह दीनतायुक्त वाक्य सुनाई नहीं पड़ता । इतना ही नहीं, इस बैंक की सहायता से उनकी दशा बहुत कुछ सुधरती जा रही है । किसानों की इस दशा को देखकर कुशल कारीगरों ने भी अपने लिये को-आपरेटिव, सेविंग्स और लोन सोसाइटियां स्थापित की हैं । उन्हें भी समय पढ़ने पर इस बैंक से ब्रून्य की सहायता प्रदान की जाती है ।

इस अध्याय के आरम्भ में यह, बात चतुर्ई गई है कि “जनरल यूनियन” के आनंद में काम करनेवाली जो संस्थाएँ हैं, उनका मुख्य तत्त्व स्वावलम्बन होने से को-आपरेटिव बैंकिंग के झगड़े में सरकार को पड़ना पसंद न था। प्रशियन “लोअर हाउस” के कुछ सभासदों ने सरकारी प्रबंध को नष्ट कर देने का यथाशक्ति प्रयत्न किया, परतु उन्हें कुछ यश प्राप्त नहीं हुआ। इसके विरुद्ध सरकारी बैंक की उपयुक्तता विशेष प्रकार से लोगों के ध्यान में आने पर बवेरिया, साक्सेन, मेकटन-वर्ग प्रांतों में भी प्रशियन सरकार के नमूने पर को-आपरेटिव बैंकों की स्थापना कर दी गई। को-आपरेशन के आदोलन का इतिहास यदि देखा जाय तो यह बात सहज ही ध्यान में आ जाती है कि वर्तमान समय में जितना इसका आदोलन हो रहा है उतना पहले समय में न था, और उसकी उपयुक्तता के विषय में किसानों को जितना दृढ़ विश्वास अब है, उतना पहले कभी न था। इस विश्वास पर भरोसा करना भूल है यह नहीं कहा जा सकता, परतु कदाचित् उसका व्यवहार मर्यादातीत होने से अतिम परिणाम निराशाजनक होगा, ऐसा भय मालूम होता है, क्योंकि अति विश्वास का परिणाम यह होगा कि जहां को-आपरेशन का वास्तविक उपयोग नहीं हो सकता वहां भी उसका उपयोग करन का विचार लोग करने लगेंगे, और इस प्रकार कार्य होने से अतिम परिणाम निराशा के सिवाय और क्या हो सकता है ? कृपकों की ओर के एक सभासद ने प्रशियन पार्लियामेंट में एक स्मरण यह कहा था—‘गरीब लोगों की सहायता करना

ईसाँ धर्म सिखलाता है । अतएव इस धर्माङ्ग के अनुसार सरकार को किसानों की वर्तमान समय की अपेक्षा अधिक सहायता करनी चाहिए । और भी एक सभासद् ने यह कहा था—“हर एक कृषि कालेज में को आपरेशन का एक प्रोफेसर होना चाहिए ।” इन दोनों सज्जनों ने अपन उपरोक्त कथन में, को-आपरेशन पर जखरत से उद्यादा विश्वास प्रगट किया है । परतु मर्यादा के बाहर को-आपरेशन से लाभ उठाने की इच्छा रखनेवाले लोगों को इच्छानुसार लाभ नहीं होता तो भी व्यवहारिक दृष्टि से किसानों को को आपरेशन से अपरिमित लाभ पहुँच रहा है, इसमें सदैह नहीं है ।

साम्राज्य सरकार और प्रातिक सरकार को आपरेटिव आदोल्न के साथ जो सहानुभूति दिखा रही है और व्यवहार में भी जो सहायता पहुँचाती हैं वह मामूली काम करनेवाले व्यापारियों को पसद नहीं है और वे को आपरेशन का कार्यक्षेत्र कानून द्वारा मर्यादित कर देने के लिये पार्लियामेंट में घार घार निवेदन किया करते हैं । उनका यह कहना एक स्वाभाविक घात है, क्योंकि को-आपरेटिव सोसाइटियों के स्थापित होने से, उनके हाथ से किसान प्राह्क विलकुल अपने आप निकल गए, दलाली का काम करनेवाले लोग भी इसी प्रकार रो रहे हैं । इस झगड़े या बाद विवाद का चाहे कोई भी कारण विशेष हो, परतु गरीब किसानों क कल्याणार्थ, इन लोगों की हानि का कुछ भी मूल्य नहीं है, सरकार को इस घात का पूरा विश्वास है । इसी कारण इन बाद विवाद करनेवालों की सरकार के सामने कुछ चलती नहीं, यह स्पष्ट है ।

सोलहवाँ अध्याय ।

प्रजा की वृद्धि और शिशु रक्षा ।

“राष्ट्रीय शक्ति” (National efficiency) के कठिन शब्द का यद्यपि जर्मनी में बहुत व्यवहार नहीं किया जाता तथापि देश की सतान विशेष वलवान और उत्साही¹ हो इस विषय में विचारपूर्वक और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अनेक प्रकार के उद्याग होते रहते हैं। यह उद्योग बालक जब से पालने में पैर रखता है उसी समय से आरम्भ हो जाता है। यचपन से ही बालकों की शारीरिक शक्ति की ओर ध्यान न देने के कारण जब वडे होने पर उनके शरीर को रोग जकड़ लेते हैं उस समय प्रयत्न करने की अपेक्षा पहले से ही प्रयत्न किया जाना कितना अच्छा है, इस बात को ध्यान में रख कर बालकों की मृत्युसंख्या को कम करने का प्रयत्न गत दस वर्षों से बहुत ही जोर के साथ हो रहा है। इस प्रश्न का महत्व जर्मन लोगों को अब आज कल विशेष रूप से मालूम होने लगा है, यह सच है, परन्तु बहुत वर्षों तक चुपचाप बैठे रहने से जो हानि हुई है उस हानि को पूरा करने का प्रयत्न और उत्साह जो वर्तमान काल में जर्मन लोगों में देखा जाता है, यह वडे आनंद की बात है।

प्रजा की वृद्धि के प्रश्न पर विचार करते समय, कुछ साल पहले लोगों के ध्यान में यह बात आई कि बालकों की

उपत्ति की सख्त्या कई वर्षों से बराबर एकसी बनी हुई है। मृत्युसख्त्या में कुछ कमी हुई अवश्य है, परंतु छोटे बालकों की मृत्युसख्त्या में कुछ भी कमी नहीं हुई है। अतएव उसी समय से उन्होंने इस बात की जाँच का कार्य आरम्भ कर दिया कि छोटी उमर में अधिक बालक क्यों मरते हैं। यदि गत वर्षों की सख्त्या देखी जाय, तो इस बात का पता सहज लग जायगा कि साठ लाख बालकों में से चार लाख से अधिक बालक बारह महीनों के अदर मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, अर्थात् २० फी सदी मनुष्यों का नाश हो जाता है। इसके पहले के सौ वर्षों में यह सख्त्या १५ थी। राष्ट्र की रक्षा लोगों के हाथ से ही होनी चाहिए, बाहरी सहायता का भरोसा करना धोखे का काम है। यदि यह बात उपरोक्त सख्त्या को देख कर जर्मन लोगों में भय उत्पन्न करे, तो आश्चर्य की कौन सी बात है।

छोटे बालकों की मृत्यु-सख्त्या कम करने के लिये अब प्रयत्न होने लगा है। प्रत्यक्ष प्रयोगों से योद्दे से समय में ही, ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है कि गत अनेक वर्षों से मनुष्यों की जो भयकर हानि होती आ रही थी उसकी रोक के लिये उचित उपाय काम में लाए जाने चाहिएँ। जिन प्रातों में अच्छी तरह ध्यान दिया गया है उन प्रातों में मृत्युसख्त्या बहुत कम हो गई है और यह बात अनुभव से पाई गई। इस पर से यह बात सिद्ध हो गई है कि अब तक पाच बालकों में जो एक बालक मर जाता था, वह लोगों की आसावधानी, अल्पानता, और ईश्वरी

इच्छा पर भरोसा रख कर रहनेवाले लोगों के कारण ही हो था। छाटे बालकों की कम उमर में मृत्यु हो, यह ईश्वरी इच्छा है, ससार में आश्यकता से अधिक मनुष्य न रहे, यह ईश्वरी इच्छा है, और इस इच्छा के अनुसार ईश्वर बालकों का सहार करता है, इस प्रकार के विचार जर्मन लोगों के पुराने विचार थे। परतु ईश्वर की कृपा से अब ये विचार विलकुल बदल गए हैं। ईश्वर जिस प्राणी को जन्म देता है उसका बाल्यावस्था में ही नाश हो जाय, यह उसकी कभी इच्छा नहीं होती। साल के भीतर जो बहुत से बालक कराल काल के गाल में चले जाते हैं उसका कारण माता पिता की असावधानी और शुद्ध और ताजा भोजन तथा स्वच्छ हवा पानी न मिलना ही समझना चाहिए। ऊपर यनाई हुई ईश्वरीय इच्छा से उसका विलकुल सवध नहीं है यह तत्व अब सब लोग अच्छी तरह समझने लग हैं।

इस राष्ट्रीय भाष्टि का दूर करने के लिये जर्मनी में अनेक प्रकार की स्थापित हो गई हैं और इसके लिये अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रयत्नों की दिशाएँ चाहे भिन्न भिन्न हों परतु उन सबों का ध्येय एक ही है और उस ध्येय को साध्य करने के लिये जर्मन सम्राट् और सम्राज्ञी दोनों नेता बने हैं। वर्लिन की विमेस पेट्रियाटिक असोसियेशन” (Women's Patriotic Association) को जर्मन सम्राट् ने १५ नवंबर सन् १९०४ के दिन एक पत्र लिख कर भेजा था, उसमें लिखा था—“कम उमर के बालकों की

आरोग्यता के लिये बहुत से लोगों को चिंता लगी रहती है, यह दशा बहुत सोचनीय है। इस दशा का सुधारने के लिये सरकारी अधिकारी और तुम्हारी सम्पदा के समान परोपकार करनवाली सम्पदाएँ जो प्रयत्न करती हैं उनका प्रयत्न सफल हो, यह हमारी हृदय से इच्छा है। तुम्हारे असामियेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इस काम पर सरकार ने जो लाग नियत किए हैं, उनकी सहायता से यदि तुम काम करने लगोगे तो इस राष्ट्रीय कार्य को सहज ही सफलता प्राप्त होगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है।” उपरोक्त बाक्यों को पढ़ने से यह बात सहज ही ध्यान में आ जायगी कि जर्मन सम्राट् इस ओर कितना ध्यान रखते हैं।

सम्राट् के इस पत्र का कितना अच्छा परिणाम निकला यह बात स्वतं हम लोग आज कल देख रहे हैं। इस काम पर नियत किए हुए सरकारी अधिकारी, डाक्टर, स्युनिमिप-लिटियाँ, और लोगों द्वारा स्थापित निज की सम्पदाएँ, आदि मिलकर एक दिल मे काम कर रही हैं और परस्पर सहायता करने के काम मे किसी की ओर से टाल गटोड नहीं होती छोटे बालकों के लिये औपधालय, शुद्ध दूध मिलने की दूकानें, और उनकी सेवा शुश्रूषा का कार्य जानने के लिये व्याख्यानों का प्रबन्ध किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बालकों की रक्षा का काम सत्त्वसत्त्वपूर्वक हो सकता है उसी प्रकार के उपाय करने का प्रयत्न सरकारी और गैरसरकारी लोग यथाशक्ति करते रहते हैं।

परंतु इस कार्य का बाहरी स्वरूप चाहे कितना ही सुख हो

तो भी इस विषय के समाधान योग्य परिणाम अभी नहीं निकला है। बालकों की रक्षा का यथार्थ काम यदि कहीं हो सकता है तो घरों में माता की गोद में ही हो सकता है। बालकों की शारीरिक शक्ति की ओर यदि माता ने दुर्लक्ष्य किया तो छोगों के सोचे हुए उपाय निष्फल हो जाने की ही बहुत अधिक समावना है। इस विषय में यश प्राप्ति की कुजी यदि किसी के पास है तो वह माफ पास है। इस बात को ध्यान में रखकर अनेक स्थानों की म्युनिसिपलिटियों ने और सर्वसाधारण सम्पादकों ने इस विषय की ओर विशेष परिश्रम करने का कार्य आरभ कर दिया है। यिलकुछ छोटे बालक क जन्म होने से बाल भर तक यदि वरावर अच्छी तरह स्वधरणीरी रक्खी जाय तो फिर आगे स्तना भय नहीं रहता। आयु के पहले बारह महीने ही परीक्षा का समय है। ऊपर का दूध पीनेवाले बालकों की मृत्युसूख्या मा का दूध पीनेवाले बालकों की मृत्युसूख्या की अपेक्षा पाच गुनी अधिक होती है। अतएव माताओं द्वा अपने बालकों को अपने स्तनों का ही दूध पिलाना चाहिए, यह प्रयत्न वरावर जारी है। परतु दु से है कि जहाँ तहाँ यह फैशन चल पड़ा है कि जहा तक हो अपने स्तनों से दूध न पिलाया जाय। यह प्रथा दक्षिण अमेरिका में बहुत फैल गई है। अनेक देश की मदुमशुमारियों में वर्ल्ड ने सरकार ने इस विषय की बहुत कुछ जाँच की है। उस जाँच से यह मालूम होता है कि सन् १८८५ में प्रति हजार में ५५२ बालक मा का दूध पीते थे और ३१९ गाय का दूध पीते थे। परतु सन् १८९५ में

यह संख्या ४३१ और ४५२ हो गई और सन १९०० में ३३५ और ५१७ हो गई। इस प्रकार पद्धति वर्षों में मात्रा का दूध पीनेवाले बालकों की संख्या $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{4}$ पर आ गई। नीचे दिए हुए नक्श में बालकों के दूध पीने का जो विवरण दिया है उससे फा हजार मृत्युसंख्या का क्या परिणाम होता है, यह बात प्रगट होती है—

वर्ष	स्तन पान करनेवाले		ऊपर का दूध पीनेवाले		दोनों तरह से दूधपीने वाले	
	१ मास	२ मास	१ मास	२ मास	१ मास	२ मास
१८९०	२२९	९२६	१४७९	७७४	११५०	८८२
१८९१	२०४५	७५७	१७०७	८९४	१२८०	५५१५
१८९५	२५१६	७३०	११२८	६२९	८८२	५०९
१८९६	१९४	७४०	१११०	५४५	५४२	३८५

ऊपर के नक्शे में जो विवरण दिया हुआ है उसका परिचय कलोन नगर में खूब अच्छी तरह पाया जाता है। उस नगर में बालकों की मृत्युसंख्या बहुत पाई जाती है। वहाँ हजार स्त्रियों के पीछे ३९८ स्त्रिया अपने स्तनों से बालकों को दूध पिलाती हैं। इसके विपरीत सोलिजन नगर की दशा है जहाँ मृत्युसंख्या बहुत कम है। वहाँ पर हजार स्त्रियों में ७०४ स्त्रिया, अपने बच्चों को अपना दूध आप पिलाती हैं।

बहुत से बड़े बड़े नगरों में कुछ तो मुनिसिपैलिटियों ने और कुछ सर्वसाधारण संस्थाओं ने बालकों के लिये औपधार्य स्कॉल दिए हैं। उन औपधार्यों में छोटे छोटे बच्चों-की चिकित्सा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अकेले थल्लिन नगर में इस प्रकार के सात औपधार्य हैं और ये औपधार्य खास तौर पर मजदूरों के मुहल्लों में हैं। हर एक औपधार्य में छोटे बालकों के रोगों की चिकित्सा सबधी विशेष शिक्षाप्राप्त एक एक डाक्टर रहता है तथा उसकी देख रेख में और भी कई एक डाक्टर और दाइयाँ रहती हैं। चार्ल्टनवर्ग नगर में पांच औपधार्य हैं। इन औपधार्यों से छोगों को यथार्थ में लाभ पहुँचे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था सरलता-पूर्वक की गई है। इन औपधार्यों का मुख्य उद्देश्य यह रखना गया है कि जिनके पास द्रव्य-ब्रल नहीं है, जिन्हें दूसरों के दानधर्म पर ही अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है, अथवा जो दूसरों के बालकों का पालन पोषण करनेवाले हैं (Foster parents) उन्हें या व्यभिचार से उत्पन्न हुई सतान आदि को मुफ्त सलाह और सहायता प्रदान की जाय। प्रत्येक औपधार्य में रोगी अथवा अशक्त बालक का पालन पोषण किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह बात जो माता-पिता नहीं समझते अथवा जिनके पास द्रव्य का साधन नहीं है, उनको इस कार्य में सहायता प्रदान की जाती है। अपने आप जो माता अपना दूध अपने बालक को पिलाना चाहे उसे भी उन द्वारा सहायता प्रदान

की जाती है और अन्य माताओं को शास्त्रीय ढंग से शुद्ध किया हुआ दूध मुफ्त अथवा कम मूल्य पर दिया जाता है। सहायता पाने के लिये माता की ओर से निवेदनपत्र आने पर पहले पहल इसी बात की जाँच की जाती है कि बालक अपने पिता से उत्पन्न हुआ है अथवा व्यभिचार से। यदि उसका बाप मौजूद है तो वह क्या व्यवसाय करता है। मावाप की आमदनी क्या है ? रहने का घर छोटा है या बड़ा है ? उसका किराया क्या है ? आरोग्यता की हास्ति से उस मकान की स्थिति कैसी है ? इन बातों की जाच कर लेन के पश्चात् यदि माता सहायता देने योग्य सावित हुई तो उसे मदद दी जाता है। अभी हाल की ही प्रकाशित एक रिपोर्ट से पाया जाता है कि इन औषधालयों से सहायता पानेवाले लोगों में अधिकाश मजदूर लाग ही पाए जाते हैं, अर्थात् ऐसे मजदूरों की 'जिनको सामाहिक आमदनी बास से लेकर तेईस शिल्हिंग तक होती है, सख्त्या बहुत है। औषधालयों का समाचार बाप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और जब बालक बीमार पढ़ते हैं तब वे अपनी पत्नी को वहा सहायता पाने के लिये भेजते हैं। लड़ी सुपरेटेंट, पुलिस की सहायता से सहायता पानवालों को सोनकर उन्हें औषधालयों में जाने की उत्तरता दत्ती रहती है। इस प्रकार मजदूरों को 'बीषधालयों का परिचय प्राप्त होकर लाभ मिलता रहता है। छोट बालकों को पिलाने के लिये दूध औषधालयों में मुफ्त में या कम दाम लेकर दिया जाता है और अपने बाप अपना दूध पिलानेवाली बीमारों

को पैसे दिए जाते हैं। इस कारण इस स्थान पर लोग बहुत प्रेम करने लगे हैं और जो सलाह डाक्टर लोग वहा लोगों को देते हैं वे उसे अद्यापूरक अक्षरशमा मानते हैं। तो भी डाक्टरों की सलाह का पाठन किया जाता है अथवा नहीं, यह जानने के लिये सेविकाएँ (Sisters) घर घर घूमती रहती हैं और इस बात की जाच करती रहती हैं कि घरों की स्थिति स्वास्थ्य के अनुकूल है अथवा नहीं, डाक्टरों की सलाह क मुताबिक बालकों की रक्षा का काम हो रहा है या नहीं, यह जान कर व तुरत उसका प्रबंध करती है। सेविका को घर ले आने पर भी, डाक्टर की सलाह क अनुसार काम करने पर भी माता को हर आठवें दिन औपचालय में ले जा कर बालकों को दिखाना ही पड़ता है। बर्लिन के मुख्य औपचालय के डाक्टर महीन में एक बार मजदूरों की स्त्रियों क सामने शिशुपालन पर प्रयोग दिखाकर व्याख्यान देते हैं।

बर्लिन के औपचालयों में, रोगी के रहने के लिये व्यवस्था नहीं है। हवर्ग के औपचालय में ही सिफ यह व्यवस्था दम्प वर्ष से की गई है। साल में तीन हजार रोगी वहा औपचालय पर्चार के लिये आ कर लहरते हैं। चलोटनपग में आसन्न प्रसव स्त्रियों के चार सप्ताह रहने योग्य मकान बनाए गए हैं। इन घरों में चार सप्ताह तक आ कर रहनेवाली स्त्रियों को दूध और भाजन सुपत्र दिया जाता है। म्युनिच में एक अम्ब का डिपो है। वहा यदि कोई खो अपने छोटे बालक का लकर जाय और सदर-निवार्दार्थ अपने पास कोई सामन नहीं है, यह

बात प्रमाणित करने के लिये किसी योग्य अधिकारी का सार्टिफिकेट दिखावे तो उसे दोपहर का भोजन 'मुफ्त दिया जाता है । इस प्रकार के परोपकारी काम करने की सरकारी, गैरसरकारी, म्युनिसिपल और सर्वसाधारण संस्थाओं की जर्मनी में इतनी अधिकता है कि यदि उनका वर्णन यहां पर किया जाय तो ग्रथ बढ़ जाने का बहुत भय है ।

माता और छोटे छोटे बालकों को अच्छा दूध मिलना अत्यत आवश्यक है । परतु यह काम किस प्रकार हो सकता है, यह प्रश्न सहज ही सामने आ जाता है । जर्मनी की बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों ने इस ओर ध्यान दिया है । यह काम पहले पुलिस विभाग के हाथ में था और यह परिपाटी जर्मनी में बहुत दिनों से चली आती थी । परतु पुलिस से यह काम सतोषजनक नहीं होता था और जैसा चाहिए वैसा दूध गरीब लोगों को नहीं मिलता था । अतएव लोगों के निवेदन करने पर यह काम पुलिस के हाथ से निकाल कर म्युनिसिपैलिटियों के हाथ में दिया गया । इस कारण अब डाक्टरों द्वारा दूध की अच्छी तरह जौच की जाकर शुद्ध और बिना मेल का खालिस दूध लोगों को मिलने लगा है । लोगों के निवेदन करने पर म्युनिसिपैलिटियों ने यह काम अपने हाथ में लिया और, इस कारण खराब दूध मिलने की शिकायत बहुत कुछ कम हो गई है । कितनी ही म्युनिसिपैलिटियों ने तो दूध की दूकानें खोल दी हैं जहां उचित दामों पर शास्त्रीय ढंग से शुद्ध किया हुआ दूध बालकों और मजदूरों की स्त्रियों को मिलाता है । म्युनिसिपैलिटियों

का अनुकरण बहुत से वडे वडे कारखानों ने भी किया है। वहां से शुद्ध और स्थालिस्ट 'दूध' मजदूर लोगों को मिडता रहता है और इन कारखानों के दूध की उपत भी खबू होती है।

औषधालयों अथवा अन्य स्थानों में जानेवाले वालकों की, चाहे वे अनौरस हों अथवा अनौरस हों, सबों की शारीरिक व्यवस्था की ओर सर्वत्र पूरे तौर पर ध्यान दिया जाता है। परतु अनौरस पुनर की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि साल में जितने वालक अनौरस मरते हैं उससे दूने अनौरस मरते हैं। जर्मनी में प्रतिवर्ष करीब १७५००० वालक अनौरस उत्पन्न होते हैं। यह सख्त्या कुल जन स्थान का ग्यारहवा भाग है। अनौरस पुनर का धाप बनकर अपने पाप कर्म द्वारा उत्पन्न हुए वालक के पालन पोषण का भार उस पर ढाढ़ा जाता है, परतु यदि ऐसा न हुआ तो यथाशक्ति उसकी खोज की जाकर, उसे सामने लाने का प्रयत्न किया जाता है। यदि इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त हुई तो वालक उसके समुद्र कर दिया जाता है। यदि पता न चला तो वालक के वडे होने तक उसका पालन पोषण किया जाता है।

परतु इतने से ही काम नहीं चलता। वालकों के निरोग रहने के लिये माता का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। वालक उत्पन्न होते ही यदि उसकी विशेष स्वरगीरी रक्खी जाय तो वहुधा वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। परतु इतने से ही काम पूरा नहीं होता। वालक के पेट में आते ही यदि माता के स्वास्थ्य

की और उचित ज्यान न दिया जाय तो उसका बुरा परिणाम हुए बिना नहीं रहता। और फिर यदि उसके स्वास्थ्य सुधारने का प्रयत्न किया जाय तो इतने ही से कोई विशेष लाभ नहीं होता और भी बहुत कुछ फरना पड़ता है। गर्भिणी स्त्रियों से कारखानों में हल्का काम लेना ही उचित है। बालक पैदा होने के दिन करीब आने पर तथा बालक पैदा होने के कुछ दिनों बाद तक स्त्रियों को आगाम मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था इडस्ट्रियल कोड में की गई है। परतु कानून में जो नियम रखने गए हैं वे सकुचित होने के कारण जितना लाभ उनसे हाना चाहिए नहीं होता। इडस्ट्रियल कोड की १३७^{वीं} धारा में यह लिखा हुआ है कि जिन कारखानों और कलागृहों का मुआइना (Inspection) सरकारी तौर पर होता है वहाँ पर यदि किसी खी के बालक पैदा हो तो उससे वहाँ चार सप्ताह तक कोई काम न लिया जाय। इसके आगे हाफ्टर का मार्टिफिकेट देख कर काम देने की व्यवस्था की जाय और मजदूरों के "सिकफड़" में से छ महीने तक सहायता दी जाय। परतु इस प्रकार की सहायता बालक पैदा होने से छ सप्ताह पहले देने तथा वह खी काम करने के लिये असर्वर्थ है, इस व्यवस्था के करने का काम डाक्टर की राय पर छोड़ा गया है। इस नियम का पालन अभी जैसा होना चाहिए नहीं होता और इसी कारण जैसा लाभ पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचता। अत एवं इस नियम के चारों ओर प्रचार होने में और उसके पालन होने में जो कठिनाइया है, उनको दूर करने का विचार सरकार कर 'रही' है। परंतु इससे गर्भिणी

बिंदुओं को जितना लाम पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचता और न आगे पहुँचने की 'कुछ संभावना ही है' । अतएव लोगों ने वहाँ पर "मदरहुड प्रोटेक्शन लीग" स्थापित की ह और इस सम्या द्वारा इस ओर अनेक प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं । लीग ने, इस विषय में, जो बातें सरकार को सुझाई हैं, उन्हें सरकार स्वीकार करेगी, यदि बात आज तक के व्यवहार से नहीं पाई जाती । परतु इससे यह बात स्पष्ट साधित होती है कि इस ओर लोगों का ध्यान कैसा लगा दुआ है और अपनी सतति सुधारने के लिये जर्मन लोग कितना प्रयत्न कर रहे हैं । कानून में आवश्य सुधार होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता परतु तो भी वहाँ के लोग हाथ पर हाथ रखके हुए बैठे नहीं हैं । सर्वसाधारण लोगों के प्रयत्न से गर्भवती स्त्रियों की रक्षा और उनको सुख पहुँचाने का प्रयत्न बड़े बड़े कारणान्मों के मालिकों ने अपने आप कर लिया है ।

चर्लटनवर्ग में सर्वसाधारण के धन द्वारा "केसरिन आगस्टा विक्टोरिया हाऊस" नाम का एक गृह तैयार कराया गया है । इस गृह की नींव स्वयं जर्मन सम्राट् कैसर ने ३ दिसंबर सन १९०७ ईस्वी को रखखी थी । इस गृह में इट्रिय विज्ञान विषयक नवीन शोध का काम होता है । इसके अतिरिक्त बालकों के पालन पोषण का काम शास्त्रीय ढंग से कैसे होना चाहिए, यह भी निश्चित किया जाता है । बालकों के रोगों की परीक्षा करनेवाले डाक्टर और दाह्या वहाँ तैयार की जाती हैं । बालकों के आरोग्यता विषयक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करा देना, उस ज्ञान का प्रचार करना और इस विषय

में जितने शास्त्रीय शोध हुए हैं उनका व्यवहार में किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए, आदि वारों का ज्ञान भिन्न भिन्न स्थाथों को करा देना ही इस मुख्य सत्या का काम है। बालकों की वृद्धि और रक्षा सबधीं जितनी स्थाएँ जर्मनी में हैं उन सबों को साम्राज्ञी द्वारा स्थापित इस सत्या से बहुत सहायता प्राप्त होती है। उन्हें इस सत्या से शास्त्रीय ज्ञान सहज ही प्राप्त होता रहता है। इस इमारत की नींव रखते समय जर्मन सम्राट् ने यह सेंद्रेसा भेजा था—“बालकों की वृद्धि के काम में आज तक जो दुर्लक्ष्य रहा है उसका इस सत्या द्वारा लोप हो जायगा और छोटे बालकों का जो हानि पहुचती थी वह दूर हो जायगी। इतना ही नहीं, वरन् नए नए शास्त्रीय शोध होकर बालकों के पालन पोषण का काम स्वाभाविक ढग से होकर मनुष्य निर्माण करने का उचित उपाय क्या है, इसका भी निश्चय हो जायगा और यह होने से कुसमय कराल काल के गाल में जानेवाले बालकों की रक्षा हो सकेगी।” जर्मन सम्राट् के प्रोत्साहन द्वारा स्थापित इस सत्या की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर मानवी सुधार के लिये इंद्रिय विज्ञान अथवा अन्य शास्त्रों को मनुष्य को अपने अधिकार में रखना चाहिए इस विषय में जर्मन लोगों का विचार बहुत दृढ़ हो गया है।

जर्मनी के बड़े बड़े शहरों में बड़े घरों की स्त्रिया अपना कुरसर का समय, परोपकारी अथवा राष्ट्रीय कामों में लगाती हैं। इसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय योड़ी है। ईश्वर ने उनको जितनी बुद्धि दी है उतनी ही से सत्रुष्ट

न रह कर जितनी लोकसेवा बे कर सकती हैं करती हैं। इस उद्देश्यपूर्ति के लिये “प्रेपरेटरी छासेज” खोले गए हैं, जहां पर वे इस बात के लिये उपयोगी शास्त्रीय और वैद्यक सधृजी ज्ञान सम्पादन करती हैं। इसके अतिरिक्त “विमेच पेट्रोलियमिक सोसाइटी” के खी सभासद मजदूर स्त्रियों को बालक के पालन पोषण करने और अपनी घर गृहस्थी को व्यवस्थापूर्वक चलान पर व्याख्यान देती हैं।

जर्मनी के वर्तमान समय की जन्म और मृत्यु सख्या का विवरण देखा जाय तो पता लग जाता है कि जन्म और मृत्यु संख्या में दिनों दिन कमी हो रही है। यदि जन्मसख्या में आगे भी ऐसी ही कमी होती जाय तो भी उससे राष्ट्र में लोक सख्या की कमी नहीं हा सकती, क्योंकि इसी के साथ साथ मृत्युसख्या भी तो कम होती जा रही है। ऐसी हालत में कुछ मृत्युसख्या में छोटे बालकों की मृत्यु सख्या यदि कम हो जाय तो इससे विना लाभ हुए नहीं रहेगा। इर्लैंड के संयुक्त-राज्य में फी सौ बालकों में, जितने बालक साल में मरते हैं उसकी अपेक्षा आठ नौ बालक अधिक जर्मनी में मरते हैं। यदि वर्तमान व्यवस्था से वर्तमान समय की हानि ही कम हो जाय तो लोक-सख्या की दृष्टि से जर्मनी का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जायगा।

परन्तु भावी वश की शारीरिक शक्ति बढ़ाने और उसका फल्याण करने के लिये जितनी यत्परदारी ली जानी चाहिए उतनी यत्परगीरी वाल्यावस्था से ही जर्मनी में ली जाती है। बालकों की उमर बढ़ने के

साथ साथ उनकी शारीरिक शक्ति घटने की संबरदारी रखने के लिये भिन्न भिन्न "एजेंसियॉ" स्थापित की गई हैं और उनके द्वारा पाठशाला जाने के पहले बालकों को सुल्ली हवा में खेलने और खेलते खेलते बालोद्यान-शिक्षापद्धति द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। बालक जब से पाठशाला में जाने लगता है तब से उसकी शारीरिक व्यवस्था की जिम्मेदारी पाठशाला के अधिकारी पर जा पड़ती है और वे अधिकारी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ कर अपना काम बड़ी ईमानदारी से और ध्यानपूर्वक करते हैं। सात आठ वर्ष के बालक मैले कुचैले फपड़े पहने हुए और कभी नगे उघारे फटे पुराने जूते पहने हुए समाचारपत्र अथवा बच्चों के खिलौने बेचते हुए लदन की गलियों में पाए जाते हैं परंतु यह हालत जर्मनी में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगी। छोटी समर में, इस प्रकार के व्यवसाय करने की कानून द्वारा बहा रोक की गई है और लोकमत भी ऐसी बातों के प्रतिकूल है। स्वयं माता पिता भी अपने अथवा अपने बालकों के पेटपालनार्थ, ऐसे काम बालकों से कभी नहीं लेते। बालक छ वर्ष का होते ही उसे पाठशाला में जाना ही चाहिए, ऐसा जर्मनी में नियम बना दिया गया है और इस नियम का पालन कहाँई के साथ कराया जाता है। इलेंड में इस बावृत कुछ टालपटोल की जाती है और इसी कारण बहुत से बालक पाठशाला छोड़कर ऊंचे नीचे काम करते हुए पाए जाते हैं। पाठशाला में जाते ही बालक की डाक्टरी जॉच होती है। जॉच होने पर यदि

वह निरोगी और सुरुद्ध हुआ तो पाठशाला में भर्ती कर लिया जाता है। जब तक बालक पाठशाला में पढ़ता रहता है तब तक बराबर डाक्टर की उस पर नजर रहती है। कितने ही शहर तो इससे भी आगे निकल गए हैं। वहां पर तो आरभिक पाठशालों में दत्तवैद्यों, और कान व आख की चिकित्सा करनेवाले डाक्टर लोगों को नियत किया गया है। बालकों को क्षय रोग न उत्पन्न हो, इस लिये, आज कल बहुत ध्यान रक्खा जाता है। युवा पुरुषों को यह रोग न हो जाय, इसका प्रबंध तो बहुत वर्ष हुए तभी किया गया था और इस प्रबंध का परिणाम भी सतोषजनक निकला है। परतु उस समय बालकों की ओर किसी ने विशेष ध्यान दिया न था। इस आलस्य के कारण बालकों में जब यह रोग दिनों दिन फैलने लगा तभी से म्युनिसिपैलिटियों और सर्वसाधारण संस्थाओं का ध्यान इस आर आफर्निं द्वारा है। इस शाचनीय स्थिति को दूर करने के लिये वहां बड़े बड़े प्रयत्न हो रहे हैं। क्षय रोग के लिये जो अस्पताल खोले गए हैं, उनमें बालकों के लिये रास तौर का प्रबंध किया गया है। यदि कोई शिक्षक क्षयरोग से पीड़ित हुआ तो उसे तुरत पाठशाला से छुट्टी देकर समुद्र के किनारे अथवा इस धीमारी के लिये बने हुए अलग स्वास्थगृहों में ले जाकर रखते हैं। जर्मनी में बालकों को शाराय के समान मादक द्रव्य सेवन करने की आदत पड़ी हुई है परतु अब इसकी रोक के लिये कठिन नियम बनाए गए हैं। बालकों का नाम पाठशाला में लिखे जारे ही मादक द्रव्यों का सेवन करना बालकों के

कोमल शरीर को कितना हानि पहुचाता है, यह जात वाल्को के माता पिता को बताने के लिये छपी हुई “हिदायतें”, उन को दी जाती हैं। उन हिदायतों के अनुसार व्यवहार करने का उद्योग बालिन शहर में आरभ भी कर-दिया गया है।

बालकपन अथवा युवावस्था में सुली हवा में खेलने का जैसा रिवाज इग्लैंड में है वैसा जर्मनी में नहीं है। पाठशाला में जानेवाले बालक, अथवा इसी प्रकार कारखानों में काम करनेवाले बालक और बालिकाएँ हमेशा अपने काम में चिपटे रहते हैं। परन्तु अब बालक और बालिकाओं के लिये सुली हवा में खेलने के उद्देश्य से जगह जगह पर व्यायामशालाएँ अथवा ‘फ्लू प्राउड्रस’ बना दिए गए हैं। मजदूरों के मुहल्लों के पास खुले मैदान इस काम के लिये छोड़ देने की म्युनिसिपैलिटियों ने व्यवस्था की है।

छोट बालकों की स्वास्थ्य रक्षा और शारीरिक शक्ति बढ़ाने का जो वर्णन अब तक किया गया, उस काम में सबसे अधिक सहायता सोशियालिस्ट लोगों की ओर से प्राप्त हो रही है। राजनैतिक अथवा सामाजिक उन्नति के कामों की ओर सदा ये लोग ध्यान रखते हैं और देशोन्नति के कामों के लिये नई नई कल्पनाएँ सोच कर निकाला करते हैं। उनकी इन कल्पनाओं से समाज को लाभ ही पहुँचता है। अतएव उन्होंने इस ओर ध्यान दिया, यह कुछ आश्र्य की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटियों के कामों में और समाजिहर के ओर जितने काम है, उन सबों की ओर उनका ध्यान लगा रहता है। यदि व्यवहारोपयोगी कोई नई कल्पना

'किसी के मस्तिष्क' से निकली है तो इन्हीं लोगों के मस्तिष्क से, और यह एक अनुभवसिद्ध बात है। राष्ट्र की शारीरिक शक्ति की हर प्रकार से वृद्धि होने का जितना उपयोग सोशियालिस्ट लोगों की ओर से हुआ है उतना और किसी ओर से नहीं हुआ। सोशियालिस्ट पक्ष के नेताओं ने स्वतं परिश्रम करके और समाचारपत्रों की सहायता से जितना काम किया है उतना अन्य लोग नहीं कर पाए हैं और इस लिये उन लोगों का जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है। इस सबध में उनका प्रतिपादित मत और उनके हाथ से होनेवाला प्रत्यक्ष कार्य, इन दोनों में विलक्षण विरोध है। परंतु इस विरोध के कारण उनके द्वारा होनेवाली देशसेवा के मूल्य में जरा भी अतर नहीं पड़ता, इस बात को स्वीकार करना पड़ता है।

मजदूरों की शारीरिक शक्ति बढ़ाकर उनके शरीर में विशेष कार्यक्षमता उत्पन्न करने के उद्देश्य से बीमा कपनियों को स्थापित करने के लिये कानून बनाकर जर्मनी में भिन्न भिन्न स्थापाएँ और सार्वजनिक हित के लिये सर्वसाधारण द्वारा स्थापित स्थापाएँ कितना उत्कृष्ट काम कर रही हैं, यह बात पिछले किसी अध्याय में विस्तारपूर्वक बताई जा चुकी है। इस अध्याय में बालकों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने का विवरण दिया गया है। इस प्रकार दोनों ओर जर्मनी में कैमा प्रयत्न हो रहा है, यह बात साफ मालूम हो जाती है। इस सबध में जर्मन लोग कितना बड़ा राष्ट्रकार्य संपादन कर रहे हैं, यह बात ध्यान में आ जाती है। उद्योग युग के आरम्भ में मजदूरों से कस कर काम लेने की प्रवृत्ति कारणाने

चालों और व्यापारियों में देखी जाती थी। उचित से अधिक समय तक काम करके कम मजदूरी का मिळना, गद स्थानों में बने हुए कारखाने और कठागृह, स्त्री और बालकों से सनकी शक्ति से अधिक काम लेना, मजदूरों के हर एक स्थान पर बने हुए घर में दुखदायी बातें, अल्प औद्योगिक देशों में जैसी थीं वैसीही आरभ में जर्मनी में भी पाई जाती थीं ।

परतु इन हानिकारक बातों को दूर करने का प्रबल प्रयत्न कर जर्मन लोगों ने उन्हें दूर हटा दिया है। इस ओर जितना ध्यान जर्मन लोगों ने दिया है उतना अन्य राष्ट्रों ने कभी नहीं दिया। सन् १८८१ के आरभ से अर्थात् समाजसुधार के युग का आरभ होने से इस ओर उन्होंने बहुत जोर के साथ अपना कार्य आरभ किया। इसका परिणाम यह निकला कि मजदूरों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। बोमा के कानून की बाबत, एक अधिकारी पुरुष ने यह कहा था “बोमा के कानून से तो विशेष लाभ हुआ वह यह कि “पुअर रिलीफ” के भरोसे पर न रहकर ‘बोमा फड़’ में स्वत के पैसे देकर मजदूरों को आपतकाल में धन पान का अधिकार उत्पन्न हो गया है। जर्मनी में जो यह व्यवस्था की गई है वह कभी बद होगी, ऐसा मुझे नहीं विश्वास है। मजदूर लोग किए हुए उपकार को याद नहीं रखेंग, यह कह कर सरकारी कानून को हँसनेवाले बहुत से लोग हैं परतु उनसे हमारा इतना ही निवेदन है कि कोई भी सरकार केवल लागों की कृतज्ञता

सपादन करने के लिये राज्य में कानून नहीं जारी करती है। इसक अतिरिक्त इन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि सन १८८१ में जो राजकीय घोषणा प्रसिद्ध हुई थी उसके बाद, यदि मजदूरों को स्थिति सुधारने का विलकुल प्रयत्न न किया जाता तो क्या आज उदाग-धर्धों की वृद्धि हो कर मजदूर लोगों को सतुष्ट रखने का कार्य सपादन हो सकता था ?”

इग्लैंड के कल कारखानों के कानून की अपेक्षा जर्मनी में इन कानूनों में बहुत कुछ सरलता रखती गई है। उसक अनुसार छोट बालकों के काम करने के घटों में कमी की गई है। इतना ही नहीं, वरन् उनका स्वास्थ्य ठोक रह, काम करते समय उन्हें कष्ट न हो और न उनके जीवन पर कोई सफट आउपस्थित हो, इन विषयों का भी कानून में जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा गया है ऐसा बहुत से लोगों का आक्षय भी है। पर आक्षेप करनेवाले बहुधा कारखानेवाले लोग ही हैं। वे समझते हैं कि मजदूरों को अधिक सुभीतें देन से इम लोगों को आवश्यकता से अधिक घन स्तर्च करना पड़ता है। परतु केवल अपने लाभ हानि को न देख कर यदि इस प्रश्न का दूर दृष्टि से विचार किया जाय तो पाया जाता है कि इस व्यवस्था से मजदूरों और कारखाने-वालों दोनों का हित-साधन होता है, और इसीलिय सरकार न मजदूरों के सरक्षणाथ कानून बना दिया है और यदि आवश्यकता हो तो उसमें और भी सुधार करने के काम में भी सरकार आगा पीछा नहीं करेगी।

सत्रहवाँ अध्याय ।

राष्ट्र का विस्तार ।

प्रैच लोगों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात्

जर्मनी ने पश्चिम की ओर अपनी सीमा कायम कर के यह निश्चय किया कि जर्मन राष्ट्र को जितने राज्य की आवश्यकता थी वह उसे प्राप्त हो चुका, उससे अधिक प्राप्ति की अव इच्छा न करनी चाहिए और सतोषपूर्वक देशोन्नति का कार्य सपादन करना चाहिए । प्रिंस विस्मार्क के मता नुसार ही "फारिन मिनिस्टर" द्वारा पर राष्ट्रों से व्यवहार होने लगा । जर्मन राष्ट्र का विकास होने से अन्य राष्ट्र उसे सशाय की दृष्टि से देखने लगे । परतु उनका सशाय अथवा भय अस्थायी है, यह बताने के लिये ही प्रिंस विस्मार्क ने बनावटी सतोषवृत्ति स्वीकार की, यह कहा। नहीं जा सकता । क्योंकि देश में शांति स्थापित करने और जर्मन सीमा को दृढ़ बनाने अथवा जर्मन राष्ट्र को वैभवशाली करने के काम में अन्य राष्ट्र बीच में विघ्न उपस्थित न करें, वस यही जर्मन लोगों की इच्छा थी । इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई इच्छा नहीं है, इस बात का उन्हें दृढ़ विश्वास था । जब तक प्रिंस विस्मार्क के हाथ में जर्मनी का राजसूत्र रहा और वे अपनी जिम्मेदारी पर सब काम करते रहे तब तक जर्मनी का सब राष्ट्रों के साथ बिलकुल ऐसा ही व्यवहार बना रहा ।

“ सारे ” ससार पर आक्रमण करने की राजनीति ” (World policy) में शब्द विस्मार्क के मुँह से निकलते हुए शायद ही किसीने सुने हों । परराष्ट्रीय राजनैतिक विषयों में नए स्नेह-भाव के उत्पन्न करने और पुराने झगड़ों को मिटाने में ही उन्होंने अपना बहुत सा समय खर्च किया । परतु उस समय वे राजनैतिक मामले यूरोप के पॉच छ राष्ट्रों तक ही परिमित थे । क्योंकि यूरोप के बाहर यूरोपियन राष्ट्र-मध्य विशेष ध्यान नहीं देते थे । जर्मनी के पास भी उपनिवेश दों, ऐसी इच्छा विस्मार्क की न थी । परतु मन् १८९० के आरम्भ में, नोगों के बहुत आमह करने पर, इस विषय की ओर भी उन्होंने अपना मन लगाया और इह कार्य को समादन ऊरने के लिये जब उन्होंने समुद्र पार अपनी ट्रॅटिएशनी तथा उपनिवेशों को स्थापित करने ली ओर उनका ध्यान गगा । परतु उसके राज्याधिकारासु रहने तक, इस कार्य को “ बन्ड पॉलिसी ” का स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था । परतु यह कहने में कुछ हर्ज नहीं है कि जब उस कार्य को यह स्वरूप प्राप्त हुआ, तब जर्मन राष्ट्र ने विस्मार्क की राजनीति ’ जो एक और रथ दिया ।

आज कल की परराष्ट्र मन्त्री नीति की कल्पना का मूल्य ही भिन्न है । यूरोप की पुरानी कल्पना को चिदि एम रर्टुलाकार मान ले तो यह कहना ही बहुत उचित होगा कि विस्मार्क के समय में यूरोप खड़ इस वर्तुल का केंद्र था परतु अब वह उसके पृष्ठ भाग पर जा कर पहुँच गया है । यूरोपियन राष्ट्रों में विशेष गहर्व का प्रज्ञन जो आकर उपस्थित

हुआ है वह पूर्वी राष्ट्रों और वहाँ के लोगों का भविष्यत् में कैसा स्वरूप होना चाहिए, यह है। परिषमीय, यूरोप की लोकसंख्या पहले की अपेक्षा भौगोलिक और सापत्तिक मर्यादा से अधिक बढ़ गई है। ससार के अन्य भागों में अपने यहाँ के घने हुए कारखानों का पछा माल भेज कर, उसके बदले में वहाँ की कृषि पैदावार अनाज अपने यहाँ ले जाने का कार्य बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इस प्रकार क्य विक्रय द्वारा बड़े पैमान पर नए नए बाजारों को जिस तरह इस्तगत करने का प्रयत्न हो रहा है उसी प्रकार वहाँ पर बढ़ा हुई लोकसंख्या को भी स्थान मिलेगा इसमें सदैह ही क्या है ! ये और इसी प्रकार के अन्य विचारों के कारण पुराने राजनीतिक चिद्धातों को आज कल एक नया ही स्वरूप प्राप्त हो गया है और यूरोपियन राजनीति सारे ससार में व्यापक हो रही है। अतएव नवीन उग की राजनीतिक कल्पना को जर्मन लोगों ने जो स्वीकार किया वह भी अनिवार्य दैर्घ्य इच्छानुसार ही हुआ है, यही कहना चाहिए।

आज कल सारे ससार में व्यापक राजनीति को जिसे जर्मन भाषा में “वेल्ट-पॉलिटिक” (Welt-Politik) कहते हैं, जर्मनी ने केवल राजकीय उद्देश्य से स्वीकार किया है, यह बात अन्य देश के राजनीति-विशारदों को मालूम हो, यह एक स्वाभाविक बात है। यूरोप के भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शक्ति से, आज कल जो एक प्रकार की समान शक्ति (Balance of Power) का भाव पैदा हो गया है उसे तोड़ डाढ़ना अथवा नष्ट कर देना ही जर्मनी का मुख्य उद्देश्य है। इस

चुदेश्य की पूर्ति होते ही राज्य-विस्तार की ओर जर्मनों का ध्यान औकर्षित होगा, ऐसा अन्य यूरोपीय राष्ट्र कहते हैं और अपनी इस कल्पना को सज्जा समझ ऊरवे यह बात सिद्ध करते हैं कि उपनिवेशों की वर्तमान व्यवस्था जर्मन लोगों को उचित नहीं जान पड़ती और उसमें केर फार करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। परतु इन सब बातों पर विचार करने का यह समय नहीं है। जर्मनी की सज्जी स्थिति क्या है, इसका सरलतापूर्वक विचार करने से ही उस देश की सापत्तिक स्थिति आँखों के सामने आ सड़ी होती है। उसका मज्जा स्वरूप ध्यान में आते ही उसे यह विश्वास होने लगता है कि अपना अधिकार समार के अन्य भागों पर अबश्य होना चाहिए। जर्मन लोगों को जो यह आशा होने लगी है, उसका मुख्य कारण उसकी सापत्तिक हिस्थिति है। नीचे दिए हुए नक्शे को देखने से यह पता लग जाता है कि सन् १८७१ से १९०७ तक जर्मनी में लोकसंख्या किस प्रकार से बढ़ती रही।

वर्ष	लोक संख्या	यद्यती हुई संख्या	प्रति सैकड़ा
१८७०	४,०८,१८,०००		
१८७५	४,२७,२९,०००	१९,११,०००	४.७
१८८०	४,५२,३६,०००	२५,०७,०००	५.९
१८८५	४,६५,५८,०००	१६,६२,०००	३.६
१८९०	४,९४,२८,०००	२५,७०,०००	५.५
१८९५	५,२२,८०,०००	२८,५२,०००	५.८
१९००	५,६३,६७,०००	४०,८७,०००	७.८
१९०५	६,०६,४१,०००	४१,७४,०००	७.६
१९००	६,१६,९७,०००	१०,५६,०००	..

— इस बढ़ती हुई लोक संख्या ने जर्मनी में वड़ी चिंता उत्पन्न कर दी। जर्मनी को शात-वृत्ति धारण करना चाहिए यही विस्मार्क ने उपदेश दिया था। अतएव उसी नीति का अवलम्बन करते हुए, दूसरे देशों की ओर बिना आंख उठाए ही अपने देश की उन्नति करते हुए उनकी लोकसंख्या दो करोड़ बढ़ गई। वर्तमान समय में भी प्रति वर्ष ८ लाख से अधिक जर्मनी में आवादी बढ़ जाती है। मृत्युसंख्या और खास कर छोटे बालकों का मृत्युसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है अतएव थोड़े दिनों में ही यह संख्या प्रति वर्ष दस लाख तक पहुँच जायगी। एक जर्मन अधिकारी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि सन १९२५ में जर्मनी की लोकसंख्या ८ करोड़ तक पहुँच जायगी। अर्थात् जिस समय प्रिंस विस्मार्क ने राज्य विस्तार न करने वा उपदेश दिया था तब से यह संख्या दूनी स अधिक हो जायगी। उसने यह भविष्य क्षरत भृत्य बहुत कम कहा है, क्योंकि ऊपर दिए हुए विवरण लो देखने से यही तात प्रतीत होती है।

उपरोक्त दशा को ध्यान में रख कर अब जो प्रश्न उत्पन्न होता है उसका स्वरूप भौतिक और सापेक्षिक है। इसने लोगों को रहने के लिये स्थान उद्धा से आए ? उनको कौन सा व्यवसाय दिना जाय ? और उनके पेट पालनार्थ कौन सी व्यवस्था की जाय ?

जर्मनी की लोकसंख्या प्रति वर्ष बेहद बढ़ रही है। उसकी यह वृद्धि इंग्लैण्ड के सुनुकराज्य, आस्ट्रिया-हगेरी, इटली और प्रास, इन सभी देशों की लोकसंख्या की वृद्धि के

लगभग घराघर है । इसने लोगों का जीवित रह कर उनका जीवन उनके शारीरिक श्रम द्वारा चरितार्थ होना चाहिए । जन्म के साथ ही बालकों का गला घोट कर मार तो डाला नहीं जा सकता । यदि आगे भी इसी प्रकार शीघ्रता के साथ जर्मनी की लोकसख्या घटती जायगी तो जर्मनी को उसकी व्यवस्था करने के लिये केवल दो मार्ग हैं । पहला मार्ग व्यवसाय वाणिज्य को शीघ्रता के साथ बढ़ाना और दूसरा मार्ग लोगों को देश लाग कर बाहर जाने को कहना है । सब प्रकार से वर्तमान दशा को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टि से यह दूसरा मार्ग ही लोगों के सामने उपस्थित करना पड़ता है । जर्मन राष्ट्र के जीवन काल में ये कठिनाइया आ कर उपस्थित हो गई हैं—“सतति की वृद्धि, मर्यादित देश, प्राचुर्तिक पदार्थ की कमी, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाहना, सजदूरी पर निर्वाह करनेवाले लोगों लोगों के पेट पालने की व्यवस्था करने की अयोग्यता ।” इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी केवल दो मार्ग हैं—(१) पहोंची प्रात अधवा सीमा पर समुद्र को पाट कर नहीं जर्मनी स्थापित करना, और जिन लोगों को पुरानी जर्मनी में पेट भर खाने को नहीं मिलता उनके लिये वहाँ उचित व्यवस्था कर देना । अथवा (२) यदि यह सम्भव न हो और लोगों को देश में रहने के लिये ही बाध्य होकर उद्योग धर्घों द्वारा अपना निर्वाह करना पड़े तो जर्मन लोगों का तैयार किया हुआ माल विदेश भेज कर उसके घट्ठे में अन्य देशों से अनाज लाकर पेट भरने का उपाय करना । किसी देश में प्रजात्पत्ति विपुल

हो कर भौतिक मर्यादा के बाहर शुद्धि होने से उस देश की जैसी कठिन अवस्था हो जाती है वैसी ही कठिन अवस्था इस समय जर्मनी की हो गई है ।

वर्तमान समय की अपेक्षा, देश में लोगों का पेट भरने के लिये अधिक अनाज पैदा किया जा सकता है तो भी उससे सब लोगों का उदर-निर्वाह नहीं हो सकता । सरकार कृपि की उन्नति के लिये कानून कायदे बनावेगी । सरकार कर नीति की व्यवस्था करके कुत्रिम उपायों से अन्य दशों की अपेक्षा जर्मनी में अनाज का भाव बढ़ा देगी, परन्तु इतने से ही अनाज की बढ़ती हुई माग का पूरा होना बहुत कठिन है । एक पिछल अध्याय में बताया जा चुका है कि जब तक किसानों की कठिनाइया बनी हुई हैं तब तक थोड़ा खर्च करके खेती का व्यवसाय करना जर्मनी में सभव नहीं है, और रूस अथवा अरजोटाइन में कम खर्च करके खेती करनेवालों के मुकाबले में जर्मनी के कुपकठहर नहीं सकते । बहुत हुआ तो कुछ दिनों के लिये देश के देश में ही अनाज इकट्ठा करने का प्रबंध किया जा सकता है । चाहे कुछ भी हो अत मे उन्हें विदेश से अन्न लाना ही पड़ेगा । परन्तु इसमें भी एक कठिनाई है । विदेशी अनाज पर सरकार कर लगा देन से लोगों को सस्ते भाव पर माल नहीं मिलेगा, और यदि यह कर उठा दिया जाय तो देश में सस्ता अनाज तो बिकने लगेगा, परन्तु जर्मन लोग उस सस्ते अनाज के मुकाबले में अपने अनाजे का उच्चित मूल्य न पा सकेंगे, और इस आपत्ति से छुटकारा पाने के लिये लोग खेती करना छोड़ कर उद्योग धर्धों की ओर अपना मन लगावेंगे ।

प्रति वर्ष की बढ़ती हुई लोकसंख्या को यहि कुषि के आश्रय से जीवन व्यतीत करते न बने तो व्यवसाय और ब्यापार की उन्नति करके परिश्रम द्वारा लोगों को पेट भरने का मार्ग विस्तीर्ण कर देना चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों को उत्कृष्ट ढग की खेती करने का ध्येय परित्याग कर देना चाहए। परतु यदि जर्मन लोगों को ऐसा करना पड़ा तो प्रति वर्ष दस लाख बढ़ती हुई आबादी को रठने के लिये जगह कहां से प्राप्त होती ? आज कल जर्मनी में प्रति वर्ग मील जमीन में तीन सौ मनुष्य वास करते हैं इससे पहले सन् १८०७ में यह संख्या दो सौ थी। इगलैंड और वेल्जियम के समान वाणिज्य और व्यवसाय में उन्नतिशील राज्यों की आबादी प्रति वर्ग मील ६०० है। स्वयं जर्मनी के भी कई प्रान्तों में यह संख्या तीन सौ से कहीं अधिक पाई जाती है। साक्सेनी, हूग्नेलैंड और वेस्टफालिया में प्रति वर्ग मील आबादी ५८०,६२०,४६२ है। यह आबादी उन्हीं प्रान्तों की है जहा उद्योग धंधों का जोर है। परतु सारे देश का विचार करने से इस आबादी का परता कुछ विशेष अधिक नहीं है।

उद्योग धंधों की उन्नति के साथ ही साथ विदेशी बाजार भी हाथ में आना चाहिए, और जितना अनाज बाहर से भरीदा जावे उतना ही माल तैयार करके बाहर भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल माल तैयार करने की व्यवस्था कर देने से ही काम नहीं चलता। उस माल को बेच कर उन प्राप्त करने का भी प्रबल होना चाहिए।

परतु वे राष्ट्र जो व्यवसाय वाणिज्य में फँसे हुए थे जर्मनी की वाणिज्य व्यवसाय संवंधी नीति और व्यवस्था को देख कर अपने भावी कार्य-क्षेत्र को ठीक ठाक बनाए रखने की चिंता में लीन होगए हैं। वे सोचने लगे हैं कि सदार, के बाजार में अब जर्मनी से मुकाबला किए विना काम न चलेगा। फोर्ड भी व्यापारी अपने स्वत के लाभ के लिये अपना व्यापार बहुत दूर तक फैलाकर यथा सभव उससे लाभ उठाता है परतु यदि सारे राष्ट्र को लाभ पहुँचाना हो तो फिर तो हजारों लोगों को दूर दूर देशों में जाकर वहाँ के बाजारों में अपना प्रभाव जमाना ही चाहिए, और ऐसा करने में ही वह राष्ट्र जीवित रह सकता है। अतएव जर्मन राष्ट्र में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होना प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों को भयानक प्रतीत हो तो इसमें आश्र्य की कान सी बात है।

अब दूसरा मार्ग है देशत्याग। यह मार्ग विशेष अवस्कर है, यह बात जर्मन लोग जानते हैं। परतु इस मार्ग में जर्मनी के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। क्योंकि उपनिवेश सभवी मामलों में जर्मन राष्ट्र बहुत पीछे अन्य राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ है। और जो उपनिवेश उसके अधिकार में हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जहाँ यूरोपियन लोग नियंत्रण कर सकते। बृटिश राज्य के कनाडा और आस्ट्रेलिया के समान उपनिवेश जर्मनी में एक भी नहीं है। जर्मन उपनिवेश, जर्मन सम्राट् के सरक्षण और अधिकार के देश (Protectorates and dependencies) कहलाते हैं। वहाँ के सारे राज्य-सूत्र और राज्याधिकार सम्राट् द्वारा नियंत्र

किए हुए मनुष्य के हाथ में रहते हैं। जर्मन लोगों का वहाँ स्थायी रूप से ज्ञाकर रहना कठिन काम है। क्योंकि वहाँ की आयोहवा गरम और उनके अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त वहाँ के मजदूरों को काम पर लगा कर बाग बर्गीचा करने योग्य काफी जमीन भी नहीं है। हाँ, यदि कहीं उनके काम लायक जगह है तो नैऋत्य अफ्रीका में। वहाँ डमारालैंड और नॉमालैंड (Damataland and Nomaland) में यहूत सी जमीन उपजाऊ पाई जाती है, और आयोहवा भी समशीतोष्ण होने के कारण वहाँ पर जर्मन लोगों को जा कर वसने में बहुत सुभीता है। दक्षिण अफ्रीका की केप-कॉलोनी में जिनने लोग जाकर वस सकते हैं उनमें ही लोग नैऋत्य अफ्रीका में जाकर आपाद हो सकते हैं। जर्मन कालानियल सेक्रेटरी ने भी इस सबध में अपना अनुकूल मत प्रकट किया है। परन्तु वहा॒ स्थानिज सम्पत्ति कितनी है और कौन कौन सी है इसका विवरण जाने पिन्‌ उपराक्त मत ठीक है या नहीं यह बताना कठिन है। अतएव जर्मन लोगों को अधिकता के साथ उपनिवेशों में जाकर वास करना कुछ अधिक सुरक्षकर कार्य नहीं प्रतीत होता। इसका परिणाम यह होता है कि जो जर्मन लोग दश्छोड़ विदेश जाते हैं उन्होंने अपने देश को अतिम राम राम रख जाना पड़ता है, और इस प्रकार कार्य होने से जर्मनी को चलटी हानि ही उठानी पड़ती है। सन् १८७६ से सन् १९०६ तक अर्थात् तीस वर्षों में साढ़े याइस लाख जर्मन देश लोड़ कर विदेश चले गए। इनमें से बहुतों ने परराज्य और रास कर सुरुक्त राज्य

अमेरिका में जाकर अपना घर बनाया। सन् १८८७ से १९०६ तक जो जर्मन लोग विदेश चले गए वे नीचे लिखे राज्यों में जाकर आयाए हुए।

संयुक्त राज्य अमेरिका	१०,०७,५४१
ब्रिजील	२४,०७२
अमेरिका के अन्य प्रांत	३६,१८४
आस्ट्रलिया	५३९०
अफ्रीका	९६९८
एशिया	२२३३

कुल १०८९११८

इतने लोगों का देश छोड़ कर चला जाना राष्ट्र के लिये कितना हानिकारक है, यह बात सब जर्मन देशाभिमानी लोग जानते हैं। इस दुखद और शोचनीय स्थिति को दूर करने के लिये उपनिवेशों को बसाना ही चाहिए, यदि यह विचार जर्मन लोग करने लगे हैं तो उस देश के लोगों को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। सन् १९०८ के पहले ६ वर्षों में विदेश जानेवालों की सख्ती में कमी हुई है अर्थात् ६ वर्ष में केवल ३० हजार मनुष्य विदेश गए परन्तु वीस वर्ष पहले यह सख्ती प्रति वर्ष एक लाख से अधिक थी और इससे भी कुछ दिन पहले यह सख्ती प्रति वर्ष दो लाख से भी अधिक थी। परन्तु पुनः यह प्रवाह फिर न बढ़ेगा, यह इस समय कौन कह सकता है ?

परन्तु केवल यूरोप में ही जर्मन राष्ट्र की सीमा बढ़ाने

से, जर्मनी पर आया हुआ यह सफट टल जायगा, यह सभव नहीं है। जर्मनी में एक भाव यह भी पैदा हो गया है कि ससार भर में फैले हुए जर्मन लोग जर्मन सम्राट् के अधिकार में होने चाहिए और इस आदोलन को 'पान-जर्मनिक' आदोलन कहते हैं। परतु इस आदोलन का ध्येय सामने रखकर परिणाम कुछ भी हो परतु यह बात स्पष्ट है कि बढ़ती लाक्षण्या की कठिनाई जो आकर उपस्थित हुई है, वह इस आदोलन से दूर नहीं हो सकती। हा, इस समय यह कल्पना अवश्य की जा सकती है कि आस्ट्रो-हंगरियन राज्य में जर्मन भाषाभाषी जितने लोग हैं, वे उस राज्य की अपक्षा अधिक तर उत्तरी राज्य (जर्मनी) से आकर सम्मिलित हो सकेंगे। परतु सयुक्त राज्य अमेरिका तो दूर की बात है, पहोसी त्विट्जरलेंड में जाहर वसे हुए जर्मन भी पुनः अपने देश में आकर रहेंगे अथवा नहीं इसमें भी संदेह है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धात के अनुसार राज्य विस्तार करने में आवादी का प्रश्न जो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, उससे छुटकारा कैसे होगा ! और जो सापतिक कठिनाइयाँ इस समय आकर उपस्थित हुई हैं, उनका निपटारा कैसे किया जा सकेगा ?

दक्षिण ब्रेजिल में जो "जर्मन सेटलमेंट" है उसी प्रकार की सम शीतोष्ण आबोहवा में जर्मन लोगों को अपने अधीनस्थ अफ्रीका प्रदेश में "सेटलमेंट" स्थापित करना चाहिए। यह कल्पना अब जर्मनों में विशेष जोर पकड़ती जाती है और इस कल्पना के अनुसार कार्य आरम्भ होवे ही जर्मनी का प्रभाव, कर्तृत्व शक्ति, और व्यापार का प्रसार वहाँ पर

शीघ्रता के साथ होने लगेगा । एक जर्मन लेखक ने लिखा है कि—“समुद्र पार का यदि कोई देश किसी राष्ट्र के अधिकार में आ जावे और उस देश में अपने यहाँ की अधिक धावादी को आश्रय प्राप्त हो जाय तो इतने से ही कार्य सिद्ध हो गया यह समझना भूल है । क्योंकि ऐस देश के केवल अधिकार में आ जाने से ही उस राष्ट्र की शक्ति नहीं बढ़ जाती । आस्ट्रेलिया, केनेडा और दक्षिण अफ्रीका आदि उपनिवेशों के अगरेजों के अधिकार में होने से ही अथवा इंग्लैंड से गए हुए हजारों लोगों के बहाँ बस जाने से ही, इंग्लैंड की शक्ति नहीं बढ़ गई । तो फिर इंग्लैंड की शक्ति किस तरह पर पैदो ? उस देश में व्यापार करक इंग्लैंड ने अपनी सापतिक शक्ति को बढ़ाया और उस सापतिक शक्ति की सहायता से अपने शत्रु स वचाव करने की शक्ति प्राप्त की । जिन उपनिवेशों से यह लाभ प्राप्त नहीं होता वे उपनिवेश नीचे दर्जे के हैं और जिन देश से मुख्य राष्ट्र को इस प्रकार का लाभ अथवा महत्व प्राप्त नहीं होता उस देश को ‘उपनिवेश’ नाम देना ही उचित नहीं है । परतु यह बात अवश्य है कि उन देशों से भी जा कार्य निकलता है वह उपनिवेशों के कार्य की वरावरी का होता है, यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए ।”

धर्तमान समय में जर्मनी की हष्टि ब्रिजिल, आरजेटाइन और एशिया-माइनर इन तीन देशों की ओर है । इन तीन देशों में जर्मन व्यापार को कितना यश प्राप्त होगा यह बात भविष्यत् के गर्भ में छिपी हुई है । अतएव यहाँ उस विषय पर वाद

विवाद करने से कुछ लाभ नहीं है। व्यापार को किसी नई जगह पर जमाना कितना कठिन है, यह जर्मन लोग जानते हैं। बगदाद रेलवे तैयार होते ही नए बाजार की कुजी अपने हाथ में आजायगी और फिर शीघ्रतापूर्वक अपना व्यापार वहाँ फैल जायगा, इस बात का जर्मन लोगों का बहुत विश्वास है। उनकी यह कल्पना छिपी हुई अथवा अझात नहीं है। एक जर्मन लेपक ने तो इस विषय में यहाँ तक लिख दिया है कि—“टर्किश एशिया में, जर्मनी को भविष्यत् में बहुत कुछ लाभ प्राप्त होना सभव है। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के समाच, टर्की के यूरोप, एशिया-और अफ्रीका के राज्यों के हुक्मे हुक्मे कर डालने का द्वारा जर्मनों को नहीं है। टर्की राज्य की एक हाथ भर भी जर्मनी हमें नहीं चाहिए। हम तो कबल यही बाहते हैं कि एशिया मार्गर में हमारे लिये व्यापार ठा बाजार खुला रहे, हम अपने उनोग घघों की उन्नति के लिये वहाँ स क्षमा माल ला सके और हमारे देश का नना हुआ माल वहाँ के बाजारों में वराहर रिहता रहे। परन्तु इसी के साथ हम यह भी नहीं चाहते कि अन्य राष्ट्रों को वहाँ पर व्यापार करने की राह दोक की जाय, वरन् हम तो यह चाहते हैं कि हमारे ही समान अन्य राष्ट्रों के लिये भी वहाँ मुक्त वाणिज्य के सिद्धात का पचार बना रहे।” परन्तु इस विषय में जर्मन व्यापारी महङ्ग की क्या राय है, यह भी जान लेना चाहिए। “कलोन गजट” में इस सवध एक नार यह प्रकाशित हुआ था—“बगदाद रेलवे का अर्थ टर्की की हृषि

से तो यह है कि अन्य राष्ट्रों के व्यापार के लिये अपना एक प्रात खोल देना और जर्मन हृषि से उसका अर्थ यह है कि जर्मन मूल धन और व्यापार को एक नया क्षेत्र प्राप्त होना और वहां अपनी योग्यता का लोगों को परिचय देना । जर्मने व्यापारियों ने बगदाद रेलवे तैयार करने के लिये अमेरिका और फ्रेंच व्यापारियों से बहुत कुछ सहायता चाही परंतु उन्हे इस कार्य में यश प्राप्त नहीं हुआ । दूसरे दश के लाभ को हानि पहुँचेगी, यह तर्क उपस्थित करक एशिया-माइनर से अपना हाथ न्वीच कर जर्मनों पर इसका बार डालना हास्य-जनक बात है । जर्मन माल को विदेश में खपाना, और इसके लिये बाजार हूँड निकालना यह काम जर्मनी ने चार के अन्य देशों में भी अब तक किया है और टर्की में भी वह जो कुछ काम करना चाहती है वह इतना ही है ।” इसके बाद २४ मार्च सन् १९०८ को स्टेट सेक्रेटरी वान शून ने राइशटिंग में यह कहा या—“जर्मन लोगों ने बगदाद रेलवे बनाने का जो कार्य हाथ में लिया उसमें बहुत सा धन खर्च हो गया । अतएव जिस जिंस प्रांत से होकर वह रेलवे जायगी उस उस प्रात का व्यापार जर्मन लोगों के हाथ में रहेगा, इस पात का सुझे पूरा भरोसा है । परंतु रेलवे के कारण को समुद्र रख कर उस उस प्रात में राजनैतिक कार्यों का आरभ करना अथवा भविष्यत् में उसे अपना उपनिवेश बनाना, यह आक्षय जो लोग जर्मनी पर करते हैं, यह केवल उन लोगों के मन की कल्पना भाव है ।”

अपर जो अवतरण बगदाद रेलवे के सधघ में दिए

गई हैं, उनसे धगदाद रेलवे का स्वरूप क्या है, यह बात पाठकों के ध्यान में आ गई होगी। परतु इस विषय में एक प्रश्न हमारी समझ में और आवा है जिसकी ओर जर्मन राजनीतिहों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह प्रश्न एक जर्मन सज्जन के कल्पनात्मकार यह है कि सुकाल के समय इस नवीन रेलवे द्वारा एक टन (२८ मन) अनाज चार पौँड पाच शिलिंग के भाव से जर्मनी में आकर पहुँचेगा। धतएव अनाज की इस आमद का जर्मन किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? व्यवसाय बाणिज्य और छपि काच में जो विरोध वर्तमान समय में मौजूद है क्या इस कार्य से यह विरोध और अधिक न वडेगा ? हमारी हाटि में यह प्रश्न वडे महत्त्व का है। परतु इस प्रश्न का निर्णय करना जर्मन राजनैतिक पुरुषों का काम है, हमें इस प्रश्न पर विचार करने से कोई लाभ नहीं है।

एशिया माझनर अथवा ससार के अन्य भागों में इस पद्धति द्वारा केवल व्यापार के लिये यदि जर्मनी ने प्रयत्न किया तो उसके साथ किसी दूसरे देश का विरोध करने अथवा विपरीति विचार उत्पन्न होने का कोई भय न रह जायगा। यदि स्वर्धा होगी तो केवल परस्पर के बुद्धिवल, व्यापार सबधी उत्साह और साधनों की अनुकूलता के सबध में। ससार के सभ राष्ट्रों न व्यापार के सबध में "मुक्त द्वार" के सिद्धात को स्वीकार कर लिया है, और इससे प्रत्यक राष्ट्र को व्यापार से बहुत लाभ पहुँचा है। इलैंड के समान ही व्यापार द्वारा धन प्राप्त करने का अवसर अन्य राष्ट्रों को भी

मिला है। जर्मनी ने यदि इंग्लैंड का यह सिद्धांत स्वीकार भी किया तो उपरोक्त घताई हुई स्पर्धा से परस्पर विरोध बढ़ने का कोई विशेष कारण नहीं समझ पड़ता। सन् १९०७ में इंग्लैंड के समाचारपत्रों के सपादक बर्लिन गए थे। वहाँ एक सभा में वृटिंग सरकार और वृटिंश लोगों को लक्ष्य करके विदेशी विभाग के अड्डेर स्क्रेटरी ने जो बक्सरूना दी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अन्य राष्ट्रों के लगान हो “मुक्तद्वार” की पद्धति जर्मन सरकार को भी पसंद है। इस आयोजन न परस्पर व्यापार सबधी अहभाव तो नष्ट न होगा, परतु द्वा, आपस का विरोध बहुत कुछ मिट जायगा।

ऊपर घताप्र मुा “वेल्ट पालिटिक” का एक और भी प्रभाव पढ़ेगा, जिसका चिचान अभी नहीं किया गया क्योंकि इस बात का इंग्लैंड से बहुत निकट स्वधेर है। जर्मनी की नदीती हुई आवादी के लिये यदि नवीन बाजार की आवश्यकता है तो उसी के साथ सामुद्रिक शक्ति बढ़ाना भी उसके लिये अनिवार्य है क्योंकि, इसीकी उन्नति से विनारोक टोक समुद्र पार के देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। इतना ही नहीं जब जब जर्मनों ने विदेशी अनाज की आवश्यकता होगी तब तब सामुद्रिक शक्ति की सहायता से जर्मनी में विदेश से अनाज आसकता है और उससे जर्मनों का पेट पालन हो सकता है। “वेल्ट पालिटिक” का जर्मन लोगों में एक सिद्धांत और है। वह यह है कि जर्मनी में भिन्न भिन्न राजपक्ष हैं और उन में आपस में कलह भी खुल होती है। परतु समुद्र पार जर्मन

राज्याधिकार बढ़ना चाहिए, इस विषय में सब पक्ष के लोगों का राष्ट्रीय दृष्टि से एक मत है, यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए ।

समुद्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जर्मन राष्ट्र के दो उद्देश्य हैं । पहला व्यापारिक और दूसरा राजनैतिक । पहले उद्देश्य के सबध में डाक्टर पालसन ने लिखा है कि—“यूरोप के बाहर यूरोपियन राष्ट्रों का विस्तार करने के काम में जर्मनी बहुत प्रयत्नशील हो रही है । वहाँ के कारखानों में वहिसाब माल तैयार होने लगा है और विदेशों में उसका व्यापार बढ़ रहा है । समुद्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना और अन्य राष्ट्र द्वारा उस प्रभुत्व को नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न फरना, इस ओर जर्मन राष्ट्र का वित्त आकर्षित हुआ है । व्यापार और व्यवसाय में जर्मनी ने अपने को दूसरे नवर पर लाकर खड़ा कर दिया है । इर्लैंड का नवर ही उसके ऊपर है । परंतु पहले और दूसरे नवर में बहुत कुछ अतर नहीं है और जो कुछ थोड़ा बहुत अतर रह गया है वह भी धीरे धीरे कम हो रहा है । अपनी इस स्थिति को बनाए रखने के लिये समुद्री सैनिक शक्ति को बढ़ाने के उद्योग में ही सारे राष्ट्रों का ध्यान आज कल आकर्षित रहता है ।

ऊपर जो दूसरा राजनैतिक उद्देश्य बताया गया है उस का भी स्पष्टीकरण एक प्रकार ने इस प्रकार किया है—
“जो राष्ट्र इससे आगे हैं उनके मुकाबले में पहुँचना अथवा जो स्थान इसने खो दिया है उसे प्राप्त करना, यह कार्य सब

राष्ट्रों को मिल कर करना चाहिए अधिका नहीं ? इसी प्रकार जो राष्ट्र बीसवीं शताब्दी और उसके बाद का इतिहास ससार के सामने उपस्थित करेग, उसमें योग्य स्थान प्राप्त करन का प्रयत्न करना चाहिए अधिका दूसरे नदर पर ही चुपचाप थैठे रहना चाहिए ? यह प्रश्न वर्तमान समय में हम लोगों के सामने उपस्थित है । ”

“ इपीरियल कास्टिट्यूशन ” (साम्राज्य सबधी व्यवस्था के नियम) के तिरपनवें नियम में जर्मन समुद्री सेना, स्वयं जर्मन सम्राट् की दख रेख में कार्य करे, ऐसा निश्चित किया गया है । अतएव समुद्री सैनिक व्यवस्था का कार्य स्वयं जर्मन सम्राट् करते हैं । इस कार्य के सपाइनार्थ कौन सा मार्ग प्रहण करना चाहिए, उसे वे स्वयं अपने इच्छानुसार निर्धारित करते हैं और जब तक वे राज्याधिकारारूढ़ रहेंगे तब तक वे अपने उद्देश्य को कभी बदलनेवाले नहीं हैं । जर्मनी का समुद्र पर हित सबध, विदेशी व्यापार, उपनिवेशों का राज्य, विदेश गए हुए जर्मन नागरिक, स्वदेशी किनारों और बदरों की रक्षा, इन सब वातों का महत्व स्वयं सम्राट् को अच्छी तरह ज्ञात है और इसक लिये समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रबल प्रयत्न करने में वे कभी प्रमाद से काम नहीं लेंगे ।

१८ जनवरी सन् १८९६ को जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुए २५ वर्ष पूरे हो गए अतएव उस दिन जो आनदोत्सव मनाया गया उस अवसर पर जर्मन सम्राट् ने जो महत्वपूर्ण पातें कही थीं उनमें से कुछ ये हैं—“जर्मन साम्राज्य की

व्यापकता ससार भर में हो रही है। भूगोल के हर एक भाग में हमार हजारों देश बाध्व जाकर निवास कर रहे हैं। जर्मनी का माल, जर्मनी का ज्ञान, जर्मनी का साहस, समुद्र को पार कर के बहुत दूर तक पहुँच गया है। लाखों करोड़ों लोगों का माल जर्मनी समुद्र पर स बाहर ले जाती है। इस बड़ी जर्मनी को मूल की छोटी जर्मनी से मिलाकर एक जीव कर दना, लोगों का पवित्र कर्तव्य है। ” सन १८९७ में एक वार उन्होंने फिर भी कहा था—“ सार्वभौम अधिकार और समुद्र पर अधिकार, ये दोनों परस्परावल्वी हैं। एक के गाथ्य तिना दूसरा ठहर नहीं सकता । ”

जर्मनी के पिंडेश से होनेवाले व्यापार के लिये अथवा उपनिवशों में राज्य करने के लिये समुद्री शक्ति का घड़ाया जाना बहुत जरूरी है, यह यात जर्मन सम्राट् बहुत दिनों से कह रहे हैं। परतु इसके अतिरिक्त वे दूर दृष्टि से यह भी देख रहे हैं कि ससार के सुख्य राष्ट्रों में जर्मनों की गणना तभी हो सकती है जब उसका समुद्र पर पूर्ण अधिकार हो। जुलाई सन १९०० ईस्वी में उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा था—‘अपने राष्ट्र के द्वार पर समुद्र की लहरें जोर से आ कर टकरा रही हैं। ससार के अन्य राष्ट्रों में अपने को जो नया स्थान प्राप्त हुआ है, उसे त्याग करने की आवश्यकता नहीं है और इस बात को जौर भी सरल भाषा में यों कह सकते हैं कि सारे ससार पर आक्रमण करने की राजनीति को स्वीकार करना चाहिए। समुद्र की वे लहरें मानों हमें इसी शान की सूचना दे रही हैं। जर्मनी के वैभव के लिये समुद्र

की सहायता अवश्य चाहिए परतु वह समुद्र हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि 'मेरे पृष्ठ भाग पर अथवा मेरी मर्यादा जहा समाप्त होती है वहा तक के प्रदेशों में, यदि कोई महत्व पूर्ण राज-कारण होगा तो जर्मन अथवा जर्मन सम्राट् के बिना उसके होने को कोई आवश्यकता नहीं है।' राज घराने के पुरुषों के अधीन रह कर तीस वर्ष पहले जर्मन लोगों ने अपने जीव होम कर, युद्ध में, जो यश सपादन किया था आर विदेशीय महत्व के कामों में 'जो चाले चली जा रही हैं उसने सुझे एक किनारे रख दिया है, ऐसा सुझ विश्वास नहीं आता। ऐसे कामों में यदि लोग सुझे एक ओर रख दें तो जगद्व्यापी अधिकार स्थापित करन की महत्वाकांक्षा का अत ही समझना चाहिए।' परतु इस प्रकार का अत मैं कभी होने न दूँगा। यह सक्ट दूर करने के लिये सब प्रकार के उपायों की—आवश्यकता पड़ने पर—अतिशय कठिन उपायों की योजना करना, मेरा फर्तव्य होगा, इतना ही नहीं सम्राट् के नाते, सुझे यह अधिकार है, यह भी मैं समझता हूँ।"

ऊपर जो कुछ कहा गया है उस पर टीका टिप्पणी करना अथवा उसका भावार्थ समझाने के लिये अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जर्मन राष्ट्र की जल और स्थल दोनों पर प्रभुता बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को जर्मन सम्राट् कभी लोगों से छिपा कर रखना नहीं चाहते। मार्च १९०५ में जर्मन सम्राट् ने ब्रेमन स्थान में भाषण करते हुए कहा था—“एक बड़े युद्ध में यदि जर्मनी को यश प्राप्त हुआ

तो भी मेरे इस जीवन काल में वाल्यावस्था से लेकर अब तक समुद्र-प्रवासी जर्मनों को किसी प्रकार का घटपन अथवा बैमन प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय में हमारे पूर्वजों ने जो कार्य कर दिखलाया है उस संघ में तर्कशास्त्र की सहायता से किसी बात का अनुमान करने के लिये हम तैयार नहीं हैं। उन्होंने आवश्यकतानुसार देश में सेना तैयार की थी। परतु समुद्री सेना तैयार करने का कार्य हमारे राजत्व-काल में आकर संपादित हुआ है। अब तक कुछ लड़ाऊ जहाज तैयार किए गए और कुछ तैयार हो रहे हैं। जो जहाज तैयार हो गए हैं वे समुद्र पर अपना कार्य संपादन कर रहे हैं। समुद्र में तैरता हुआ प्रत्येक जर्मन लड़ाऊ जहाज, पृथ्वी पर शाति स्थापित करने के काम में एक प्रकार से लोगों को अभय प्रदान करता है। हमके अतिरिक्त इन जहाजों द्वारा हमारे शत्रु हम से बदला देने या मुकाबला करने के काम में ही प्रयुक्त न होंगे वरन् हमारे साथ र्नेह संपादन करना ही अपने लिये लाभदायक समझेंगे।”

समुद्री सेना और लड़ाऊ जहाज बढ़ाने का विचार जर्मन सम्राट् का आज का नहीं है। यह उनका विचार पहुत पुराना है। इस सकल्प की पूर्ति के लिये वे पहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। परतु उन्हें पहुत समय तक इस कार्य में यश प्राप्त नहीं हुआ। अब कुछ दिनों से उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिये अवसर प्राप्त हुआ है। सन् १९०० में जर्मन पार्लियामेंट ने नए समुद्री ऐनिक विभाग को पहुत सा धन प्रदान करके लड़ाऊ जहाज तैयार करने की आज्ञा दी

की सहायता अवश्य चाहिए परन्तु वह सुदूर हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि 'मेरे पृष्ठ भाग पर अथवा मेरी मर्यादा जहाँ समाप्त होती है वहा तक के प्रदेशों में, यदि कोई महत्व-पूर्ण राज-कारण होगा तो जर्मन अथवा जर्मन सम्राट् के बिना उसके होने की कोई आवश्यकता नहीं है।' राज घराने के पुरुषों के अधीन रह कर तीस वर्ष पहले जर्मन लोगों ने अपने जीव होम कर, युद्ध में, जो यश सपादन किया था आर विदेशीय महत्व के कामों में जो चाले चली जा रही हैं उसने मुझे एक किनार रख दिया है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं आता। ऐसे कामों में यदि लोग मुझे एक और रख दें तो जगद्व्यापी अधिकार स्थापित करन की महत्वाकाश्चा का अत ही समझना चाहिए। परन्तु इस प्रकार का अत मैं कभी होने न दूँगा। यह सफ्ट दूर करने के लिये सब प्रकार के उपायों की—आवश्यकता पड़ने पर—अतिशय कठिन उपायों की योजना करना, मेरा कर्तव्य होगा, इतना ही नहीं सम्राट् के नाते, मुझे यह अधिकार है, यह भी मैं समझता हूँ।"

ऊपर जो कुछ कहा गया है उस पर टीका टिप्पणी करना अथवा उसका भावार्थ समझाने के लिये अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जर्मन राष्ट्र की जल और स्थल दोनों पर प्रभुता खड़ाने की महत्वाकाश्चा को जर्मन सम्राट् कभी लोगों से छिपा कर रखना नहीं चाहते। मार्च १९०५ में जर्मन सम्राट् ने ब्रेमन स्थान में भाषण करते हुए कहा था—“एक घड़े युद्ध में यदि जर्मनी को यश प्राप्त हुआ

इस आदोलन को कितना बढ़ प्राप्त हो गया है, यह बात अच्छी तरह जान लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सैनिक शक्ति पर भरोसा रखनेवाले कुछ आततायी लोगों को छोड़ कर अन्य लोगों के मुख से इस आदोलन के सबध में बढ़ाई जाया अन्य राष्ट्रों के मन में भय उत्पन्न करने योग्य कोई भी शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ते। परंतु तो भी जर्मन राष्ट्र के सब लोग, एकमत हो कर, इह निश्चय के साथ इस आदोलन में भाग ले रहे हैं, यह बहुत महत्व की बात है। समुद्री सैनिक शक्ति सार्वभौम अधिकार की कुजी है अब जारी सार्वभौम सत्ता के साथ साथ समुद्री सैनिक शक्ति बढ़ती है अतएव इन दोनों अधिकारों का एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ सबध है। इसलिये जर्मनी के सारे विद्वविद्यालय, अपना प्रभाव इस आदोलन को यशस्वी बनाने के काम में डालते रहते हैं। नेवी पार्टी अर्थात् मासुद्रिक शक्ति बढ़ाने के पक्ष पाती लोगों को बड़े बड़े कारखानेवालों और व्यापारियों की सहायता प्राप्त है। समाचारपत्र इस विषय पर महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करके लोकपत तैयार करने को सदा तत्पर रहते हैं, और जर्मन पार्लियामेंट में समय समय पर इस विषय पर स्थित करनेवाले बहुत से सभासद भी मौजूद हैं। इसी नहीं सदा शगड़ा उपस्थित करनेवाले सोशियालिस्ट १ तंत्र रहते रहते हैं कि समुद्री शक्ति बढ़ाई की ओर आजकल जर्मनी में कितनी पर कितना प्रभाव जमा हुआ है,

और उसी समय से इस ओर विशेष रूप से सम्राट् के इच्छा-
नुसार कार्य भारभ हुआ। भारभ में तो यह कार्य बहुत
धीरे धीरे होता रहा परतु सन् १९०६ से जोर के साथ
चलाया गया। जर्मनी में सैनिक जहाजों के बनाने के
काम में कितना प्रयत्न हो रहा है इसका पता केवल इसी
एक बात से लग जाता है कि अब तक इस कार्य में जर्मन
राष्ट्र का कितना धन व्यय किया जा चुका है। सन् १८८८
में इस काम पर पैंतीस लाख पौँड खर्च हुए। इसके बाद
दस वर्षों में और पचास लाख खर्च हुए। इसके पश्चात
प्रति वर्ष दो करोड़ दस लाख पौँड खर्च होने लगे। इस रकम
में से आधी रकम तो नए जहाजों के बनाने में खर्च होन
लगी। सन् १८८८ में समुद्री सेना विभाग में अधिकारी और
खलासी मिलकर १५ हजार भेदमी थे परतु सन् १८९८
में यह सख्त्या बढ़ कर २३ हजार हो गई और सन् १९०८
में यह सख्त्या ५० हजार से भी ऊपर पहुँच गई थी।

सैनिक जहाजों की सख्त्या बढ़ाई जानी चाहिए, इस विषय
में अब भिन्न भिन्न राजकीय पक्ष के सब लोग एकमत हो
गए हैं। रोहिकल पक्ष के लोग सबा यह कहते रहते हैं कि खर्च
में कुछ कमी होनी चाहिए। अधिक क्या कहें, उपनिवेशों को
अधिकार में रखने से राष्ट्र को अधिक खर्च करना पड़ता है,
अतएव उन्हें छोड़ देना चाहिए, यह कहने में भी वे लोग
कभी संकोच नहीं करते। परतु इतनों होने पर भी वे
लोग समुद्री सैनिक शक्ति को बढ़ाने के पक्ष में हैं, यह बात
भ्यान में रखने योग्य है।

कुछ लोकमत अनुकूल तैयार हो जाने से सरकार को किसी हार्य के आरंभ कर देने में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ती । और सरकार भी डीग द्वारा दी हुई सूचनाओं को जहा तक वह स्वीकार कर सकती है, वहा तक स्वीकार कर लेने में कभी आगा पीछा भी नहीं करती ।

एक प्रभावशाली जर्मन समाचारपत्र ने एक अवसर पर यह प्रकाशित किया था—“जर्मनी की समुद्री शक्ति कभी तो इंग्लैण्ड की समुद्री शक्ति के बराबर होगी, यदि यह कल्पना आज जर्मन लोगों की नहीं है तो उनसे बढ़ कर हमारी शक्ति कथ हो जायगी ऐसी आशा करने के लिय और स्थान ही कहा बाकी है ?” उसका यह कथन आज भी सभव है सच हो, परन्तु कुछ वर्षों के बाद स्थिति कैसी होगी, यह आज कौन कह सकता है ? जर्मनी का वर्तमान समय का आदोलन बीच में ही बद हो जायगा, यह बात सभव नहीं मालूम होती । जब तक घनबल की अनुकूलता है तब तक अपनी नाविक शक्ति बढ़ाने के काम में जर्मन बीछे पैर नहीं हटा सकते । ऐसी दशा में “हमने अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाई तो भी उससे अन्य राष्ट्रों की शक्ति भग होने का जरा भी भय नहीं है ।” इन कोरी बातों से अन्य राष्ट्रों का समाधान कैसे होगा ? अँगरेजों का इस उपदेश से समाधान नहीं होता, यह बात तो प्रत्यक्ष ही है । अतएव जर्मन लोगों की इस उच्छृखल, दृक्षि को किस प्रकार देखा जाय, इस सवध में अँगरेज लोग सदा विचार किया करते हैं । इंग्लैण्ड की इस चिंता को देख कर जर्मनी के एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था कि—

“समुद्री शक्ति के प्रश्न पर इग्लैंड से बाद विवाद उपस्थित होते ही जर्मनी का नाम क्यों आगे रखा जाता है ? जर्मन सरकार ने अपना भत सब लोगों के जानने के लिये पहल से ही प्रकट कर दिया है । जर्मन राइस्टाग भी उस विचार से सहमत है । नए जर्मन ‘‘नेवी विड’’ द्वारा निश्चित की हुई योजना को काम में न लाया जावे, ऐसी इच्छा इग्लैंड बर्लिन में प्रगट नहीं कर सकती । फ्रास और जापान से स्नेह सपादन करके और रूस को भी अपनी ओर मिला कर, यदि जर्मनी न एक रणपोत तैयार करने का निश्चय किया तो इन तीनों राष्ट्रों के मिला कर दो युद्धपोत तैयार होने चाहिए, यदि ऐसा इग्लैंड ने निश्चय किया और निश्चय के अनुसार कार्य करने पर इग्लैंड का अधिक धन खर्च हुआ तो उसके अपयश का टीका जर्मनी के माथे क्यों लगाया जाता है ?”

बड़े बड़े रणपोतों को तैयार करने की कल्पता धीरे धीरे जर्मनी में कितनी प्रवल हो उठी है, इस बात पर जिन्होंने ध्यानपूर्वक विचार किया है वे सहज ही में जान सकते हैं कि जर्मनी की बढ़ती हुई आधादी और विदेशी व्यापार इन दोनों कठिनाइया के कारण जर्मन लोगों के मन में जो भय उत्पन्न हुआ है उसे देखते हुए, यह कोई विचारशील पुरुष नहीं कह सकता कि जर्मनी अपनी पुरानी समुद्री शक्ति के सबध में, निर्धारित नीति पर ही सदा चलती रहेगी । इस सबध में बहुत से अंगरेज लोग यह आक्षेप करते हैं कि भविष्यत् काल की कठिनाइयों की कल्पना करके जर्मन राष्ट्र आज कल बिना कारण ही घोर बिता में हूबा हूबा है । परन्तु दूरदर्शिता और

बुद्धिमत्ता का यह पहला लक्षण है। राजकाज में प्रति क्षण नई कठिनाइयाँ और नए सकट उपस्थित होने पर उसी समय नित नए राजनीतिक सुधार किए जावें अर्थात् “प्रधीप्ते भवने तु कृपयनन” नीति को जर्मन लोग स्वीकार न करें तो फिर उन्हें किस सुख से दोषी ठहराया जाय। सन् १८७१ में जो विजय जर्मनी ने प्राप्त की उससे पहले ही जब जर्मनी ने यह घापण प्रचारित की थी कि हर एक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा पानी चाहिए, उसी समय वह विजय प्राप्त हो चुकी थी। आजकल औद्योगिक बातों में जर्मनी का जो विकास हुआ है उसकी नींव अठारहवीं शताब्दी में अर्थात् प्रशिया और साक्सेन ने जब अनिवार्य शिक्षाप्रचार की घाषणा की थी उसी समय पढ़ चुकी थी। जर्मनी के नगरों की व्यवस्था जो आजकल दिखाई पड़ती है, उस का बीज आज से सौ वर्ष पहले ही बोया जा चुका था। इन सब उदाहरणों को ध्यान में रख कर भावी सकट को दूर करने के उपाय जर्मन राजनीतिज्ञ अभी से सोच रहे हैं, यह उचित ही है। इस विषय में जर्मन लोगों का मत “क्लोन गजट” ने इस प्रकार स्पष्ट प्रकट कर दिया है—“लङ्घाऊ जहाज तैयार करने का जो कार्यक्रम है उसे जरा कम करो,—यदि यह बात अगरेज लोगों से दम कहूँ तो वे क्रोधित होकर चलने लगते हैं। इसी प्रकार जर्मनी का अपना नाविक कार्यक्रम इस प्रकार रखना चाहिए, यह कहने का प्रेट बूटेन को कहा से अधिकार प्राप्त है, इस बात का हमें तो पता नहीं चलता, कृपा कर इसे इग्लैंड को ही बताना चाहिए ?”

जर्मनी का यह पक्ष और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में कहते नहीं बनता। उनका यह पक्ष प्रवल है, अतएव इस विषय में अधिक वाद विवाद करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। समुद्र पर जर्मनी की शक्ति बढ़ने से इंग्लैण्ड के हित-संवध को विशेष घफ़ा पहुँचना सभव है। यह बात सच है, परन्तु तो भी इंग्लैण्ड को शातिपूर्वक और निर्विकार बुद्धि से यह देखना चाहिए कि अपने लाभ और स्थिति के अनुसार इस राजनीति को स्वीकार करने का जर्मनी को पूरा अधिकार है। यह बात एक बार स्थिर छर लेने पश्चात् इंग्लैण्ड सुरक्षित रह सकती है और दोनों देशों को लाभ पहुँच सकता है। जर्मनी को जो उचित जान पड़े, उसी के अनुसार उसे चलना चाहिए और इंग्लैण्ड फो जिसमें अपना लाभ दियाई पड़े वह काम करना चाहिए, इस तत्व पर कार्य करने से इंग्लैण्ड को अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाने में अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। और इस कारण प्रजा पर अधिक कर लगाने के लिये वाध्य होना पड़ेगा। परन्तु इसके लिये उपाय क्या है ? किस हेतु से बृटिश राजनीतिज्ञ अपनी समुद्री शक्ति बढ़ा रहे हैं यह बात जनता के ध्यान में आते ही देश-कल्याण की दृष्टि से अधिक कर का बोझा उठा लेने में बृटिश लोग कभी आगा पीछा न करेंगे।

अठारहवाँ अध्याय ।

उपनिवेश ।

छुपनिवेश स्थापित करने का उद्योग जर्मनी में बहुत समय से हो रहा है, यह बात बहुत से जर्मन इतिहास लेखक कहत हैं। परन्तु उनके इस कथन में कुछ भी सार नहीं है। यदि यथार्थ दशा टेक्सी जाय तो यह बात होगा कि उपनिवेशों की ओर जर्मनी का ध्यान केवल पचीस तीस वर्ष से ही आकर्षित हुआ है। वर्तमान उपनिवेशों में सबसे पुराना उपनिवेश स्थापित करने का यश हर ल्युडेरिट नामक ब्यापारी को प्राप्त है। सन् १८८० में इस ब्यापारी न ब्रेमन के राजा से सुलह करके अफ्रीका के नैर्मत्य किनारे पर अप्रा पेकेना (Angra Pequena) नामक खाड़ी के पास का कुछ प्रदेश हस्तगत किया और इस काम में सरकारी सहायता पाने के लिये विनय की। उसकी विनय की ओर सरकार ने बहुत समय तक तो ध्यान ही नहीं दिया। अत में बृटिश सरकार के एजट ने इस कार्य में हस्तक्षेप किया। यदि उस समय बृटिश राज्य की ओर से हस्तक्षेप न किया जाता तो और कुछ दिनों तक उपनिवेश स्थापित करने की ओर जर्मनी का ध्यान कभी नहीं जाता। इतना ही नहीं, इस काम में पटकर नेया शगड़ा उत्पन्न करने की जो प्रयुक्ति दिखाई पड़ती है वह भी न दिखाई पड़ती। एक जर्मन नागरिक न सरकार से सहायता मांगी, उस इतना ही आधार लेकर प्रिंस

विस्मार्क ने इस ओर ध्यान दिया और इग्लेंड के साथ उत्पन्न हुआ विवाद शीघ्र नहीं मिट्टा जब उन्होंने यह देखा तब उन्होंने स्युडेरिट का प्राप्त हुए प्रदेश को जर्मन सरकार के अधिकार में किए जाने की सूचना प्रकाशित कर दी। इस सूचना के प्रकाशित होते ही इग्लेंड द्वारा उपस्थित किया हुआ विवाद जहा का तहा रुक गया। इस प्रकार ऑरेज नदी से केप फ्राया तक बालफिश खाड़ी को निङाल कर समुद्र के किनारे का प्रात जर्मनी को प्राप्त हो गया। इसके बाद दो वर्षों में ही अफ्रीका और पैसिफिक महासागर में जर्मन उपनिवेशों का विस्तार ३,७७,००० वर्ग मील अर्थात् जर्मनी के दूने रक्व के बराबर हो गया। इस रक्वे मे १७,५०,००० मनुष्य जर्मनी के आश्रय में निवास करते हैं।

इस प्रकार केवल दो ढाई वर्ष में ही उपनिवेशों के स्थापित करने के राम में जर्मनी को बहुत कुछ यश प्राप्त हुआ। परतु उसका यह प्रयत्न क्षणिक था। कोई नियमवद्ध आदोलन नहीं हुआ और न यही निश्चय हुआ था कि जो लोग स्वदेश छोड़ कर जावें वे जर्मन सरकार की रक्षा में ही निवास करें। परतु जिस क्षणिक कार्य ने जर्मनी में जागृति उत्पन्न कर दी थी उसका प्रवाह दिनों दिन बढ़ता ही गया और थोड़े समय बाद ही देश में चारों ओर उपनिवेशों को स्थापित करने की आवाज सुनाई देने लगी। इस नवीन आदोलन ने सबों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया। किसी राष्ट्रीय आदोलन का आरम्भ होने से उसका सर्वांग जर्मनी के समाज मनोविकाराधीन और उत्साही जाति में

शीघ्रता से जड़ पकड़ लेता है। वही दशा यहाँ भी हूँई। उपनिवेशों का प्रश्न कितना व्यापक है, उसके सबध में भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इन बातों का यथार्थ अनुभव किसी को हुआ था अथवा नहीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इस विषय में लोगों की मनोवृत्तियाँ एक दम उच्छ्रूतित हो गई। व पागल के समान हो गए। ऐसी दशा में सत्तमतापूर्वक विचार करने की ओर ध्यान देने-गाले विचारों की भला कहा गुजर हो सकती है ?

प्रिम विस्मार्क की सहायता से उपनिवेशों के आदोलन का राम आरम हुआ और शीत्र ही उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। परन्तु इस सबध में यह बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि उस महामति के मत में स्वत इस काय क सबध में अधिक अद्वा न थी। सन् १८९९ में अर्थात् उपनिवेशों का आरम होने के सब्रह वर्ष वाद उन्होंने यह कहा था — “उपनिवेश हमें नहीं चाहिए, अब तक हमारा यहो कहना है !” यदि व अपने मतानुसार कार्य करते तो बहुत कुछ सभव था कि वे इस प्रश्न की ओर ध्यान ही न देते। समस्त देश में ही देश को स्थावर करना ही उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य था। इसी के अनुसार जर्मनी को कार्य करना चाहिए और अधिक देशप्राप्ति के प्रयत्न में न पड़ना चाहिए, सन् १८७१ से वे इसी नीति तत्त्व का प्रचार करते रहे। जर्मनी की सत्ता दूर देशों में स्थापित करने की अनिश्चित योजना के पीछे लगने का समय नहीं है और यदि ऐसा किया जायगा तो बहुत कुछ हानि पहुँचने की सभावना

उनके ये विचार संयुक्ति और राजनीतिक्षणा से भरे हुए थे। यदि उनके विचारानुसार उपनिवेशों की राज्यव्यवस्था का प्रबंध किया गया होता तो जर्मन राष्ट्र का बहुत कुछ कल्याण होता और इस काम में आगे चलकर जिस अपयश और निराशा का सामना करना पड़ा, उसका सामना न करना पड़ता।

जर्मन स्वभाव और राजकीय विचार के केवल बाह्य स्वरूप पर मुग्ध न होकर यदि जरा गहरा विचार किया जाय तो यह बात मालूम हो जायगी कि जब से उपनिवेशों के आदोलन का कार्य आरम्भ जब से हुआ तब से सारे जर्मन राष्ट्र के लोगों को अत्यत आनंद प्राप्त हुआ। वे इस काम की पीछे विलक्षुल पागल बन गए थे। परन्तु इस कार्य के आरम्भ होने के दस पाच वर्ष बाद ही वे इस काम से इतने उदासीन हो गए कि सन् १९०७ के निर्वाचन के समय कालोनियल सेकेटरी हर डर्नर्थर्ग को यह उपदेश देना पड़ा कि “इस काम में इतनी उदासीनता न दिखानी चाहिए।”

लोगों का उत्साह क्यों नष्ट हो गया, इसका भी कारण जान लेना बहुत जरूरी है। इस तरह इतोत्साह होने के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ पर तो जर्मनी के औपनिवेशिक राज्यों का भविष्य बहुत कुछ अवलोकित है। और पहले पर से, की अपेक्षा उदाचित् अधिक अनुकूल परिस्थिति हुई तो भी उपनिवेशों को जर्मनी को पूर्ण यश प्राप्त होगा अथवा नहीं, यह संदेह करना उचित नहीं है तो भी संदेह उत्पन्न हुए थिना नहीं रहता।

हाकने का प्रयत्न किया गया । यदि यह कल्पना ठीक होती और उपनिवेशों में भी विना किसी कठिनाई या आपत्ति के राज काज चलता तो वहां शाति देवी का अटल राव्य हो जाता और लोगों की सापत्तिक उन्नति भी खूब होती । परंतु इनमें से एक भी घात अनुभव से सिद्ध नहीं हुई । इस विषय में नए कालोनियल सेकेटरी से पहले जो भूले हुई हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—“उपनिवेश स्थापित करने के काम में जर्मन लोग निश्चयोगी और निकम्मे हैं, ऐसा लोग कहते हैं । परंतु हम लोगों के हाथ से एसा निकम्मा काम न्यों हो ? हमलोग क्या व्यापार में निकम्मे हैं ? खलासियों का काम करना क्या हमें नहीं आता ? समुद्र पर क्या हमने अपना व्यापार बहुत थोड़ा बढ़ा पाया है ? रणभूमि पर क्या हमने कभी पीठ दिखाई है ? इतना होकर भी उपनिवेशों के कार्य में हमारा थोड़ा आकर कहा रुक गया है ? इसका उत्तर यह है कि इस कार्य में यश सपादन करने के पहले कुछ राष्ट्रों ने जिस प्रकार कितने ही दिनों तक उस्मेद्वारी की थी, वैसी हमलोगों ने कभी नहीं की । अन्य विषयों में हमने अधीक्षणा प्राप्त की परंतु उधरके लिये आरम्भ में हमें कितना अच्छा रना पड़ा है ! उपनिवेशों का स्थापित करना वज्रों - द्वे । यह भी एक विद्या है । और यह विद्या व्यवहार में - उपयोग किस प्रकार किया एक वज्र है । यह विषय, किसी भूमि पर इयानों को सुनकर जथवा नहीं हो सकता । इसके

भी व्योरा न मिलने से ठीक पता नहीं बताया जा सकता। परतु स्वयं उपनिवेश निवासियों अथवा उनके लिये औरों से युद्ध करने में प्राणदानि घटूत ही अधिक हुई है, यह कहने में भी कुछ हर्ज नहीं मालूम होता ।

इसके अलावा एक बात और है। उपनिवेशों का राज काज चलाने के नियम और उन नियमों के अनुसार काम करनेवाले अधिकारियों को नियत करना, लोगों के सुख की ओर ध्यान दक्षर नहीं किया जाता। इस काम में प्रिंस विस्मार्क ने जो नीति निश्चित कर दी थी अर्थात् उपनिवेशों की व्यवस्था व्यापारी मण्डल के हाथ में देनी चाहिए, उसे त्याग कर सरकार ने जो अधिकारी नियत किए वे बर्लिन की आबोहवा में पले पोसे थे, अतएव उन्होंने बहा जाकर कहाई के साथ राज्यशासन का कार्य आरभ किया, और वृहत् बर्लिन के स्वरूप के छोटे छोटे बर्लिन अफ्रीका और पैसिफिक महासागर के घटूत से भागों में स्थापित किए ।

पहले विद्या पञ्चात् उसका व्यावहारिक उपयोग, यह क्रम जर्मनी ने अपने सारे भौतिक कारों में जारी कर रखा है। परतु इस विषय में उसने अपना सदा का यह क्रम परिस्थापन कर दिया। उपनिवेशों के विषय में उसे पहले कहीं भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था। जर्मन राज्य का इतना बड़ा राज काज उच्च राजपद्धति के कारण विना किसी आपत्ति के चल रहा है, वही पद्धति यदि उपनिवेशों में काम में लाई जाय तो वहा भी सर्वेत्र विना किसी कठिनाई या आपत्ति के कार्य चल सकता था, यदि विचार कर वहा भी राज्य-शक्ति

प्रति शब्द सत्य है। ऐसी स्थिति को देखकर सन् १९०७ में, कोलोनियल आफिस ने एक कमीशन इस उद्देश्य से नियंत किया कि भिन्न भिन्न उपनिवेशों की पुरानी पद्धति और कानून कायदों का परिचय प्राप्त करके, उनको व्यवस्थित स्वरूप देने की तहकीकात की जाय। यदि बीस वर्ष पहले इस सरल मार्ग का अवलोकन किया जाता तो राजकाज में जो बहुत सी भूले और प्रमाद हुए हैं वे न होते और छोटे मोटे जो अनेक युद्ध हुए, वे भी न होते।

इससे भी बुरी बात यह हुई कि उपनिवेशों का राजकाज जिन अधिकारियों को सौंपा गया था, उसमें मनुष्यता का अत्यत अभाव था। उनमें कुछ लोग अच्छे अवश्य थे, परन्तु उन प्रातों में सेती का काम विलकुल आरभिक दृशा में था। स्वदेश में जिन्होंने स्थिरतापूर्वक कोई व्यवसाय नहीं किया, जिनके स्वभाव में स्थिरता नहीं है, जिनका जीवन चुरे व्यसनों में ही व्यतीत हुआ, ऐसे लोगों को अपने ऊपर की बड़ा दालने की गरज से सरकार ने उपनिवेशों का गवर्नर बनाया था। यही क्रम अनेक वर्षों तक जारी रहा। सन् १८८८ में जर्मन सम्राट् ने पार्लियामेंट में भाषण करते समय कहा था—“अफ्रीका में जर्मन राज्याधिकार स्थापित करके ‘क्रिश्चियन’ सुधार करना इस राष्ट्र का पवित्र कर्तव्य है।” यह ‘क्रिश्चियन’ सुधार तो एक और रहा, उल्टा किसी प्रकार का भी सुधार न हो सका। सरकारी नौकरों और गोरे किसानों (Planters) ने नीप्रो लोगों के साथ गुलामों का साथ रखा किया। उन पर नाना प्रकार के धत्याकार किए।

लिये तो विदेशों में जाना चाहिए । वहाँ के लोगों की दशा क्या है, उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं, इन बातों का अनुभव प्राप्त करना चाहिए । और इस विषय में अन्य लोगों के विचार क्या हैं, वह ध्यान में रखकर, अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिये कार्य का आरंभ करना चाहिए ।”

एक बात और है । उस देश के निवासियों की चाल ढाल, उनका वशपरपरागत जीवनक्रम आदि बातों की ओर जर्मनों ने विलक्षुल ध्यान नहीं दिया । उनके कायदे कानून, उनकी व्यावहारिक स्थिरि, इन बातों का भी नियमानुसार अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया गया । और न उन लोगों के अनुकूल कानून कायदों को बनाने की व्यवस्था की गई । प्रशियन कानून को ले जाकर वहाँ उनका प्रचार किया गया । इस कारण वहाँ की प्रजा को बहुत कष्ट उठाने पड़े और सरकारी अधिकारियों ने भी वहाँ के निवासियों को बहुत दुःख पहुँचाए । “नेटिवों” की पुरानी चाल ढाल और विचारों को पैर तले देखा कर वहाँ के निवासियों का जर्मनी के बराबर लाने का प्रयत्न किया गया । अतएव उपनिवेशों की पुरानी मर्यादा नष्ट होकर लोगों में असतुष्टता उत्पन्न हो गई । काले नीप्रो लोगों के लिये जो कानून बनाया गया वह अत्यत असमाधानकारक साधित हुआ । उठते बैठते उनके साथ कछह और बाद-विवाद उपस्थित होने से जर्मन नाम कछकित हुआ । ‘नीप्रो लोगों को हमारे विषय में तनिक भी सहानुभूति नहीं है ।’ ये उद्घार सन् १९०६ में राइशटग के एक सभासद ने ब्यक्त किए थे । उपरोक्त वर्णन शब्द

करो, बिना नर्मी का वर्ताव किए काम चल नहीं सकेगा । सन् १९०४ में, एक सज्जन ने, इस विषय पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी । उसमें उन्होंने यह लिखा था— “नीमों लोगों से सहती के साथ ही काम छेना चाहिए और इसके घदले में उन्हें केवल भोजन दिया जाना चाहिए । बस, उनके लिये इतना ही काफी है । कुछ वर्षों तक सहती के साथ मजदूरी देना ही न्यायानुकूल दृष्ट का एक उचित मार्ग है और ऐसा किए बिना अच्छा काम कैसे करना चाहिए, इस बात की मजदूरों की शिक्षा नहीं मलती । ईसाई धर्म में कहे हुए दया धर्म और परापकार से मिशनरियों को लाभालाभ प्राप्त होता है, हमारे काम में इन बातों का कुछ भी उपयोग नहीं होता ॥”

ये सब बातें सुन जर्मन लोकमत विकल हो उठा और राष्ट्राग में सरकार पर टीका टिप्पणियों की बौछार होने लगी । सन् १९०४-०५ में उपनिवेशों के अधिकारियों अथवा अन्य लोगों के कामों का परिचय जन प्रमाण सहित लोगों को दिया गया तब तो लोगों के क्रोध की चीमा न रही । सन् १९०५ में रोडिकल पक्ष के लोगों की एक सभा हुई थी, उस सभा में, यह प्रस्ताव पास हुआ था कि भविष्यत् के लिये यदि उपनिवेशों का कार्य बद कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो । एक सभासद ने तो यहा तक कह डाला था कि ‘यदि नीलाम की ओळी ओळ कर उपनिवेशों को बेच डाला जाय तो देश का पड़ा कल्याण होगा ।’ परतु ऐसी बाते करने से भी भाव क्या । सरकार के काम पर टीका टिप्पणी करना

चाहिए परंतु उस टीका टिप्पणी से सरकारी काम को भद्र पहुँचे, इस बात पर दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए। सन १८९७ से रेडिकल पक्ष के लोग, इस काम में सरकार का सहायता देने के लिये तैयार हुए हैं। वर्तमान नए कलोनियल सेकेटरी चत्तम राजनीतिज्ञ हैं। उपनिवेशों के काम की ओर वे ध्यान रखते हैं। उनके प्रयत्नों को यश प्राप्त होकर जर्मनी पर जो कल्प लगा है वह शीघ्र दूर हो जायगा।

उन्नीसवाँ अध्याय ।

उपनिवेशों का नया युग ।

सून् १९०७ के मई मास में, “कालोनियल आफिस”

नाम का एक स्वतंत्र महकमा बनाया गया और उसके द्वारा उपनिवेशों के सुधार का कार्य आरंभ हुआ। उसके पहले “कालोनियल डिपार्टमेंट” नाम का एक महकमा या जिसके मुख्याधिकारी का नाम “कालोनियल डायरेक्टर” रहता गया था। परंतु यह महकमा “फॉरेन आफिस” का एक भाग था। अतएव उपनिवेशों का सारा अधिकार फॉरेन मिनिस्टर के हाथ में था। समय समय पर जो फॉरेन मिनिस्टर होते गए उन्होंने विना कारण कालोनियल डायरेक्टर के काम में हस्तक्षेप न करने की नीति का अवलम्बन किया था। परंतु राज्य-व्यवस्था का नियम ही ऐसा है कि एक की जिम्मेदारी दूसरे पर ढालने से काम चलमतापूर्वक नहीं चलता। यही दशा यहा भी हुई। इस व्यवस्था से दोनों के काम में अव्यवस्था चलने गई। फॉरेन आफिस के हाथ में जो सत्ता थी उसका भी उपयोग करना दूसरे के हाथ में था। इसके अतिरिक्त परराष्ट्र से जिन बातों का सवध नहीं है, ऐसी बहुत सी बातों की ओर फॉरेन चेकेटरी को अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ता था। इस मामले में फॉरेन आफिस को उपरोक्त कठिनाइयों का संभन्ना करना

पढ़ता था । कालोनियल डिपार्टमेंट के हाथ में अधिकारों को उपयोग में लाने का काम या परंतु कुछ मामलों के अतिम निर्णय का काम दूसरे लोगों के हाथ में था, इस कठिनाई का सामना फॉरेन डिपार्टमेंट को करना पड़ता था । तात्पर्य यह कि दोनों महकमे एक दूसरे से ऐसे विषे हुए थे कि सुधार का काम बिना दोनों के एकमत हुए हो नहीं सकता था, और यह काम कुछ सहज न था ।

इस कठिनाई को दूर करने की गरज से ही एक स्वतंत्र “कलोनियल आफिस” बनाने की स्वीकृति राइशटग से समय समय पर चासेलर लोगों ने माँगी थी, परतु उन्हें बहुत दिनों तक यह मजूरी नहीं मिली । अत में प्रिंस वॉन व्यूँडो के समय में राइशटग ने एक अलहदा महकमा बनाने की मजूरी दे दी । इस प्रकार सन् १९०७ में उपनिवेशों का कार्य निरीक्षण करने के लिये एक स्वतंत्र विभाग स्थापित हो गया । और हर चर्वहार्ड हेनर्वर्ग इसके सेक्रेटरी नियत हुए । ये जाति के यहुदी हैं । इससे पहले आप कलोनियल डायरेक्टर थे । उपनिवेशों का सुधार सबधी काम आपके बताए हुए मार्ग से कितने दिनों में पूरा होगा यह बात तो समय बतावेगा परतु आप चर्चकोटि क आशावादी हैं आप अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिये कितना उत्साह और प्रयत्ने करते हैं, यह बात आपके कामों से प्रकट होती है । आप बड़े दृढ़ निश्चयी हैं । जिस समय आप कालोनियल सेक्रेटरी बनाए गए वह समय बड़ा नाजुक था । सापात्तिक और नैतिक दृष्टि से उपनिवेशों का आदोलन - विलक्षण निरूपयोगी

सावित हो चुका था और उनकी व्यवस्था सबधीं प्रस्तावों के विषय में किसी के मुँह से भूल कर भी अच्छे शब्द नहीं जिकरते थे । परतु आपके हाथ में अधिकार जाने से विदेश में जर्मनी के राज्य सभ्यों का विश्वास फिर उत्पन्न होने लगा है । अतएव इसका श्रेय आपको ही मिलना चाहिए ।

उपनिवेशों की अगरेजी पद्धति जर्मन पद्धति की अपक्षा उत्तम है, यह उनका मत है और इसी उद्देश्य को आगे रखकर उन्होंने अपना कार्यक्रम आरभ किया है । आरभ में तो आपने देश के अनेक विद्वानों, कारीगरों, बड़े बड़े कारखानेवालों और व्यापारियों के सामने व्याख्यान दिए । इन व्याख्यानों में आपन ग्रास कर राष्ट्रभिमान और राष्ट्रहित की बाते लेंगे रा धताई । आपका कथन है कि जर्मन राष्ट्र ने जो काम एक बार हाथ में लिया उसको छोड़ना राष्ट्र की बड़ी मान हानि है । यह तो हुई उनकी राष्ट्रभिमान की बात परतु राष्ट्रहित के सघन में उनके विचार सुनिए—“जर्मन राष्ट्र के मजदूरों की व्यवस्था भविष्यत् में कैसी होनी चाहिए जिस से उद्योग व्यवसाय में लो हुए मजदूरों का पेटभर खाने को अब प्राप्त हो और व्यापार, उद्योग घरों अथवा नए जहाज बनान के काम में देश का धन लगाया जा सके, ये सब महत्व के प्रश्न उपनिवेशों के व्यवस्थित राज काज पर ही अवलम्बित हैं ।” ।

कालोनियल सेकेटरी के मतानुसार आगे ऐसा समय शीत्र ही आनेवाला है कि जर्मन उद्योग घरों और फौरखानों को जितना कठा माड़ दरकार होगा अथवा गर्म बायु में

उत्पन्न होनेवाले जनाज की जितनी आवश्यकता होगी उतना उपनिवेशों से प्राप्त हो सकेगा । उनका यह अहना था कि अंगरेजी उपनिवेशों की अवस्था उत्तम होने पर भी वहां की जनसख्ता कम होने के कारण उन देशों से इस प्रकार का जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता है परतु जर्मनी को थोड़े समय में ही यह लाभ होने लगेगा, यह सभव नहीं मालूम होता । कपास, ऊन, ताबा, रबर, पेट्रोलियम, काफी, चावल, तिलहन और सन आदि पदार्थ जर्मनी को विदेश से ही लाने पड़ते हैं । सन् १९०५ में उपरोक्त पदार्थ पाच करोड़ पौँड मूल्य के जर्मनी में विदेश से आए । इतने मूल्य के पदार्थ उपनिवेशों में उत्पन्न करने की आप कल्पना कर रहे हैं । इस से ही यह मालूम हो सकता है कि आप कितने बड़े आशावादी हैं । परतु आप की आशा सफल होने के कोई भी चिन्ह अधि तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ।

अपर जिन पदार्थों का उल्लेख किया है उनमें कपास ही अधिक महत्व का पदार्थ है । कपास उत्पन्न करने का प्रयत्न अफ्रीका के भिन्न भिन्न उपनिवेशों में वहे जोर से किया जा रहा है । परतु तो भी जर्मनी को एक बर्ष में जितना कपास चाहिए उसका एक हजारवाँ अशा भी उपनिवेशों में पैदा नहीं होता । कपास का व्यवसाय अभी एक नया व्यवसाय है । आगे चलकर कुछ वर्षों बाद अधिक पैदावार होने लगेगी । परंतु हायी कहीं पहाड़ का मुक्काबला कर सकता है ।

उपनिवेशों की उपजाऊ भूमि के विषय में कुछ जर्मन लोगों की विछ्क्षण, कल्पना है । वे लोग यह कहते हैं कि

“कुछ वर्षों के पश्चात् जितना चाहिए उतना कष्ट माल उपनिवेशों से प्राप्त हो सकता है। यह माल उपनिवेश निवासी अपने भारु-देश को बहुत कम मूल्य पर दे सकेगे। और उसके द्वारा बनाया हुआ पक्ष जर्नन माल, सारे समार में इतना फैल जायगा कि अन्य राष्ट्रों को जर्मनी के साथ मुकाबला करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।” उपनिवेशों के कुपि कार्य में कितना ही कम खर्च करना पड़ता हो तो भी अनाज उत्पन्न, करनेवाले लोग बाजार की उपरा चढ़ी में जितना अधिक से अधिक मूल्य मिलेगा। उसकी अपेक्षा कम मूल्य पर अपना अनाज जर्मन व्यापारियों के हाथ वेघ देंगे, यह विचार मन-मोदक खाने के समान प्रतीत होता है। हर फर्नवर्ग- भी, इस विचार के सामने और कुछ नहीं देखते। पाच वर्ष के अद्वर उपनिवेशों का व्यापार मालु-देश के साथ तीस पौँड से घटकर एक करोड़ पौँड के से हो जायगा। यह उन्नति बहुत ही अधिक है, यह हमारा कहना नहीं है, परन्तु उपनिवेशों के आज तक के अनुभव से यह कहना कठिन है कि यह अनुमान ठीक उतरेगा या नहीं। सन् १८८८ से १९०८ तक यीस वर्ष में जर्मन उपनिवेशों से माल की आमद और रवानगी एक करोड़ उनसठ लाख पौँड थी। अर्धात् एक साल में जर्मनी से स्विटजरलैंड सरीखे छोटे से देश में जितना माल जाता है उसकी अपेक्षा यह आमद और रवानगी दोनों प्रकार के माल से कम है। इसके अंतिरिक्ष जर्मनी के उपनिवेशों को जो माल उस समय से रखाना दुखा, उससे सरकारी हमारत महस्तमा,

फौज और फौजी अधिकारियों के काम लायक ही सामान था ।

जर्मन उपनिवेशों की भविष्यत् में क्या दशा होगी इस विषय में अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है । अब हम यहां पर उनकी वर्तमान स्थिति बताना चाहते हैं । यह स्थिति एक मसुष्य ने इस प्रकार वर्णन की है कि जहां की जमीन उपजाऊ है वहां की तो आवोहवा अच्छी नहीं है और जहां की आवोहवा अच्छी है वहां की जमीन उपजाऊ नहीं है । वर्तमान स्थिति का विचार करने के लिये कुछ उपनिवेशों को दो भागों में बाटना पड़ेगा । पहले भाग में सेटलमेंट स्वरूप के उपनिवेशों का समावेश किया जा सकता है और दूसरे में प्राटेशन-वर्गीचे-स्वरूप के उपनिवेशों का समावेश हो सकेगा । पहले भाग में नैऋत्य अफ्रीका का कुछ भाग, पूर्वी अफ्रीका का ऊपरी प्रदेश और कुछ टापुओं का समावेश होता है । इन सबों का विस्तार जर्मन राष्ट्र से दूना है । दूसरे भाग में पूर्वी अफ्रीका के बहुत से भाग, कमेसन, टोगो और न्यूगवायना का समावेश होता है । इसका विस्तार जर्मन राष्ट्र की अपेक्षा अटाई गुने से भी अधिक है । परहूं यूरोपियन लोगों के रहने योग्य आवोहवा के विचार से यह प्रदेश बहुत चुरा है । जर्मन उपनिवेशों का कुछ विस्तार सन् १९०६ में २६, ५८, ४४९ वर्ग किलोमिटर (१ किलो-मिटर=३.६५ भील) है, और वहां की आबादी १, २१, १९, ००० है । कियऊचाऊ को भी उपनिवेश मान कर सन् १९०६ में कुछ उपनिवेशों की गोरी आबादी ५६६८ और नैऋत्य अफ्रीका में

हैं उनमें इग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और आस्ट्रियन लोग भी हैं और अन्य लोगों में भी ये लोग थोड़े बहुत पाए जाते हैं।

दोगो उपनिवेश का खर्च वहाँ की आमदनी से पूरा होता है, वाकी उपनिवेशों को जर्मन साम्राज्य को धन से सहायता प्रदान करनी पड़ती है। सन १९०६-०७ में ४३,६२,-५० पौंड सहायता उपनिवेशों को दी गई। इसमें से ३२५३८५० पौंड तो नैर्वत्य अफ्रीका में ही काम आगया क्योंकि उस अवसर पर वहाँ सैनिक खर्च बहुत हो रहा था। परंतु अब यह खर्च दिनों दिन कम होता जा रहा है। अतएक साम्राज्य को दिनों दिन कम धन देना पड़ता है।

उपनिवेशों की यास आमदनी "कस्टम ड्यूटी" है अर्थात् बाहर से आनेवाले माल पर कर है। सन १९०६ में कर द्वारा कुल ४११०५० पौंड की आमदनी हुई। विदेश से आनेवाले पके माल पर से कर द्वारा इतनी आमदनी हुई, यह तो ठीक ही है, परंतु इससे एक बात का और पता चलता है कि वहाँ के लोगों को इस प्रकार के माल लेने की अभिक्षमि पैदा हो रही है। इस कर की आमदनी अधिकतर शराब की आमद से बढ़ी है, यह दुख की बात है। वहाँ शराब का व्यसन लोगों में खूब बढ़ रहा है और इस व्यसन से कुछ जातियों का तो नामोनिशान तक मिट गया है। इसके अलावा और भी भिन्न भिन्न प्रकार के कर हैं जिनसे उसी साल १६,३५,००० पौंड की प्राप्ति हुई। कालोनियल सेकेटरी का विचार है कि उपनिवेशों का खर्च उपनिवेशों की ही आमदनी से पूरा किया जाय और इस विचार को पूरा

करने के लिये हर एक उपनिवेश को साम्राज्य से जितनी सहायता दी जानी हो उसे निश्चय फर देना चाहिए । इस निश्चित धन की सहायता से यदि सर्व पूरा न हो तो उपनिवेशों को अपनी जिस्मेदारी पर रकम लेनी चाहिए ।

उन १९०५ में, उपनिवेशों का विदेशी व्यापार ९६५५००० पौँड का था । उसमें से ७०,२७,४०० पौँड का आयात और २६,२७,६०० पौँड का निर्गत था । आनेवाले माल में सरकारी सामान, रेलवे के काम में आनेवाला माल और इसी प्रकार की बहुत सी चीजें थीं । अतएव आयात की आमदनी को देखकर व्यापारोन्नति का स्वप्न देखना भूल होगा ।

इह एक 'उपनिवेशों में वागों की आमदनी' बढ़ाना सभव है । वर्तमान समय में, इसी ओर लोगों का ध्यान भी लगा हुआ है । परतु इसमें अधिक हाथ पैर हिलाने की तुरत, गुजाइश नहीं है क्योंकि गोरे किसानों को इस काम में जो कठिनाई है वह यह है, कि स्थानीय मजदूर नियमित रूप से काम नहीं करते । कुछ लोग तो अवश्य ऐसे पाए जाते हैं जो जी लगा कर काम करते हैं परतु अधिकता आलिसियों की ही है । उनका आलस्य दूर करने के उपाय में अवतक बन्हें सफलता नहीं मिली है ।

पश्चिमी अफ्रीका के लोगों और कामेरून के लोग अब भी आलसी बने हुए हैं और मन लगा कर काम नहीं करते । वहां पर जी तोड़ कर मजदूर मेहनत नहीं करते । आवोहवा खराब और जमीन दलदली है, परतु है उपजाऊ । पूर्वी अफ्रीका में अच्छे मजदूर मिल जाते हैं परतु नैर्जल्य

भक्तीका में मजदूरों के समध में जो कठिनाई आकर स्थित हुई है उसका दूर होना अभी सभव नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि हेरेरास जाति के जो लोग वहाँ मजदूरी का काम अच्छा करते थे उनका जर्मन लोगों ने नाश कर दिया है। इस कारण अब जमीन जोतने वोने योग्य अच्छे भादमी वहाँ नहीं मिलते। इन लोगों पर जर्मनी की इतनी अकृपा क्यों हुई, इसका इतिहास जानने योग्य है। परतु उस ओर जाना हमारे उद्देश्य के बाहर है। अतएव हमें तो इसी बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन लोगों के अभाव में नैऋत्य भक्तीका का खेती का काम और कुछ दिनों तक ऐसी ही निष्कृष्ट दशा में रहगा। इस प्रात की आधाहवा सौम्य है। जमीन काफी और उपजाऊ है। जगड़ी चरागाहें बहुत हैं। इन सब बातों की अनुकूलता के कारण, मजदूरों की कठिनाई दूर होते ही नैऋत्य भक्तीका में बहुत अच्छी पैदावार होने लगेगी, यह जर्मन सरकार का विश्वास है। हर दर्नवर्ग के भतानुसार, यह प्रीत शीघ्र ही बृद्धि करनाडा की योग्यता का हो जायगा। इस अतिशयोक्ति के विचार को एक ओर रख कर, सभी स्थिति ऐसी जान पड़ती है कि इस प्रात में यूरोपियन लोग बहुतायत से आकर निवास कर सकते हैं। वहाँ की आबोहवा उनके अनुकूल है और काम काज भी सभ्य है वहाँ साधारणत अच्छा भिल जायगा। परतु इस प्रात में कोई अच्छा बदर नहीं है। यालफिश की खाड़ी व्यापार के योग्य है परतु वह अपेजों के अधिकार में है। बदर की दृष्टि से स्वाक्षोयमेड स्थान अच्छा है। परतु उसके सामने ही

मालू का एक विशाल पहाड़ है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक कंपनी बनाई गई है, परन्तु उसने अवतक कितना काम किया है, यह मालूम नहीं हुआ।

उपनिवेशों में कृषि ही प्रधान व्यवसाय है। अतएव कृषि का सुधार करके सापत्तिक उन्नति करने का और कोई भी उपाय ही नहीं है। और यदि कृषि की जाय तो वह यदे हुए पैमाने पर ही की जाने से लाभदायक साखित हो सकती है। छोटे पैमाने पर खेती करने से लाभ की कोई सभावना नहीं है। अतएव जिनके पास काफी धन मौजूद है, वे दी इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। कम से कम एक आदमी के २५,००० एकड़ भूमि पर खेती करने से नैऋत्य अफ्रीका में लाभ हो सकता है। अतएव जिसके पास पाँच सौ से लेकर ढाई हजार पाँच तक लगाने के लिये मौजूद हो, उसी को वहां जाकर खेती करने की इजाजत दी जा सकती है। इस यह स्पष्ट है कि उपनिवेशों से कितने लोगों को लाभ पहुँच सकता है। फिर बताइए, यह प्रात वृद्धिश कनाडा के मुख्यले का शीघ्र ही हो जायगा, यह बात कलोनियल सेकेटरी साहब की बुद्धि में कहा से समा गई, वे ही जानते होंगे ॥

उपनिवेशों की उन्नति में एक और कठिनाई है। वह कठिनाई सढ़कों और रेलों की है। विदेश जाने योग्य माल को छे जाने के लिये उपयुक्त साधन न होने से, नीपों लोगों के सिरों पर लाद कर माल पहुँचाना पड़ता है। हाथीदात, रवड़, और मोम को छे जाना सहज है और इन पदार्थों से लाभ भी

अच्छा होता है परन्तु ये पदार्थ जितने चाहिए उतने नहीं मिलते। पूर्वी अफ्रीका में तो माल ले जाने की कठिनाई बहुत ही अधिक हैं। सन् १९०८ में राइटस्टाग ने यहाँ १०० मील रेलवे लाइन बनाने की मजूरी दी। यह रेलवे छ साल बर्पे में बन कर तैयार होगी। बृटिश अफ्रीका में जिस हिसाब से रेलवे बनाई गई है उसकी अपेक्षा जर्मन रेलवे वहाँ बहुत कम हैं। परन्तु “अकरणान्मद्वरण श्रेय” इस सिद्धात के अनु सार यह कहा जा सकता है कि जो कुछ किया गया है, वह ठीक ही है।

इस अध्याय और गत अध्याय में जो बातें जर्मन उपनिवेशों के सघघ में कही गई हैं, उन पर भरा शाति के साथ विचार करने से यह बात अवश्य प्रतीत होगी कि देश की पढ़ती हुई प्रजा और व्यवसाय वाणिज्य के लिये उपनिवेशों की उत्तम व्यवस्था और उचित सुधार करना, जर्मन लोग अपना फर्तब्य समझते हैं और अपने इस कर्तव्य पालन के लिये वे प्रयत्न भी बराबर कर रहे हैं। “वर्ल्ड पालिटिक” की लहरें इसी लिये तो लहरा रही है। इस प्रयत्न से इसका काई सघघ नहीं यह काई नहीं कह सकता। परन्तु हमारे विचार में इस उद्योग और प्रयत्न का मुख्य उद्देश्य यह है कि जर्मनी को नया बाजार हाथ आना चाहिए और यह उद्देश्य हर प्रकार से चोग्य और दूर दृष्टि पर ध्यान रख कर स्थिर किया गया है, यह बात हर कोई खड़ज ही खीकार कर सकता है। अपने देश में ही जिनकी जीविका का कोइ साधन नहीं रहा, उन्हें खदेश त्याग कर उपनिवेशों में जाकर, स्थायी

रूप से बास करना चाहिए। शायद राजकार्यप्रबीण पुढ़ों के ध्यान में आज कल ये विचार न उत्पन्न होते हों क्योंकि अभी तक उपनिवेशों में रहने के लिये अनुकूल माधव नहीं हैं। अफ्रीका और पैसिफिक महासागर में जो प्रदेश जर्मनों के अधिकार में हैं, उनकी अभी “उपनिवेश” सज्जा देना ही उचित नहीं है, क्योंकि यह केवल वाकछल है। इन प्रदेशों को “सरक्षक-प्रदेश” (Protectorates) अथवा “व्यापार के लिये प्रदेश” (Trading settlements) नाम दिया जाय तो बहुत उचित होगा, क्योंकि उपनिवेश कहलाने योग्य अभी तक उन प्रातों में योग्यता नहीं है और इसी कारण यूरोपियन लोग अब तक वहां पर कहीं भी, घर घार बना कर स्थायी रूप से नहीं रहे।

फारस्तानों में बना हुआ पक्का माल बेचने के लिये नए बाजार को दस्तगत करना अथवा सारे ससार भर में जर्मनी की सत्ता स्थापित कर के इलैंड के मुकाबले में उसे लाना, इन दो उद्देश्यों में से कौन मुख्य है और कौन गौण, अथवा दोनों मुख्य हैं, वाद विवाद के लिये कुछ भी मान लो, परंतु उपनिवेशों के आदोलन में जो आश्रय अथवा सहायता लोगों से वर्तमान समय में प्राप्त हो रही है, वह भविष्यत् में भी मिलती रहेगी, यह अभी कहा नहीं जा सकता। परंतु उपरोक्त कारणों के अलावा एक और बलवान कारण है, उसे ध्यान में लाने से यह प्रतीत होता है कि लोगों का उत्साह अत समय तक बना रहेगा। उपनिवेशों की उन्नति पर ही जर्मन राष्ट्र का वैभव अवलम्बित है, ऐसा चिल्हाने पर भी जिनके मन पर कुछ भी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे हजारों

नहीं लाखों लोग भारत से जर्मनी में थे । परतु उपनिवेशों के उद्योग में ही बहुत से जर्मन लोग गत दस प्रह्लाद वर्ष में कराल काल के गाल में चले गए, इस बात का विश्वास उनको करा देने पर वे लाग चौकन्ने हो गए और अपने काम में जो अब सक उदासीनता दिखाते थे वे अब यह कहने लगे—“जिस जमीन पर जर्मनी के अनेक पुत्र कराल काल के गाल में चले गए और जिस पृथ्वी के उदर में वे आज कल अखंड निद्रा-सुध का अनुभव ले रहे हैं, वह पृथ्वी अब और लोगों की नहीं, हमारी है । अतएव उसका सुधार करना और सदा उसकी चिंता रखना, यह हमारा अपूर्ण कर्तव्य है ।” ये विचार अफ्रीका के सारे प्रदेशों के सबध में सच्चे हैं । परतु नैऋत्य अफ्रीका के सबध में तो अश्वरश सत्य हैं और इस से स्वदशामिमानी जर्मन लोगों के मन में, उपनिवेशों के सबध में कैसी मनोभावना जागृत हुई है, यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ जायगी । जर्मनी में जो भिन्न भिन्न सम्प्रदाय हैं, उनके एकीकरण करने को मनुष्य का रक्त और छोड़ के अस्त्र शब्द जिस प्रकार कारणीभूत हुए हैं उसी प्रकार ये उपनिवेशों के भिन्न भिन्न प्रातों को एकीकरण करने में भी कारणीभूत हुए हैं । अतएव जो प्रात अपार प्राणहानि उठाकर प्राप्त किए गए हैं उनको अपने हाथ से निकल जान देना, राष्ट्र की मानहानि करना है । लोगों के इन विचारों का यह परिणाम हुआ है कि जर्मन राष्ट्र के भिन्न भिन्न राजकीय पक्ष के लोग, आपस का भेदभाव भुलाकर, एक मत से, इस धांदो-लन को सहायता पहुँचा रहे हैं । वे लोग “जर्मन कलोनियल

सोसाइटी” सरीखी स्थापित करते हैं। उनमें से कुछ लोग यह भी कहनेवाले हैं कि उपनिवेशों से राष्ट्र को साप-चिक लाभ कुछ नहीं हुआ तो कुछ हर्ज नहीं, परतु वहाँ के लोगों का सुधार करना, यह अपना उद्देश्य होना चाहिए। सोशियालिस्ट लोग पहले यह कहा करते थे कि “उपनिवेशों को बढ़ाओ” ऐसा कहनेवाले देश में खास कर धनाढ़ी लोग हैं और उनकी न शात होनेवाली धन-तृष्णा ही, इस आदोलन का मूल है। परतु उनमें भी जो लोग नरम (Moderate) थे, उन्हें यह आरोप स्वीकार न था। मनुष्य जाति का सुधार करना ही सोशियालिस्ट—साम्यवादियों—का मुख्य उद्देश्य है। नीमों लोगों के समान कुबुद्धि और हीन-दशा-प्राप्त लोगों का, अपने द्वारा जो सुधार हो सके, उसके लिये पीछे न रहना यह पक्ष ले कर ‘गरम दल’ के नेताओं से बादविवाद भारभ कर दिया। उस बादविवाद का परिणाम भी अच्छा हुआ। उपनिवेशों के सबध में अब उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं रहा। अबने प्रतिक्षी के साथ मिलकर राष्ट्रीय आदोलन को सफल बनाने के काम में वे दक्षाचित् होकर काम कर रहे हैं। परतु उनका मुख्य कथन यह है उपनिवेशों के आदिम निवासियों के साथ गांरे लोगों को सहृदयतापूर्वक धर्मव करना चाहिए और उनकी मानसिक और सापत्तिक स्वतंत्रता प्रयत्न सञ्चार के साथ किया जाना चाहिए। हमने जो ऊर एक प्रबल कारण घताया था, उसका प्रभाव कैसा है, यह सोशियालिस्ट लोगों के उदाहरण से ही पाठकों के ज्ञान में भा गया होगा।

भपने पढ़ोबी राष्ट्र ने सपनिवेशों के समध में जो उद्योग आरम किया है, इस समध में इंग्लैंड को कौन सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए, यह निश्चय करना कठिन है। सन् १८८५ में, इंग्लैंड से इस काम में जर्मनी से पहली बार जब स्टटपट हुई, उस समय मिं ग्लैडस्टोन ने इंग्लैंड को किस मार्ग को पकड़ना चाहिए, इसका उत्तेज इस प्रकार किया था— “हमारी ढाढ़ को छटकाने के लिये कील ठोकने” को जहाँ आराम की जगह मिलेगी वहाँ कील ठोकने में हम जरा सी भी देरी न करेग ।” इसी प्रकार के वाक्य एक बार जर्मन समाज ने कहे थे, यदि यह बात सच है तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो उद्योग और राष्ट्रों ने सौ वर्ष पहले करक यश प्राप्त किया था वह उद्योग अब जर्मनी पर्वीस तीस वर्ष से करने लगी है। अर्थात् ढाढ़ छटकाने योग्य कील ठोकने के लिये जितनी आराम की जगह समार में थी, अतनी अन्य राष्ट्रों ने पहले ही भपने हाथ में कर ली । सारा समार जर्मनमय होना चाहिए, ऐसी आशा करनेवाले लोगों की पातों में यदि कुछ अर्थ है तो अन्य राष्ट्रों को उससे भयपद अर्थ निकालना अचित होगा, परतु जब तक सार जर्मन राष्ट्र के ऐसे विचार न हों तब तक भय करने का कोई विशेष कारण नहीं है । भित्रता के नात से जो जर्मनी को सहायता देना पसद न करते हों, वे सहायता न दे परतु “तुम्हारी ढाढ़ हमें पसद नहीं अतएव हम उस बीच में पड़ना नहीं चाहते” यह कह कर तटस्थ वृत्ति स्वीकार करना कुछ अनुचित न होगा । तटस्थ राष्ट्रों को यह बात ध्यान में रखनी

आहिए कि सन् १८८१ में जब प्राप्त ने मोरासो का गामला हप-
स्थित किया उस समय प्रिंस विस्मार्क ने बिलकुल शात पृष्ठि
धारण कर ली थी। आपने ऐसी वृत्तिकथों स्वीकार की ऐसा जब
लोगों ने उनसे पूछा तब उन्होंने यही उत्तर दिया—‘उपनि-
वेशों के सघध में प्राप्त जितना ध्यान देता है उतना ही जर्सनी
को लाभ है ।’ अर्थात् इस प्रकार के कामों में उत्तर वृत्ति
धारण करना प्रिंस विस्मार्क को भी स्वीकार था, यह घाद
स्पष्ट प्रगट होती है ।

चीसवाँ अध्याय ।

भास्त्राजग का खर्च ।

गृहरम छोकसत्तावादी लोगों को निकाट कर देंने के
अन्य सध राजकीय पक्ष के होनेवाले इन सुन
कठिन हो रही है। उनके कथन और हाँचे में इनका अतिर
दिसाइ पड़ने लगा है। साम्राज्य के लिए हाँचे
हित होता है उस कार्य में इनका प्रभाव इन्हें
इस कार्य समादार्थ जो दर्श होता है इनके लिए इन्हें
आगा पीछा करत है। इस कार्य में इनका इन्हें इनके
के लिये विशेष करों को लगाने हैं जिनमें इन्हें इन्हें
ही नहीं दिखाई पड़ता, यही चब द्वारा लगाने के लिए इन्हें
कर किस वस्तु पर लगाया जाए इनका इन्हें इन्हें
है। सैनिक सर्व दिनों इन द्वारा दूर कर दिये गये
सर्व का बोझा उठाने के लिए जो जाति इन्हें इन्हें
उन्हें वे अव- तक सहन करते हैं इन्हें इन्हें इन्हें
साथ जर्मनी का व्यवहार आ रहा है इन्हें इन्हें
जर्मन लोग धार्हते हैं; सौंदर्य उत्तराधि लिये इन्हें इन्हें
सर्व करने की अवस्था आ रही है ऐसे जाति लोगों
को वे तैयार नहीं हैं। सौंदर्य उत्तराधि के
से इस प्रकार इन्हें इन्हें दें दूर है,
वरन् जर्मन धार्हते हैं उत्तराधि दूर है,
रियासते मी धार्हते हैं उत्तराधि दूर है।

खर्च में जो कुछ कमी होगी, उसे हम पूरा करेंगे, वे भी साम्राज्य के बढ़े हुए खर्च को देख कर उसका रोना रोने लगते हैं।

साम्राज्य की स्थापना होने के समय से कुछ बर्षों तक तो देश में सर्वत्र शाति रही। इस कारण लोगों की खर्च के विषय में जो कल्पना थी, उसकी अपेक्षा अब कितना अधिक खर्च बढ़ गया है और आरम्भ में जहा राष्ट्रीय ऋण की गिनती लाखों पर थी वह अब करोड़ों पर पहुँच गई है। साम्राज्य की स्थापना होने के कुछ वर्ष बाद तक भी प्रति वर्ष एक करोड़ पचाहतर लाख पौँड खर्च या परतु अब यदि किसी से यह कहा जाय तो उसे इतने कम खर्चों का विश्वास न होगा। इस रकम में से एक चौथाई से एक तिहाई तक तो विदेश में आनेवाले माल पर कस्टम ड्यूटी (Custom duty) और संवाकू पर कर लगा कर वसूल की जाती थी। आधी रकम शकर, नमक, वियर और स्पिरिट पर देश में ही एकसाइज ड्यूटी (Excise duty), स्टाप, पोस्टेज और रेलवे की आमदनी से वसूल होती थी। पश्चीम से लेकर पैतीस लाख तक साम्राज्यांतर्गत रियासतें सार्वभौम भरकार को प्रदान करती थीं। परतु कुछ बर्षों बाद ही खर्चों बढ़ने लगा। सन् १९०८ ने वह इतना अधिक बढ़ गया कि उस साल के बजट में खर्चों की रकम का अदाजा घारह करोड़, सोलह लाख पौँड किया गया। गत बीस बर्षों में आवादी तो तीस फी सदी के हिसाब से बढ़ी परतु खर्च बढ़ा दो सौ तीस फी सदी। अर्थात् ढाई शुने से कुछ ऊपर।

। उनिक विभाग के अतिरिक्त सिविल सर्विस विभाग की यिन्हें भिन्न शाखाओं में दिनों दिन अधिक खर्च हो किसी भी राज्य में अनिवार्य है और इसी प्रकार यदि जर्मनी में भी खर्च बढ़ा तो कुछ आश्वर्य की बात नहीं है । परन्तु इतने से खर्च की रकम इतनी अधिक नहीं बढ़ सकती । इस खर्च बढ़ने के लिये और भी कुछ कारण होने चाहिए, और वे कारण और कुछ नहीं सेना और लड़ाई के जहाजों की वृद्धि है । उपनिवेशों को स्थापित करने का उद्योग आरभ करने से, इन दोनों की अपेक्षा अधिक भन खर्च होने लगा है । सन् १८८० अर्थात् इस उद्योग का आरभ हाने से पहले स्थल और जल सेना दोनों को मिलाकर कबल २,३०,००,००० पौँड खर्च होता था । सन् १९०० में ३,५०,००,००० पौँड के अदर ही खर्च रहा । परन्तु सन् १९०८ में यह खर्च बढ़ कर ५,१०,००,००० पौँड हो गया । स्थल सेना की अपेक्षा जल सेना ही तेयारी में अधिक खर्च होता रहा । सन् १९०० में यह निश्चय किया गया कि समुद्री शक्ति बढ़ाने में अब इससे अधिक खर्च न बढ़ाया जाय । इसके बाद सन् १९०८ तक तो वरानर एक करोड़ पचाहतर लाख पौँड खर्च होता रहा परन्तु अब यह खर्च भी अधिक बढ़ गया है । जर्मन साम्राज्य का इतना विशाल खर्च अप्रत्यक्ष रूप से केवल उपनिवेशों को बढ़ाने के कारण ही हो रहा है । आज से तीस वर्ष पहले उपनिवेश विभाग ही न था । उपनिवेश विभाग के स्थापित होते ही खर्च करने के अनेक मार्ग दिखाई पड़ने लगे और सन् १९०८ में उपनिवेशों का खर्च तीस लाख पचास

हजार पौँड तक पहुँच गया । यह खर्च कितना अधिक है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है ।

साम्राज्य का खर्च इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ता जायगा इसके चिह्न अब भी दिखाई पड़ रहे हैं । सन् १९०४ में, जर्मन अर्थसचिव, वैरन वान स्टेजेल ने राइटर्स में कहा था कि “ भविष्य के लक्षण मुझे अच्छे नहीं दिखाई पड़ते, यह मैं सभासदों से स्पष्ट कह रहा हूँ और जिस प्रकार आज कल आप अपना खर्च कर रहे हो यदि इसी प्रकार भविष्यत में भी खर्च किया जायगा तो किर कहाँ ठिकाना नहीं है, यह बात मैं आप लोगों से खुले दिल से कह रहा हूँ । ” तीस पैंतीस वर्ष पहले जर्मनी पर विलकुल ऋण था । सन् १८७६ और ७७ में ऋण लेने का पहले पहल आरम्भ हुआ । उस समय से सन् १९०८ तक वराधर कर्जा बढ़ता ही गया । सन् १९०८ में जर्मन राष्ट्रीय ऋण बीस करोड़ पौँड था । इस धन पर कितना अधिक सूद देना पड़ता होगा, इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं । जर्मन अर्थ-मचिव ने कुछ साल हुए तब यह भी कहा था कि—“ ऋण लेने में हम लोग सब राष्ट्रों से आगे हैं, यह किरने दुख की यात है । प्राप्त और इच्छें भी इस काम में हम से पीछे हैं । जिस समय प्राप्त ने अधिक राष्ट्रीय ऋण नहीं लिया था उस समय भी हमारा राष्ट्रीय ऋण उससे दस गुना अधिक था । इस ऋण के कारण राजनैतिक और साप्तिक दृष्टि से जर्मनी की सारे सासार में अद्वामी हुए थिना न रहेगी । ” जर्मनी में राष्ट्रीय-ऋण प्रति मनुष्य पर हीन पौँड चार शिल्पिंग है ।

इसके अतिरिक्त प्रातो अथवा रियासतों पर जिसका तिसका कुछ न कुछ कर्ज है ही। परन्तु इस क्रृष्ण के सवध में विशेष ज्ञान देने योग्य बात यह है कि यह क्रृष्ण जिस प्रात पर है उस प्रात ने उसे किसी न किसी उपयोगी काम के लिये लिया है। इस काम के सामने कर्ज का बोझा हल्का नजर आता है जैसे किसी प्रात ने रेलवे बनाने अथवा खानों को खोदने के लिये कर्ज लिया तो उस कर्ज के मुकाबले में उस काम से विशेष लाभ पहुँचता रहता है। साम्राज्य और प्रातों का मिठा हुआ जो प्रण है, उसका आधा रेलवे बनाने के लिये लिया गया है और उस रेलवे से होनेवाले लाभ से क्रृष्ण चुका देने की व्यवस्था की गई है।

बीस पचास वर्ष पहले, जो राष्ट्रीय क्रृष्ण था, वह अब बहुत बढ़ गया है। अतएव साम्राज्य का दिवाला निकलने का समय अब समीप आ गया है, यदि कोई यह कहे सो यह उपर्युक्त भूल है। सब बात यह है कि अपने खर्च का अदाजा न कर के साम्राज्य सरकार ने विदेश से बहुत बड़ी जिम्मेदारी के काम अपने ऊपर ल लिए हैं और उस काम में कल्पना की अपक्षा जब अधिक खर्च होने लगा तब सरकार को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। जब सरकार की यह वशा हो गई तब लोगों ने भी सरकारी काम की निंदा आरम्भ कर दी और कुछ विचारशून्य पुरुष यह भी कहने लगे कि राष्ट्र का अब दिवाला निकलना ही चाहता है। यदि सरकार ने पहले से ही विचारपूर्वक काम किया होता सो प्राप्ति वर्ष बजट में जो पाटा पड़ता है, वह न-पड़ता। परन्तु इतने से ही जर्मनी की

आर्थिक स्थिति बिलकुल विगड़ गई है, यह कहना उचित नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि साम्राज्य के अतर्गत जो प्रात हैं, वे बहुत धनाद्य हैं। उनकी साम्य पर साम्राज्य की माल अथवा स्थिरता को रक्षी भर भी हानि नहीं पहुँच सकती— कुछ प्रात अणी अवश्य हैं, यदि यह कोई आक्षेप करे तो उसके लिये इतना ही उत्तर है कि तुम नृण की ओर न देखो, उस नृण की सहायता से उस प्रात ने अपने पास कितना धन (विशाल और अदृष्ट रुखानों के रूप में) इकट्ठा कर लिया है, उसकी ओर देखो। धन के कारण साम्राज्य को जो सदा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसका मुख्य कारण यह है कि आवश्यकता से अधिक धन उसके द्विसे में कभी नहीं आता। उसकी आमदनी का जरिया बढ़ता है, यह सच है, ता भी, जितनी आवश्यकताएँ घट गई हैं, उनको पूरा करने के लिये वह काफी नहीं है। प्रातिक सरकारें कजूसी से काम निकालती हैं और निश्चित किए हुए धन से अधिक धन साम्राज्य सरकार को देना नहीं चाहती।

साम्राज्य की आमदनी के जरिये नीचे लिखे हुए हैं— सार्वभौम रेलवे, डाक, तार, कस्टम, एक्स्प्राइज, स्टाप और कई एक छोटी सोटी रकमें। कर द्वारा जो आमदनी होती है, उसे, निश्चित किए हुए धन की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त होने पर भिन्न भिन्न प्रावों को उनकी आमदनी के हिसाब से बाट-दी जाती है। और यदि सचें में कमी हुई तो साम्राज्य सरकार को प्रातिक सरकार के सामने अपना हाथ पसारना पड़ता है।

साम्राज्य की आमदनी खास तौर पर विदेशी माल के 'कर' द्वारा प्राप्त होती है। देश के व्यवस्थाय और वाणिज्य की स्तरति के लिये यह कर समय समय पर बढ़ता रहता है। उत्तीस वर्ष पहले की आमदनी की अपेक्षा अब यह आमदनी छ गुनी बढ़ गई है। सन् १९०६ में कर द्वारा कुल आमदनी ६६,७७,६०,००० मार्क्स (२० ४ मार्क्स=१ पौंड) थी। यह कर जब भारभ में पहले पहल लगाया गया था तब उसे बचा कर रखने का विचार न था। साम्राज्य का खर्च चलाने के लिये प्रातों के आगे हाथ पसारना न पड़े और लोगों को प्रत्यक्ष कर भी न देना पड़े, ये दो बातें सोच कर प्रिय विस्मार्क ने यह युक्ति दूढ़ निकाली थी।

आमदनी का दूसरा द्वार देश में ही लगाया हुआ कर है। यह कर भी समय समय पर बहुत बढ़ाया गया है। सन् १८७२ में यह आमदनी उत्तीस लाख पचास हजार पौंड थी परन्तु धीरे धीरे जैसे आवादी बढ़ती गई वैसे ही खाने पीने के सामान की खपत बढ़ती गई। अधिक सामान की खपत होने से कर द्वारा आमदनी भी बढ़ती गई। अब आज कल यह आमदनी दो करोड़ पौंड है।

साम्राज्य के जमा खर्च को व्यवस्थित स्वरूप सन् १९००, ईसवी में दिया गया। उस समय बसूल फरने योग्य और भी अनेक बातें पाई गई। परन्तु जल सेना विभाग का खर्च अधिकाधिक बढ़ जाने के कारण नई आमदनी से भी पूरी न पढ़ी। इससे यह बात स्पष्ट जान पड़ती है कि यदि साम्राज्य का खर्च आज कल के समान ही बराबर बढ़ता गया हो

जमा खर्च के काम में सदा के लिये कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तात्कालिक उपाय कुछ भी किए जायेगे, उनसे काम चल नहीं सकेगा।

प्रजा पर प्रत्यक्ष (Direct) कर लगाया जाय अथवा अप्रत्यक्ष (Indirect) यह वादविवाद जब से जर्मन साम्राज्य स्थापित हुआ है तब से चल रहा है। परतु हर साल साम्राज्य को धन की कमी पड़ने के कारण वर्तमान समय में, इस प्रश्न ने और भी जोर पकड़ा है। कमरवेटिव पक्ष के लोगों का कहना यह है कि खर्च की कठिनाई दूर करने के लिये स्वदि कर लगाने की आवश्यकता हो तो अधिक कर लगाया जाय, परतु लोगों पर प्रत्यक्ष करने लगाया जाय। रोडेकल और सोशल डेमोक्रेटी पक्ष के लोगों का कहना यह है कि सरक्षण कर लगाने की अपेक्षा, जिस प्रकार सब लोगों पर खर्च का बोझ समान पड़े, ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष कर लगाना बहुत उचित होगा। उन लोगों की राय है कि सर्वभौम आमदनी पर कर (Imperial Income-tax) लगाने में ही इष्ट फार्य की सिद्ध हो सकती है। परतु इस विषय में, मरकार अभी तक कमरवेटिव पक्ष के लोगों के अनुकूल है। मयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीटजरलैंड में, अप्रत्यक्ष कर लगाने की पद्धति आज अनेक वर्षों से जारी है। जर्मन साम्राज्य का मत है कि उसे भी वही मार्ग स्वीकार करना चाहिए और प्रत्यक्ष कर लगाने के इक्षण में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। खजाने के सेक्रेटरी साहब ने एक अंवसर पर यह कहा था—“साम्राज्यात्मक सभ प्रातों की यही राय है।”

प्रत्यक्ष कर लगाने का यदि हमने विचार किया तो वे उसे नष्ट किए थिना न रहेगी । राज्यव्यवस्था के नियमानुसार अप्रत्यक्ष कर लगाने का साम्राज्य को जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार के अदर साम्राज्य की आमदनी के सुधार का प्रयत्न करना चाहिए ।” एक और राजनीतिज्ञ ने इस का भाष्य इस प्रकार किया है—“प्रत्यक्ष सार्वभौम कर लगाने के लिये फेडरेल कॉंसिले कुछ भी तो अपनी राय देने को तैयार नहीं हैं । इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लगाने का भारम होते ही साम्राज्य का सगठन जिन नियमानुसार हुआ है, उन नियमों का उपयोग में लाना फठिन हो जायगा ।”

साम्राज्य रागठन के सत्रहवें आर्टिकिल में जो धात लिखी है उससे यह नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष कर लगाने के नियमों का ऐसा करन से उल्लङ्घन होगा और स्वयं प्रिस विस्तार्क की भी यही राय थी । उनके इस मत का पता उनके उम भाषण से पाया जाता है जो उन्होंने किसी अवसर पर राइटाग में किया था । उन्होंने प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अप्रत्यक्ष का फ्रॉलगाया, इसका कारण यह प्रगट किया था कि अप्रत्यक्ष कर का भार लोगों पर एकदम नहीं पड़ता । सप्ताह सप्ताह में कर देना पड़ता है अतएव लोग वही खुशी से महज ही उमे देढ़ालते हैं । उनकी यह राय बिलकुल ठीक है । प्रत्यक्ष कर लगाने से नियमों में वाधा उत्पन्न होती है अथवा नहीं, यहाँ पर गह धात समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस समय से यह धात जानने की जरूरत है कि जर्मनी की यथार्थ दशा क्या है । वहाँ अनेक वर्षों से यह नियम चला आ रहा है कि

साम्राज्य के सर्व के लिये अप्रत्यक्ष कर सार्वभौम सरकार लगाती है और भिन्न भिन्न "श्रातों" को प्रत्यक्ष कर लगा कर उसकी आमदनी से साम्राज्य की आमदनी को सहायता पहुँचाई जाती है ।

रेडिकल पक्ष के लोगों का कथन है कि सार्वभौम इनकम-टैक्स लगाना वर्तमान दशा में अनुचित है । प्रातिक प्रजा को प्रांत के उपयोग के लिये एक, और जिस गाँव अथवा शहर में वह रहता है, उसके उपयोग के लिये एक, इस प्रकार दो कर देने पड़ते हैं । अब यदि तो सरा कर उसी स्वरूप का उस पर लगा दिया जायगा तो वह कर उसे असम्भव हुए बिना न रहेगा । भिन्न भिन्न श्रातों में आमदनी पर जो कर लगाया गया है वही आमदनी का मुख्य द्वार है और इस करके द्वारा ही उस प्रात का बहुत सा खर्च खलता है । ऐसी दशा में यदि सार्वभौम इनकम-टैक्स का भार और भी अधिक ढाढ़ा गया तो उनकी स्वत की आमदनी में यद्दी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायगी और जब प्रातिक सरकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो साम्राज्य सरकार की क्या दशा होगी, यह सोचने की बात है । अतएव ऐसी दशा में दूसरा कोई भी कर लगाने की सम्मति राइटिंग दे सकती है परतु आमदनी पर टैक्स लगाने के लिये अभी कुछ वपों तक वह अपनी सम्मति देने को राजी न होगी, यह बात स्पष्ट है । परतु इससे कोई यह न समझ ले कि साम्राज्य सरकार कभी भी यह कर लगाने को तैयार न होगी । सरक्षित व्यापार की अपेक्षा अप्रतिबद्ध व्यापार नीति को स्वीकार कर छेने पर, कर और कस्टम द्वारा आमदनी कम हो जाने पर

हुई सब प्रशिया के कसरवेटिव जर्मनीदारोंने उसे मजबूर होकर स्वीकार किया । परतु उनके मन में सामूच्य सवधी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, और यदि देश को हानि न पहुँचे तो सामूच्य को नष्ट करने में, ये लोग अब भी पीछे पैर छाड़ाने वाले नहीं हैं । स्वयं जर्मनी के राजा, पहले विलियम अपने को “जर्मन सम्राट्” कहलाने की अपेक्षा होइन् जो लंबे राजधराने का नेता कहलाने में अभिमान और अपनत्व समझते थे क्योंकि सम्राट् पद के साथ साथ सामूच्य के सारे प्रदेशों अथवा रियासतों का स्वामित्व उसे नहीं प्राप्त हुआ था । प्रिंस विस्मार्क ने अपने “रिकॉल्क्शन (Recollections) में लिखा है—“जर्मनी के अन्य प्रदेशों और राजधराने की एकता की भावना को लाने में हमें जितना प्रयत्न और परिश्रम करना पढ़ा उसमें कहीं अधिक प्रशिया की इस भावना को दूर करने में, करना पढ़ा । और सम्राट् पहले विलियम के साथ तो प्रजा का नाता होने के कारण, इस काम में, समय समय पर अतिशय दुख उठाना पड़ा है । अपने घराने के विषय में, सम्राट् का मत, अभिमान से जोत प्रोत हो रहा था और सारे जर्मन राष्ट्र के सुधार के पश्च तक अपनी अभिमान धीरे में आकर उपस्थित हो जाता था । परतु जर्मन राष्ट्र का हित ही अपने राज्य प्रशिया का हित है, जब यह बात उनके ही ध्यान में आजाती तो फिर वह अपना अभिमान सुला कर राष्ट्रहित के मद्दत्वपूर्ण छायें में उत्तेजना में कोई कसर भी उठान रखते थे । ” इसी प्रकार की उच्च बातें, इस सवध में प्रिंस विस्मार्क ने लिखी हैं ।

इककीसवां अध्याय ।

साम्राज्य की अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति ।

सन् १८७१ में स्थापित हुआ साम्राज्य स्थायी होगा

अथवा नहीं, इस विषय में जर्मनी के राजकीय पक्ष, खासकर उत्तर जर्मनी और बर्लिन राजधानी में, सदा बाद विवाद होता रहता है। सर्वभौम सरकार (सम्राट, चामलर और स्टेट सेकेटरीज) और राइशटाग में विरोधी पक्ष के लोग इस बादविवाद को बहुधा लालकर उपस्थित करते हैं। ऐसे बादविवाद के अवसरों पर दिए हुए भाषणों में साम्राज्य सबधी जो तर्क वितर्क होते हैं उनका कितना मूल्य अथवा महत्व है, इस बात का पता चल जाता है। जर्मनी में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है, जो यह समझता हो कि जर्मन साम्राज्य कभी नष्ट हो जायगा अथवा उसका कुछ भी अहित हो सकता है। सन् १८७१ के पहले देश की जो दशा थी उस दशा में देश का पुन जाना असभव है। राजनीति विशारद लोगों का यही मत है। परतु जर्मन राष्ट्र में कुउ खास लोग हैं जिनके मत में अब तक साम्राज्य सबधी प्रम कभी उत्पन्न नहीं हुआ। सन् १८४८ में जब फ्रास में राज्य-क्राति हुई तब संयुक्त जर्मन, निर्माण करके प्रजा सत्तात्मक राज्य स्थापित करने का कुछ “वेजवावदार” लोगों ने प्रयत्न किया था परतु प्रशिया के जमीदारों ने यह प्रयत्न सफल नहीं होने दिया। पञ्चांत्र सन् १८७१ में जब साम्राज्य की स्थापना

हुई तब प्रशिया के फसरवेटिव जर्मांदारोंने उसे मजबूर होकर स्वीकार किया। परतु उनके मन मे सामूज्य संघीय प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, और यदि देश को हानि न पहुँचे तो सामूज्य को नष्ट करने में, ये लोग अब भी पीछे पैर हटाने थाले नहीं हैं। स्वयं जर्मनी के राजा, पहले विलियम अपने को “जर्मन समूट्” कहलाने की अपेक्षा द्वैहन्जोर्लन राजधराने का नेता कहलाने में अभिमान और अपनत्व समझते थे क्योंकि समूट पद के साथ साथ सामूज्य के सारे प्रदेशों अथवा रियासतों का स्वामित्व उसे नहीं प्राप्त हुआ था। प्रिंस विस्मार्क न अपने “रिकेलक्शन (Recollections) में लिया है—“जर्मनी के अन्य प्रदेशों और राजपराने की एकता की भावना को लाने मे हमें जितना प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा उससे कहीं अधिक प्रशिया की, इस भावना को दूर करने में, करना पड़ा। और समूट पहल विलियम के साथ तो प्रजा का नाता होने के कारण, इस काम में, समय समय पर अतिशय दुख उठाना पड़ा है। अपन धरान के विपय में, समूट का मत, अभिमान स ओत प्रोत हो रहा था और सारे जर्मन राष्ट्र के सुधार क प्रश्न के उपर्युक्त होत ही, यह अभिमान धीर्घ में आजर उपस्थित हो जाता था। परतु जर्मन राष्ट्र का हित ही अपन राज्य प्रशिया का हित है, जब यह बात उनके ही ध्यान में आजाती तो फिर वह अपना अभिमान सुला कर राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण छायें में उत्तेजना देने में कोई कसर भी उठान रखते थे।” इसी प्रकार की और भी अनेक बातें, इस सबध मे प्रिंस विस्मार्क ने कियी हैं।

एत्वं नदी के पूर्वी भाग के जर्मनियारों के मन में सामूज्य विषयक निष्ठा जरा कम होने का मुख्य कारण, केवल राजघराने का अभिमान ही नहीं है बरन यह भी है कि सामूज्य की रचना उदार तत्वों को सम्मुख रख कर नहीं की गई है और इससे उनका महत्व कम हो गया है। अतएव ये लोग राइश्टाग में निवार्चन के अधिकार और भिन्न भिन्न पक्षों के हाथ में दी हुई सत्ता को कम करने का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने में सकोच नहीं करते। भिन्न भिन्न पक्ष के लोग एक होकर सयुक्त सरकार के साथ जब वादविवाद करने लगते हैं तब सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। यह दशा अच्छी नहीं है अतएव इसके सुधार के लिये सरकार को वे उपरोक्त दो बातें बताया करते हैं।

जर्मन राष्ट्र के भव लोगों को, फिर वे चाहे किसी पक्ष के हों, कभी न कभी अपने ऊपर अविश्वास उत्पन्न हो ही जाता है और एक प्रकार की घबराहट उनमें पाई जाती है, यह सच है। परतु इस बात को अधिक महत्व देना भूल है। जर्मन सामूज्य अब सुदृढ़ हो गया है और अब उससे किसी का भय नहीं है। समस्त देश में ही उस पर किसी प्रकार का सकट आने की संभावना नहीं है। यदि परचक में कौस जाने का अवसर आजाय तो उससे निकल जाने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। यह बात जर्मन लोग अच्छी तरह जानते हैं। परतु कभी कभी वे, ये सब बातें भूल भी जाते हैं। बास्तव में किसी प्रकार का रोग न होने पर जब कोई यह समझने लगता है कि मैं रोगी हूं और यह सोच कर वह

घटरा जाता है, वस्तु, उसी प्रकार जर्मन भी कभी कभी, बिना कारण घटरा जाते हैं। और इसी कारण जर्मन लोगों का राष्ट्रीय तेज जितना प्रकाशमान होना चाहिए उतना दिखाई नहीं पड़ता। परतु निराशावाद क्रमशः कम हो रहा है। वर्तमान भ्रम को मेट देना और फ्रांस के साथ युद्ध होने के पहले राज्य में जो गढ़वड़ी मच्छी हुई थी, उसे दूर करने का प्रयत्न प्रत्येक जर्मन तन, मन, धन से कर रहा है।

जर्मन राष्ट्र में अब सज्जकोटि की स्थिरता और एकता ध्याग है, वह वात जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन प्रातों के मालूम हो जाने से एक और विजेप वात के प्रतिपादन करने में आसानी होगी। जर्मनी में प्रत्येक मनुष्य को, आज से चालीस वर्ष पहले, वरसेलिस में साम्राज्य स्थापना की पोषणा प्रसिद्ध किए जाने पर जो उत्साह था और हर एक मनुष्य अपने को साम्राज्याभिमानी (Imperialist) समझता था, वह वात अब नहीं है। फ्रास के साथ युद्ध करके, सब प्रातों ने एक दिल होकर शत्रु से युद्ध में विजय प्राप्त की। अतएव राजकीय व्यवहार में उनमें एकता उत्पन्न करने का भाव प्रिस विस्मार्क के मन में उत्पन्न हुआ और उसी अवसर पर साम्राज्य स्थापना की अनुकूल स्थिति प्राप्त होने का समय था उपस्थित हुआ। इस स्थिति का विस्मार्क ने अच्छा उपयोग किया और युद्धस्थल पर ही यश की विजयपताका, साम्राज्य स्थापना के रूप में, फहरा थी। युद्ध के समय जिस प्रकार हम एक हैं उसी

प्रकार शांति के समय में भी हम सब एक होकर रह सकते हैं, यह बात अपनी विलक्षण-दुद्धि से विस्मार्क-ने कर दिखलाई। देशभिमान का पारा उस समय बहुत ऊचा हो गया था। परतु कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वह उत्तरने लगा। सामूज्य सबधी उद्ध कल्पना नष्ट होकर उसके स्थान पर उसका यथार्थ लाभ प्राप्त करने की कल्पना वर्तमान समय में आ उपस्थित हुई है। साम्राज्य चाहिए, जैसी पहले इच्छा थी वैसी ही इच्छा अब भी बनी हुई है। परतु किस लिये ? क्वल व्यवहार में उसका उपयोग होने के लिये। सामूज्य के व्यव हारिक उपयोग से बस अब इतना ही समझा जाता है कि राज-नैतिक विषयों में अन्य राष्ट्रों के साथ अपना तंज अद्यवा महत्व प्रगट करना और छोटी छोटी संयुक्त रियासतों अथवा प्रांतों का कार्य बड़ी बड़ी रियासतों के मुकाबले में उत्तमता पूर्वक चलाना। इनमें से पहला उद्देश्य स्पष्ट और व्यार्यानुकूल है। परतु दूसरा उद्देश्य उतना स्पष्ट नहीं है। जर्मन कहने से जहा एक ही खून का बोध हो और जर्मन शत्रु कहने से जहा सारी जर्मन जाति का शत्रु समझा जावे, यह भावना उत्पन्न होकर सब रियासतों न मिलकर जिस समय सामूज्य का संगठन किया उससे पहले राज्य और रियासतों को दशा कैसी थी, जिन्हे इस बात का स्मरण है, उन्हीं के व्याज में विशेष कर के, यह दूसरा उद्देश्य था सकेगा, अन्य लोगों के नहीं। सामूज्य संगठन के समय सामूज्य के लिये कानून कायदे बनानेवाली और इन कानून कायदों पर चलनेवाली नई संस्थाएं उत्पन्न हुई। अतएव पुरानी रियासतों को अपने अधि-

कार त्यागने पढ़े । परतु ऐसा होने के पहले से वे अधिक शक्तिशालिनी हो गई हैं । हमारा यह कथन चाहे किसी को विपरीत मालूम हो परतु यथार्थ बात यही है । यदि और कोई भी, विचार कर के देखेगा तो वह भी इसी नीति पर पहुँचेगा । इस नई व्यवस्था से प्रत्येक रियासत अथवा प्रांत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है और यह स्वतंत्रता आगे भी ऐसी ही रहेगी । रियासतों में राजा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं और स्वतंत्री की शक्ति पर अवलबित रहकर अन्य लोगों से अलग रहनेवाले राजा के राज्य से अत्यंत सत्तात्मक राज्यपद्धति जो प्राय नष्ट हो गई थी अब भी थोड़ी बहुत, उसी प्रकार बनी हुई है । एक सत्तात्मक राज्य पद्धति अर्थात् वशपरपरागत राज्यशासन का प्रभाव जितना पहले था उतना ही अब भी जर्मनी में यन्त्रा हुआ है । सोशल डेमोक्रेटिक पक्ष अर्थात् प्रजासत्ताधारी लोग प्रजासत्तात्मक राज्यपद्धति के सिद्धांतों को कितना ही लोगों को समझावे परतु इससे उनकी राजनिष्ठा में कुछ भी अतर पढ़ने की उम्मादना नहीं है । प्रिंस विस्मार्क ने अपनी रिक्लूशन नाम की पुस्तक में उपरोक्त मत को दृढ़ करने के लिये अपने विचार स्पष्ट प्रदर्शित किए हैं । उनके मतानुसार भी नवीन राज्य व्यवस्था से, केवल प्रशिया में ही नहीं, छोटे बड़े सब प्रांतों अथवा रियासतों में भी राजा की सत्ता अधिक घड़ गई है । किन्तु रियासतों में तो राजा की लोकप्रियता के कारण, वह सत्ता और भी अधिक दृढ़ हो गई है । राजनैतिक विषयों में प्रगमनशील कल्पना के अनुरोध से प्रजा को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार कार्य करने से राज

सत्ता और भी दृढ़ हो गई है। तात्पर्य यह है कि राजा के सबध में एक-सत्तात्मक राज्यपद्धति की जड़ें जनता की अद्वारूपी उपजाऊ भूमि में बहुत गहरी चली गई हैं।

सन् १८२८ में गेटे (Goethe) ने लिखा था—“राज्य में एक राजधानी घनाने से जर्मनी में एकता उत्पन्न होगी, जो यह बात कहता है, वह भूलता है।” सन् १८७१ में जिन लोगों को इस भूल के मत पर विश्वास था, उन्हें विचारने पर यह प्रगट हो गया कि साम्राज्य की स्थापना हो कर एक राजधानी होने से एकता की अपेक्षा भिन्नता का भाव अधिक दृढ़ हो गया। साम्राज्य को स्थापित करने से यह भेदभाव दूर हो जायगा, जिनको इस बात का बड़ा भरोसा था, वे भी अत मे निराश हुए। परतु साम्राज्य का स्वास्थ्य और उसके भरोसे पर बढ़ता हुआ व्यवसाय और स्वत के कामकाज सबधी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये संयुक्त राज्य बड़ा प्रयत्न करते रहते हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि जर्मनी में भिन्न भिन्न जो छोटी छोटी रियासतें हैं और जिनको “पितृभूमि” (Fatherland) कहते हैं, उनके विषय में, प्रजा के मन में अपने राजधराने और पितृभूमि के विषय में विलक्षण प्रेम उत्पन्न हो गया है।

प्रिंस विस्मार्क का सिद्धात था कि यदि जर्मन लोगों के मन में वास करता हुआ राजधराने का प्रेम कमु किया जाय सो उनमें देशभिमान का गुण उत्पन्न नहीं हो सकता। इस विषय में उन्होंने लिखा है—“जर्मन लोगों का पितृभूमि पर प्रेम होने के लिये राजा पर निष्ठापूर्वक प्रेम का होना बहुत

आवश्यक है । जर्मन राजधराने के मुख्य पुरुष को यदि आज एकदम पदच्युत करने की कल्पना की जाय तो यूरोप के राजकाज में और परस्पर राष्ट्रों में विवादग्रस्त प्रभ जो सदा स्थित होते हैं, उससे जर्मन लोग अलिङ्ग रहेंगे । इम लोग जर्मन हैं केवल इतनी ही बात ध्यान में रखकर वे एकमत हो कर कोई भी राष्ट्रीय व्यवहार नहीं करेंगे । राजा समाज में सद से घेप्त है, वह समाज का नियता है, ये मानसिक धर्म यदि एक बार शिथिल हो जावें तो एकता के सूत्र में वैधे हुए अन्य राष्ट्रों के सामने जर्मन लोग ठहर नहीं सकते । अन्य लोगों की अपेक्षा प्रशिया के लोगों में राष्ट्रीय गुण विशेष हैं । यह यात उत्तर देश के इतिहास से स्पष्ट ज्ञात होती है । परतु वहाँ भी यदि होइनजोर्लन राजधराना नष्ट हो जाय तो उनमें इस गुण का होना अथवा न होना घरावर है और इस समय पर पूर्व प्रशिया और पश्चिम प्रशिया में जो एकता है वह नष्ट हो जायगी । विशिष्ट राजधराने का स्तकट अभिमान और उस धराने के नाम के नीचे आनेवाले राष्ट्रीय समूह के लोगों के भत करण में एकता उत्पन्न करने के काम में होनेवाला सबका स्पर्योग, ये दो बातें जर्मन साम्राज्य के सबध में विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए ।”

जर्मन लोग अपने अपने प्रातों पर सभी प्रकार प्रेम करते हैं जैसा साम्राज्य संगठन से पहले करते थे । साम्राज्य सबधी अभिमान होते हुए भी अवसर आने पर वे अपने प्रात का प्रेम भुलाते नहीं और अपनी छोटी सी पिण्डभूमि की स्वतंत्रता नह करने की अपेक्षा साम्राज्य नष्ट होने की कुछ परवाह नहीं

करते । इस प्रकार के विचार के लोग वही वही रियासतों में तो पाए ही जाते हैं परतु छोटी छोटी रियासतों में भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं है । रियासतों को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से यदि किसी अधिकार को कम करने की चर्चा उठाई जाय तो उनका खून खौलने लगता है । अतएव लोगों के मन में जो पृथगभाव है, उसे दूर करके केवल यह भाव उत्पन्न करना कि हम सब 'जर्मन' हैं साम्राज्य के राजनीतिज्ञ पुढ़पों का कर्तव्य है और वे अपने कर्तव्य पालनार्थ दत्त चित्त हो कर लग द्युए हैं । उनका यह प्रयत्न सिद्ध हो जाने पर जर्मन एक राष्ट्र है, यह भाव उनके मन में उत्पन्न हो जायगा और वर्तमान समय के डाकाडोल विचार नष्ट हो कर साम्राज्य संघीय उनका विश्वास अधिक दृढ़ हो जायगा, इसमें संदेह नहीं है ।

जर्मनी म सार्वभौम जो सत्ता स्थापित हुई है, वह बिल्कुल अनियत्रित नहीं है । लोगों को उम पर कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त है । अतएव उसका स्वरूप बहुत कुछ सौन्य हो गया है । परतु तौ भी लोकप्रतानुरोध से इससे अधिक सौन्य स्वरूप दिया नहीं जा सका यह जान कर बहुत से लोगों में निराशा उत्पन्न हो गई है । राइटराग (पार्लियामेंट, प्रजा द्वारा चुने हुए लोगों की सभा) पर किसी भी पक्ष के लोग प्रसन्न नहीं हैं । परतु इसका बहुत सा दोष कुछ लोगों के कथनानुसार स्वयं सभासदों पर है । ये सभासद कोरा वादविवाद और टीका टिप्पणी करने में ही अपना समय ब्यतीत करते हैं । राष्ट्र के कल्याण की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं रहता । उनपर

जाय आक्षेप किए जाते हैं वे बहुत करके ठीक हैं। परन्तु सारा दोष सभासदों का भी नहीं है। उनके हाथ में काम करने का काई भी अधिकार नहीं है। अतएव वे कोरा वाद विवाद करते हैं। राइटिंग के सगठन का इतिहास देखने से पाया जाता है कि उसमें दो प्रकार की राज्यपद्धति का मिश्रण करने का प्रयत्न किया गया है। ये दोनों पद्धतियाँ-एक तो जर्मनी की रियासतों में प्रचलित एक-सत्तात्मक-राज्यपद्धति और दूसरी पश्चिमी प्रतिनिधि-निक्षिप्त शासन पद्धति हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध शासन पद्धतियों ना मिश्रण करके राइटिंग को जो स्वरूप दिया गया है वह अपूर्ण है। २। वर्ष की उमर का प्रत्यक्ष मनुष्य उसमें सभामद हो मरुता है। “फेडरेल कॉमिटी” अर्थात् सयुक्त रियासतों की प्रतिनिधिसभा जिसे “बुडसराट्” कहते हैं उसीके समान कायदा कानून बनान का इस सभा को अधिकार है, यह सच है, परंतु काम करनेवाले अधिकारियों पर अर्थात् मन्त्रिमण्डल पर उसका विलकुल अधिकार नहीं है। मन्त्रियों को नियत करना अथवा उनको अलग करना यह अधिकार जर्मन सम्बाटू के हाथ में है और अपने इन्डियन सरकार वे उसका उपयोग करते हैं। व्यक्तिश अथवा सघ शक्ति के बल पर राजकीय पक्ष के लोगों को सम्बाटू अथवा अधिकारियों के विरुद्ध हाथ पर हिलान तक का अधिकार न होने को परिणाम यह होता है कि कानून कायदे बनाने का अधिकार राइटिंग क सभासदों को होते हुए भी जिनको सारा राष्ट्र चुनता है, राज काज चलाने के काम में राष्ट्र का हाथ नहीं होता। सभा में वादविवाद का काम

छोग खुले दिल से करते हैं। सरकारी काम को उचित मान न खेकर मनमानी टीका टिप्पणी करते हैं। अपने इच्छानुसार दिना रोक टोक के बे अपनी राय देते हैं। ये सब बातें जैसी होनी चाहिए वैसी होती हैं, परतु इतना होकर भी सभासदों को राज काज में जो अपनत्व होना चाहिए वह नहीं होता, और भेदभाव बना ही रहता है।

कानून कायदा बनाने का भी समान रूप से विभाग नहीं किया गया है। किसी नए कानून का मसौदा उपस्थित करने का अधिकार सभासदों को दिया गया है। इसी अकार सरकार की ओर से जो कानून का मसौदा पेश हो, उसे पास न करने अथवा उसमें सुधार करने का भी अधिकार सभासदों को दिया गया है, और इसी तरह पर यदि किसी सभासद ने कोई बिल उपस्थित किया तो उसे स्वीकार करने अथवा न करने या उसके बजाय दूसरा नया बिल उपस्थित करने का सरकार को भी अधिकार प्राप्त है। दोनों की समानता बताने का यह एक उत्तम साधन है। परतु व्यवहार में वह किसी काम का नहीं है। सरकार द्वारा उपस्थित किए गए बिल बराबर पास होनेवाले हैं परतु यदि किसी सभासद ने बिल उपस्थित किया तो बिल पास होने तक उसका नाकों दम आ जाता है। बिल को वापस लेने की अपेक्षा उसमें जितना कठर ब्योंत सरकार चाहती है उतना करने को भी वह विचारा तैयार हो जाता है। सरकार की ओर से किसी योजना के उपस्थित किए जाने पर, उसे अस्वीकार कर देने से कायदा कानून बनाने का यश नह रह करने

का अधिकार राइट्सटाग को है परन्तु इस अधिकार का संपर्योग करना मानो सरकार को उठवे बैठते तगड़ा करना है; फिर भी इससे कोई विशेष लाभ न होकर उल्टी मूर्खता गले पड़ती है। अतएव ऐसी मूर्खता को लेकर काम को बद कर देने की अपेक्षा सरकारी योजना में उचित फेर फार कर के उसे स्वीकार करने का मार्ग ही सभासद पसद करते हैं।

किसी पक्ष के अधिकारारूढ़ होने पर, उसी के हाथ में, राज काज के सारे सूत्र देना, इग्लैंड के समान जर्मनी में, यह चाल नहीं है, और वहाँ के कुछ लोगों का मत है कि ऐसा न होना हितफर है। इस सबध में वे यह उक्ति बताते हैं कि जर्मन मन्त्रिमण्डल में पक्षाभिमान न होने से वे जो कानून कायदा पास करते हैं, वह किसी सांस पक्ष के हित साधनार्थ पास नहीं किया जाता, सारी प्रजा का जिससे हित होता है उसी प्रकार की राज्यव्यवस्था बनाने की आर सदा उनका ध्यान रहता है। इग्लैंड के मन्त्रिमण्डल से इतना निष्पक्षपात्र होकर फाम करते नहीं चरता। परन्तु इन विचारों में भूल है। थोड़ा सा विचार करने पर ही यह भूल मालूम हो जाती है। जर्मनी के अधिकारी मण्डल के पक्षाभिमान की पात्र तो दूर रही चरन प्रतिनिधि सभा में अपना मत प्रवर्त फरने के लिये जिस पक्ष के लोग अपने अनुकूल हैं, ऐसा प्रतीत होने पर, उन्हें अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि पक्ष प्रवर्त न होने से राज-शक्ति चल फैसे सकता है? इस प्रकार का व्यवहार प्रातिक सभाओं (डारट) में ही होता हो, यह बात नहीं है, प्रशिया अथवा

साम्राज्य की बड़ी सभा में भी यह व्यवहार चलता है। गरु बीस पचीस वर्षों में, एक दो अवसरों को छोड़ कर प्रशियन लोअर हाउस में कसरखेटिव पक्ष के लोगों के हाथ में हाथ मिलाकर सरकारी अधिकारी, अपना पक्ष प्रबल यनाते रहे हैं। प्रिंस विस्मार्क ने भी साम्राज्य के आरम्भ में राइटिंग में के एक पक्ष का सहारा लिया था। परंतु जब उस पक्ष को अपने अनुकूल होते न पाया तब उसे त्याग कर फिर दूसरे पक्ष का सहारा लिया। उनके पश्चात् होनेवाले चास्प्लर लोगों ने भी इसी मार्ग का अनुकरण किया। तात्पर्य यह है कि जो पक्ष प्रबल होता है, मव्रिमडल उसी पक्ष को अपने अनुकूल बनाए रखने का प्रयत्न करता है।

जिस राज्य का ध्येय एक सत्तात्मक राज्यपद्धति नहीं है अथवा बृटिश पार्लियमेंट के अनुसार बहुसत्तात्मक राज्य पद्धति भी नहीं है, उस राज्य के लोगों के मन में सार्वजनिक हित सबधी उन्नति के विचार उत्पन्न नहीं होते और राजनैतिक हित के उपयोगी विचार शृखलाबद्ध नहीं होते। अपने हाथ में अधिकार नहीं है, यह बात भिन्न भिन्न पक्ष के लोग जान कर निरर्थक वादविवाद में अपनी सारी शक्ति लगाते हैं और इस कोरे वादविवाद से कोई लाभ भी नहीं होता। राइटिंग के सारे सभासद राष्ट्र के युवा मुरुषों द्वारा निर्वाचित होते हैं और उनके पक्ष में बहु-जन-समाज होता है। यह बहु-जन-समाज वाद-विवाद-प्रिय होने के कारण बक्तुता का स्रोत बराबर बहा करता है। परंतु उनकी नि सार बक्तुताएँ जितनी निष्फल होती हैं उनकी अन्य शिक्षित देशों की किसी भी प्रतिनिधि

सभा के सभासदों की नहीं होतीं। 'टीका टिप्पणी करने में कोई रोक टोक नहीं है, यह बात उन सभासदों को मालूम ही है। अतएव सरकारी काम की वे इच्छानुसार आलोचना करते हैं और ऐसा करने पर वे सचार के नामा विषयों पर वक्तृताएँ फटकारते रहते हैं। यदि एक वर्ष के व्याख्यानों की संख्या देरी जाय तो मालूम होगा कि सचार का कोई भी विषय छृट नहीं गया है। परतु यह पद्धति राजनैतिक दृष्टि से दिविकारिणी नहीं है और कानून कायदा बनाने के काम में भी उससे उचित सहायता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि राजकाज में लोकमत का लाभदायक प्रभाव जो पढ़ना चाहिए, वह नहीं पढ़ता। अधिकारी लोग अपना काम ईमानदारी और फर्स्टव्यरत होकर करते हैं, इस बायत किसी को शका नहीं है। परतु साधारण लोगों के साथ मिलकर सामने उपस्थित किए गए प्रश्नों पर उदारतापूर्वक समाज का हिताहित देखकर कार्य करने की योग्यता का अभाव उनमें अवश्य है, और सब से बुरी बात जो है, वह यह है, कि पार्लियामेंट के समाज सभा पर कानून कायदा बनाने की चिमेदारी होने की अपेक्षा उसके अधिकारी मडल पर होने के कारण, असंतुष्ट प्रजा, अधिकारियों पर और जिस राज्य-पद्धति द्वारा आवश्यकता से अधिक सत्ता हाथ में आती है, उस राज्य-पद्धति पर, दोषारोपण करती है। किसी राजनैतिक विषय का निर्णय इगलेंड के कुछ लोगों अथवा किसी पक्ष विशेष को पसद न हुआ तो वहा राज्य-पद्धति को सहसा दूषित नहीं पताया जाता, क्योंकि जो भूल हो गई है, उसको पुनः ठीक कर लेने की

कर्मोदेश शक्ति वे समझते हैं कि इसमें मौजूद है। असतुष्ट जर्मन नागरिक लोग स्वतः किसी बात को कहने में समर्थ नहीं हैं। अतएव वे राज्य-पद्धति को ही सदा दूषित घताया करते हैं।

राज्य व्यवस्था में किस प्रकार का सुधार जर्मन लोग चाहते हैं, उसका दिग्दर्शन भी यहा पर करा देना उचित होगा। जिन तीन बातों के लिये वहा बाद विवाद हो रहा है वे ये हैं—(१) चुनाव का अधिकार (२) सभासदों का निर्वाचन विभाग और (३) राजमन्त्री की जिम्मेदारी। इनमें से पहली बात का सर्वधं तो केवल उन रियासतों से है जहा निर्वाचन सबधी सुधार अभी तक होना बाकी है, और बाकी की दो बातों का सर्वधं सार्वभौम सभा से है।

प्रशिया में प्रतिनिधियों के निर्वाचन सबधी अधिकार का जो प्रश्न उपस्थित है, उसे स्थानीय-प्रश्न बनाए रखने का प्रयत्न आज बहुत बढ़ों से हो रहा है परतु उस प्रश्न को अब सार्वभौम स्वरूप प्राप्त हो गया है। प्रशिया के लोअर हाउस में रोटिकल पक्ष के एक सभासद ने सन् १९०८ में कहा था—“जर्मन की सारी संयुक्त रियासतों में प्रशिया का स्थान सब से ऊँचा है और सारे साम्राज्य पर उसका प्रभाव है, अतएव प्रशिया में निर्वाचन सबधी प्रश्न का निर्णय केवल प्रशिया की दृष्टि से न किया जाकर जर्मन राष्ट्र की दृष्टि से किया जाना चाहिए।” प्रशिया की राज्यव्यवस्था को नवीन पद्धति पर-लाने की ओर अन्य रियासतें बहुत प्याज देती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दुर्दिव्य और राष्ट्र की सम्पत्तिक

दशा सुधारने में प्रशिया ने निर्ता बन कर जैसा काम किया है उसी प्रकार राजनैतिक विचारों को नया स्वरूप देने के काम में भी उसको अगुआ बनकर काम करना चाहिए, इस भाव का प्रशियन लोगों के मन में उत्पन्न होना एक सहज बात है। “इपीरियल चैंसलर” और “प्रशियन मिनिस्टर प्रेसिडेंट” इन दोनों जगहों पर एक ही आदमी होने का उद्देश्य यही है कि सामाज्य और रियासतों की राज्य-पद्धति समान हो। यह बात रियासतों की ओर स उपरोक्त बात को पुष्ट करने के लिये बार बार आगे लाई जाती है और इस विषय में उभय पक्ष के बीच सदा वाद विवाद होता रहता है। एक पक्ष दक्षिणी जर्मन लोगों का यह है कि प्रशिया के धीमेपन के कारण इस लोग भी पीछे रहे जाते हैं। दूसरा पक्ष यह कहता है कि यदि प्रशिया के राजनैतिक विचारों में पीछे पड़े हुए लोगों को इन उदाराशय मनुष्यों ने अपने साथ ले चलने का प्रयत्न किया तो लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं।

प्रशिया के खमीदारों के मुख्य समाधार पत्र “बर्लिन कास गजट” ने सन् १९०७ में एक लेख प्रकाशित किया था—“प्रशिया अथवा अन्य रियासतों के बीच जो मतभेद है वह आज कल एक नया रग लाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ रियासतों और खास कर दक्षिण जर्मनी की रियासतों में पार्लियामेंट (डाएट) के निर्वाचन के जो नियम हैं, उनमें लोकमत का खयाल करके कुछ अद्यत बदल किया गया है। इसी प्रकार प्रशिया भी अपने नियमों में अद्यत बदल करना चाहता है परन्तु प्रशिया की सरकार और पार्लिया-

मेंट को यह बात स्वीकार नहीं है। दक्षिण-जर्मनी की रिया सत्रों को सार्वभौम डाएट की पद्धति पर प्रत्येक बालिंग पुरुष को मत देने का अधिकार है। इसी कारण राजनैतिक उभति के कामों में नेता होने का थोड़ा मान उनको देना जरूरी है। परन्तु प्रशिया में इसका बिलकुल उल्टा है, यह बात जो लोग कहते हैं, वह ठीक नहीं है। इन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जर्मन सामूज्य समाजित करते समय जिन 'बड़े और खानदानी लोगों ने परिश्रम किया था, उसकाँ लाभ उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। उस लाभ को उन्हें न मिलने देने का यदि कोई प्रयत्न करे तो यह समझना चाहिए कि उसके ध्यान में यह बात आई ही नहीं है कि सामूज्य की स्थापना अपनी भलाई के लिये हुई है अथवा गुराई के लिये ।"

निर्वाचन का अधिकार विशेष विस्तृत होना चाहिए, यह बात जो लोग कहते हैं, उनका कथन है कि सामूज्य के लिये जो बात हितकारी है वह उसके अतर्गत रियासतों के लिये क्यों न हितकारी समझी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह यह भी बताते हैं कि प्रशिया में निर्वाचन की जो पद्धति है वह सामूज्य की मुख्य रियासतों को पसद नहीं है। अतएव उन्होंने अपने लायक अपना सुधार कर लिया है। प्रशिया में इस पद्धति का वीजारोपण कैसे हुआ, उसे संकुचित स्वरूप क्यों कर प्राप्त हुआ और अब भी उसका यह स्वरूप क्यों बना हुआ है, दिना इन बातों को स्पष्ट किए हुए, यह विषय समझना कठिन है।

‘ उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य काल में , प्रशिया के नेताओं के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि राजकाज में , अपना भी हाथ होना चाहिए । इसी के अनुसार सन् १८४९-५० में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम ने लोगों को राजकाज सबधी अधिकारों की सनद प्रदान की । इस सनद के अनुसार सन् १८७१ अर्थात् साम्राज्य की स्थापना होने के बाद तक काम होता रहा और अब तक इसी के अनुसार काम हो रहा है । प्रशिया का प्रभाव अधिक होने के कारण , साम्राज्य की स्थापना होने के बाद की राज्यव्यवस्था में और राजनीतिक आदेशों में , प्रशिया का अनुकरण ही अन्य सभी रियासतों ने किया । प्रशियन लोगों को अधिकारप्राप्ति की सनद तो मिली और लोगों को मत देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ परन्तु वहाँ की पार्लियामेंट में सचे प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो कर सरकार के अनुकूल प्रभावशाली खानदानी लोगों का ही निर्वाचन अधिकतर होता है । परन्तु यह क्यों होता है , इसका भी कारण सुनिए ।

“प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने का जिन्हे अधिकार है , उनके तीन विभाग किए जा सकते हैं । ये विभाग सरकारी कर अदा करने का ध्यान रख कर किए गए हैं । अर्थात् ये लोग अधिक कर देते हैं , वे अधिक प्रतिनिधि चुन सकते हैं और जो कम कर देते हैं वे कम प्रतिनिधि चुन पाते हैं । अब इम इस विषय को और भी स्पष्ट करके बताते हैं । प्रशिया में २,६०,००० अमीर लोग कर देनेवाले हैं जो एक विहारी सभासदों का निर्वाचन करते हैं । ८,७०,००० लोग मध्यम

श्रेणी के एक तिहाई भनुष्यों का निर्वाचन करते हैं और ६५,००,००० गरीब लोग भी एक तिहाई मेंबर चुन देते हैं। इसका परिणाम सदा यह होता है कि ६५ लाख लोगों के प्रतिनिधि विलक्षण थोड़े होने के कारण, उनके प्रतिनिधि प्रशियन लोकसभा में बहुत कम होते हैं अर्थात् प्रशियन लोक-नियुक्त-सभा का "लोक" शब्द निरर्थक है। वर्ल्ड नगर की म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के समय भी यहाँ कठिनाई आ चपस्थित होती है। कर के अनुसार वर्गीकरण का परिणाम यह होता है कि वर्ल्ड नगर में सोशल डेमोक्रैट लोगों की अधिकता होते हुए भी १४४ म्युनिसिपल सभासदों में से ३२ मेंबर "लोकसत्ता वाले" होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस-नगर में लाख लोग वास करते हैं उस नगर की व्यवस्था दो तिहाई सभासदों का निर्वाचन करनेवाले ३३००० लोगों के हाथ में है।

यह ही लोकनियुक्त सभा की कैफियत, जिसे "लोकर हाउस" कहते हैं। अब बड़ी सभा की दशा का क्या वर्णन किया जाय। इस बड़ी सभा को "अपर हाउस" कहते हैं। इस अपर हाउस में राजघराने के युवा राजकुमार, सरदार, महाजन, जर्मानी और राजा ने जिसे जीवन पर्यंत चुन दिया, ऐसे लोग, सभासद होते हैं। लोकसत्तावादी क्षमित ही मेंबर इस सभा में देखे जाते हैं। प्रशिया की इस सभा में ३२७ सभासद थे, जिनमें केवल १२ लोक सत्तावादी थे, अर्थात् ३ बैंक के डायरेक्टर, ८ व्यापारियों के प्रतिनिधि और केवल १ मजदूर पक्ष का। इससे यह कह

सकते हैं कि व्यवसाय वाणिज्य और मजदूरी करनेवाले लोगों में ४ फी सदी से अधिक योग्य मनुष्य इस काम के लिये प्रशिया में मौजूद नहीं हैं। अतएव प्रशिया में, सबे लोकमत का राज्याधिकारियों की आर से कितना मान है और उन्हें कितनी उत्तेजना मिलती है, यह प्रगट हो जाता है।"

अब साम्राज्य महासभा "राइटाग" से निर्वाचन कार्य किस तरह होता है, यह देखिए। इस सभा में लोकनियुक्त, प्रतिनिधियों के लोग होते हैं। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, प्रशियन पार्लियामेंट की तरह परपरा से नहीं होता। इक्स वर्ष को उमर के हर एक मनुष्य को मत देने का अधिकार है। उन लोगों द्वारा निर्वाचित ३९७ सभासद, इस सभा में बैठ कर कानून कायदा बनाते हैं और राजकाज सुयत्रित रूप से चलाने के लिये उचित घन स्वर्च करने की आशा प्रदान करते हैं।

इससे यह पता चलता है कि राइटाग में निर्वाचन कार्य वहे सरलतापूर्वक होता है और यह सरलता दक्षिण जर्मनी की कई रियासतों ने अपनी अपनी पार्लियामेंटों में निर्वाचन के समय काम में लाई थी। परतु अन्य रियासतों में प्रशियन निर्वाचन-पद्धति का प्रचार होने से लोकमत जितना प्रगट होना चाहिए, उतना प्रगट नहीं होने पाता। अतएव अन्य रियासतों का कथन है कि प्रशिया को अपना बर्ताव, इस सबध में, जरा उदारतापूर्वक प्रगट कर दिखाना चाहिए।

राइटाग की निर्वाचन-पद्धति कुछ अधिक सतोषजनक नहीं है, क्योंकि वहां भी लोकमत के अनुकूल प्रतिनिधि नहीं

जाते । इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न रियासतों के सभासदों का विभाग उचित रीति से नहीं किया गया है । किस शहर से कितने प्रतिनिधि आने चाहिए—यह बात प्रिंस विस्मार्क और उनके साथियों ने सन् १८७२ में निश्चय कर दी थी । उस समय यह विभाग एक तर्फा किया गया था । इस सभा में भी जहा तक हो सके बड़े बड़े जर्मनीदारों का ही निर्वाचन होता है, जिससे उनके द्वारा राजसत्ता और राजघराने के लोगों का हितसाधन होता रहे और इसी उद्देश्य पूर्ति के लिये ये विभाग किए गए थे । परतु अब यह चुनाव बिल्कुल ऐसे तर्फा ही नहीं रहा वरन् अन्याय की कोटि तक पहुँच गया है । सन् १८७२ के बाद जर्मनी में व्यवसाय व्यापार की खूब उन्नति हुई और उसी के साथ आवादी भी बढ़ी । परतु बढ़ती हुई आवादी के मुकाबले में अधिक सभा सदों के निर्वाचन का नियम नहीं बनाया गया । बर्लिन अब बहुत विशाल नगर हो गया है परतु तोभी उसके ६ प्रतिनिधि निर्वाचित हो पाते हैं । सन् १८७२ में जो बिल्कुल छोटे से गाव ये अब बड़े बड़े नगर हो गए हैं परतु उनके प्रतिनिधियों का साम्राज्य-सभा में कहीं नाम नहीं है । यह दशा सुधारने के लिये “नेशनल क्लिवरल” और “सोशल डेमोक्रैट” लोगों का प्रयत्न जारी है परतु अब तक उन्हें इस काम में यश नहीं मिला है ।

राइश्टाग के ऊपर “बुडेसराट” नाम की जो सभा है और उसके हाथ में जो अधिकार हैं, उनको देखने से राइश्टाग को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, यह बात ध्यान में आ जाती है । यह

सभा सब सयुक्त प्रातो अर्थात् रियासतों के प्रतिनिधियों से यही है। इस सभा में राजघराने के लोग और वहे बड़े सरदार लोग सम्मिलित हैं। दूर एक रियासत से चुनकर ये लोग उनके प्रतिनिधि बनकर सभा में आते हैं। किसी कठिन प्रश्न क उपस्थित होने पर अपनी रियासत की सम्पत्ति से हर एक मेघर अपनी एक एक राय अर्थात् मत दे सकता है। इस सभा में कुल ५८ सभासद हाते हैं। इस ५८ में १७ तो अकेले प्रशिया रहे हैं। ये प्रतिनिधि उस सभा में, अपनी निजी राय नहीं देते, उनकी रियासत की ओर से जो कुछ कहा जाता है, उसे ही व्यक्त करने के ये अधिकारी हैं। “यह सभा अपना कार्य गुप्त रखती है। जो कार्य रियासते अपनी राजधानी में नहीं कर सकतीं वह कार्य इसके द्वारा होता है। लोकमत के दबाव का भय इस सभा का विलकुल नहीं है, इसी कारण प्राचीन घरानों के लोग इसमें बहुत कुछ भाग लेते हैं। किसी भी उन्नतिशाली राष्ट्र में इतनी सयुक्तशक्ति की शालिनी सभा नहीं है। उस सभा में प्रशिया के १७ सभासद होने के कारण ही प्रशिया के राजा—जर्मन सम्राट्—का प्रभुत्व अधिक रहता है। स्थल और जल सेना सबधी कानून कायदों का बनाना, सामूदय क खर्च के लिय कर लगाना, इत्यादि दातों का निर्णय प्रशियन प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा दाता है, क्योंकि १७ मतों के अनुकूल होने पर अन्य प्रतिनिधि भी उनके मत को अस्वीकार नहीं कर सकते।

युद्ध और सुलह करने में इस सभा की राय ली जाती है।

इसके अतिरिक्त राइटाग द्वारा स्वीकार की हुई नीचे लिखी

बातों पर भी यह सभा अपना अधिकार रखती है—(१) राइश्टाग द्वारा पास हुए कानून कायदों पर विचार, (२) कानून कायदों के प्रचार संबंधी व्यवस्था पर विचार, (३) कानून कायदों के प्रचार में जो कठिनाइयाँ आ कर उपस्थित हों, उन पर विचार। जर्मन समूट जिसे अपना “चैंसलर” (मुख्य प्रधान) बनावे, वही इस सभा का सभापति होता है और वही इस सभा की ओर से लोकनियुक्त सभा में भाग्य करता है। परतु “बुँडेसराट” सभा को कोई बात शायद पसद न हो, इस विश्वास पर सभा की ओर से कोई वष्टन यह नहीं दे सकता।

अब तक, पीछे कहीं हुई दो बातों का सबध होने के कारण पर विचार किया गया। बाकी तीसरी बात, “मन्त्रि-मण्डल” की जिम्मेदारी पर लिख कर यह विषय समाप्त किया जाता है।

यह तीसरी बात बहुत नाजुक है। परतु लोकसत्ता-बादी लोगों के कथनानुसार यदि इसमें सुधार हुआ तो साम्राज्य और प्रशिया की राज्यव्यवस्था के नियमों में बहुत गडबड मच जायगी, अर्थात् उसे एक भिन्न स्वरूप ही देना पड़ेगा। यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो जर्मन समूट के मन्त्रि-मण्डल पर ही सारी जिम्मेदारी है, परतु व्यवहार में उसका अनुभव नहीं होता। इग्लैंड का मन्त्रिमण्डल किसी विशेष पक्ष का होने से जब उसका पराजय होता है तब मन्त्रिमण्डल को पदच्युत होना पड़ता है। परतु यह दशा जर्मनी की नहीं है। सैनिक विभाग को छोड़ कर, अन्य विभागों में, समूट

जो आक्षा देता है अथवा जो घोषणा प्रचारित करता है उस आक्षा अथवा घोषणा पर इपीरियल चैंसलर को एक किनारे इस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अतएव नियमानुसार उसे जिम्मेदार होना चाहिए परन्तु वह जिम्मेदार नहीं होता। प्रधानमन्त्री से, सभासद जो चाहें वह प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके किए हुए कामों के सबध से वे इनकार कर सकते हैं परन्तु उसे अथवा अन्य मन्त्रियों को अलग कर देने का उन्हें अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल जर्मन समूट के हाथ में है। समूट अर्थात् कैसर ही प्रत्यक्ष राजसूयों के सचालक और मन्त्रिमण्डल के मुख्याधिकारी हैं। उनका निर्वाचन पहले के समान रियासतों द्वारा न हो कर, बशपरंपरा गत होता है। प्रशिया के बाहर उन्हें दीवानी कानून के अनुसार किसी काम में हाथ ढालने का अधिकार नहीं है परन्तु वे जर्मन जल और स्थल दोनों प्रकार की सेनाओं के मुख्याधिकारी हैं और पर-राष्ट्र सबधी सारा काम उन्हीं के हाथ में है। इसके अतिरिक्त रियासतों की प्रतिनिधिसभाओं में भी उनका बहुत प्रभाव है। प्रशिया की अद्वृत शक्ति—एक दम सप्रह मत—होने के कारण ही, यह सभा उनके इच्छानुसार ही काम करती है। उनके प्रधान को चैंसलर कहते हैं, उसकी सहायता के लिये प्रत्येक विभाग में एक एक मन्त्री रहता है। सहायक मन्त्रियों की अपेक्षा उसका अधिकार और योग्यता अधिक न होने पर भी उसकी इरड़ैंड के मन्त्रियों से तुलना करना कभी उचित न होगा।

बाइसवाँ अध्याय ।

सोशियालिज्म के भावी चिन्ह ।

ज़र्मनी के सामाजिक और साम्पात्तिक आदोड़न का

अध्ययन करनेवाले लोगों को, सोशल डेमोक्रैट्स्‌ लोगों के समघ की बातें भी अवश्य जान लेनी चाहिए । जनवरी सन् १९०७ में जो सार्वभौम निर्वाचन हुआ था उसमें सोशियालिस्ट लोगों की हार हुई । इससे यह अनुमान किया जाता है कि इन लोगों की सख्त्या जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ी नहीं । अर्थात् लोक सख्त्या के साथ साथ इन लोगों की सख्त्या नहीं बढ़ी । सन् १९०७ में सोशियालिस्ट उम्मेद वारों ने ३ २,५८,००० मत अधिकार में कर लिए थे परतु सन् १९०३ में यह सख्त्या ३०,१०,११० थी । सन् १९०३ में जहाँ ४३ फी सदी बाढ़ हुई वहा सन् १९०७ में ८२ फी सदी बाढ़ हुई । सन् १९०३ में जहा सब मतों में सोशियालिस्ट लोगों के मत प्रति सैकड़ा ३१ ७ थे वहा सन् १९०७ में प्रति सैकड़ा २९ रह गए । छोटी छोटी रियासतों से करीब दो हजार के मत उनके हाथ से निकल गए । मुख्य हानि साक्षेन प्राप्त में हुई । वहा एकदम २२२०० मत कम हो गए । और मेल्केनवर्ग-इवेरिन से ५५०० मत हाथ से जाते रहे । प्रशिया, बवेरिया, बेडन, बुटेम्बर्ग इत्यादि रियासतों में पहले की अपेक्षा उन्हें अधिक मत मिले परतु उससे अन्य रियासतों में जो कमी हुई वह पूरी न हो सकी ।

सोशियालिस्ट लोगों की उन्नति

नव लेखक यह बात स्वीकार
गों की और ध्यान न रखते
पराभव हुआ। इन लोगों ने
हैं पहले वर्ग में सापतिक
वर्ग में टरिद्रावस्था में जीवन
ए हैं। मजदूरों का एक और
या है जिसे "लोअर मिडिल
किसी का विशेष ध्यान न था।

बहुत प्रबल हो गया और
गों को नीचा दियाया। जो
ने की इच्छा रखते हो, उन्हें
ने लोगों में महानुभूति सपादन
ध्यान में आई तथ उन्हें बड़ा

मेणी के लोगों की सोशियालिस्ट
भूल को सोशियालिस्ट नेताओं
किया है। एवा करने से इनकी
पार को छाँग गया।

बेखनेवाले व्यापारियों ने उनका पक्ष त्याग दिया है। परतु ये कारण कुछ अधिक महत्व नहीं रखते।

सोशियालिस्ट लोगों के विरुद्ध प्रयत्न करनेवाले लोग सास कर मध्यम श्रेणी के लोग हैं। इन लोगों में सन् १९०३ और १९०६ के बीच में बहुत कुछ जागृति हुई है। सोशियालिस्ट लोगों का बल कम करने का ये लोग बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं। इसी का यह परिणाम है कि उनका प्रभाव दिनों दिन कम होता जाता है। पहले पहल मध्यम श्रेणी के लोग निर्वाचन के समय मत ही नहीं देते थे अतएव इनका स्थान सोशियालिस्ट लोगों ने हस्तगत कर लिया था। जब उन्होंने देखा कि हमारे आळस्य ने सोशियालिस्ट लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है तब वे सचेत हुए और अपना पक्ष सघल कर लेने में उन्हें बहुत समय न लगा। जिस तरह सन् १८८७ में कसरतोटिब और नेशनल लेबर लोगों ने मिल कर उनके विरुद्ध प्रयत्न करके विजय पाई थी उसी प्रकार सन् १९०७ में मध्यम श्रेणी के लोगों ने उनका पराभव किया। सन् १८८७ से १९०३ तक बरावर सोशियालिस्ट लोगों का उत्कर्ष होता गया और सन् १९०३ में तो उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। यदि सन् १९०७ में मध्यम श्रेणी के लोगों ने उनपर विजय न पाई होती तो हर बवेल का भविष्य चिना सत्य हुए न रहता। परतु उनकी उस भविष्यवाणी का ही अंत न हुआ वरन् उस आळ के निर्वाचन में, बहुतों के व्याप्ति-में यह बात आई कि बड़े बड़े शहरों में रहनेवाले लोगों ने आपस में एका करके, आपस का भेद भाव भुलाकर

कमत से चढ़ाई की जाय तो सोशियालिस्ट लोगों की उन्नति अवृद्ध वापा पहुँचेगी ।

साशल डिमोक्रेसी पक्ष के सब लेखक यह बात स्वीकार दरते हैं कि मध्यम विधान के लोगों की ओर ध्यान न रखने की ही सन १९०१ में उनका परामर्श दूषा । इन लोगों ने नामाज के दो भाग कर दिए हैं पहले वर्ग में सापतिक लोगों को रखा है और दूसरे वर्ग में दरिद्रावस्था में जीवन व्यतीत करनेवाले लोग रखे गए हैं । मजदूरों का एक और बेभाग भी किसी किसी ने किया है जिसे “छोअर मिडिल शास” कहते हैं । इसकी ओर किसी का विशेष ध्यान न था । अरु सन १९०७ में यह भाग बहुत प्रगल्ह हो गया और एकदम उसने सोशियालिस्ट लोगों को नीचा दिखाया । जो लोग राजनैतिक अधिकार पाने की इच्छा रखते हों, उन्हें बाहिए कि वे मध्यम श्रेणी के लोगों में सदानुभूति सपादन करें, जब यह बात उनके ध्यान में आई तब उन्हें बड़ा प्रार्थ्य दूषा ।

सन १९०७ में मध्यम श्रेणी के लोगों की सोशियालिस्ट लोगों में पूछ ही न थी । इस भूँड़ को सोशियालिस्ट नेताओं और लेपकों ने स्वयं स्वीकार किया है । ऐसा करने से उनकी सरटता का पता सारे सचार को लग गया । दर एडमंड शिफर ने लिखा है—

“आचादी के विचार से मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले लोगों की सख्ता बढ़ती जायगी; और मनुष्य जाति के बहुत बड़े समुदाय को सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मुगतना

पढ़ेगा, मध्यम स्थिति के लोगों का धीरे धीरे नाम निशान मिट जायगा और घोड़े दिनों में ही ऐसी स्थिति आ सप्तस्थित होगी कि सपत्ति उत्सादन की अधिकता करनेवाले मुट्ठीभर बड़े लोगों की एक श्रेणी और मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले असख्य लोगों की एक श्रेणी, इस प्रकार समाज के दो विभाग ही रह जायगे । इसलिये लोगों को सोशियालिज्म के तत्वा को स्वीकार करने के लिये यदि कुछ प्रयत्न करना हो तो मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले लोगों को अपने पक्ष में मिलान का प्रयत्न करना चाहिए, इन घातों का प्रचार आज बहुत दिनों से बड़े जोर के साथ हम लोग करते आ रहे हैं परन्तु अब अनुभव से यह बात साधित हो रही है कि यह सिद्धात ठोक नहीं है और व्यवहार में इसका प्रचार ही नहीं हो सकता । समाज में धनवान और मजदूर दो ही पक्ष रहेंगे, इसे हम लोग चिल्हा चिल्हा कर कहते थे परन्तु अनुभव से यह बात जानी गई कि मजदूर श्रेणी के अलावा एक और श्रेणी है जो धीरे धीरे आगे आ रही है । इस श्रेणी के लोग धनवान लोगों के समान ऐश आराम में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाते तौ भी मजदूरों के समान दुखी भी नहीं हैं ।”

हर फिशर ने अनुमान लगाया है कि इस मध्यम श्रेणी के लोगों की सख्त पर्याप्त लास्त से कम नहीं है । इस सख्ता में कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, जर्मांदार, मालविभाग और न्युनिसिपैलिटी के नौकर, शिक्षक और अन्य व्यवसाय-जीवी लोग समिलित पाए जाते हैं । उनके मतानुसार वे सब लोग मजदूरी पर निर्वाह करनेवाले लोगों में से ही उन्नति

करते करते थलग हो गए हैं, और विकास के सिद्धातानुसार यह क्रम सदा चला ही जायगा, कभी उक्त नहीं सकता। उनका यह मत ठीक हो अथवा न हो परतु इससे एक बात यह अवश्य साधित होती है कि सोशियालिस्ट लोगों ने आज तक जिस मत का प्रचार किया उसमें भूलें अवश्य थीं। मध्यम स्थिति के लोगों के अस्तित्व को स्वीकार न करना और यदि स्वीकार भी करना तो उसे बहुत छोटा समझना और यदि एक बार उसे नष्ट कर दिया तो अपने सिद्धातों की विजय हुए बिना न रहेगी आदि, ये उनके विचार हर प्रकार से प्रतिकूल साधित हुए और इसी कारण उनके सिद्धातों का जितना प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ा, यह बात हर एक विचारवान् पुरुष सहज ही में समझ सकता है।

सोशियालिज्म के सिद्धातानुसार व्यवसाय वाणिज्य अथवा खेती का कार्य कर के अपना जीवन निर्वाह करने-वाले लोगों को “जर्मन मिडिल क्लास” कहना उचित नहीं है। उनका कथन है कि समाज के सब लोगों को समान होना चाहिए। सापेक्षिक स्थिति के विचार से अथवा अन्य किसी विचार से उनमें किसी प्रकार के फेरफार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा किसी मनुष्य को स्वत के साहस या भरोसे पर अन्य लोगों की अपेक्षा अपना दर्जा घटाने की भी आस्रत नहीं है। मनुष्य स्वभाव की सचय करने की युक्ति के अस्तित्व को केवल विश्वास लोग ही स्वीकार नहीं करते। यह युक्ति जिस प्रकार यहे यहे किसानों में होती है उसी प्रकार छोटे छोटे किसानों में भी होती है, यहे कारबाजेवालों में

जैसी होती है उसी प्रकार छोटे शिस्पकार में भी यह होती है, राजा महाराजाओं को करण देने की जिनमें शक्ति है ऐसे लक्ष्मीपुत्रों में वह जैसी होती है उसी प्रकार खारी खुरपा ले फर घास खोदनेवाले और प्रति सप्ताह अपनी आमदनी न्युनिसिपल बैंक में जमा करनेवाले मजदूरों में भी खमाखत होती है।

उपरोक्त लेखानुसार अब भी सोशियालिज्म के कुछ लोग दरिद्रता और असतोष पर ही अधिक जोर देकर लोगों के सामने अपने सिद्धांतों को लाने का प्रयत्न करते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार अपने सिद्धांतों के प्रचार होने में बहुत देर न लगेगी। परन्तु सचार में सुधार का कार्य होने से दरिद्रता अथवा दरिद्रता से होनेवाली यातना, कुछ न कुछ धीरे धीरे कम करने के साधन अस्तित्व में आन लगे हैं, यह बात उनके ध्यान में नहीं आती और इस कारण सोशियालिस्ट लोगों का यह व्यावहारिक पक्ष बहुत निर्बल हो जाता है। इतना होने पर भी बादविवाद के समय लोगों की बढ़ती हुई दण्डिता का राग अलापते वे कमी नहीं करत। “तुम दरिद्रता में कैसे पढ़े हो और कुछ लोग धन के ढेर पर पढ़े हुए आनद मना रहे हैं, यह देखो।” ये बातें बो मजदूरों से बार बार कहते हैं और इस प्रकार वे मजदूरों के मन में असतोष उत्पन्न करते हैं। अपने अनुयायियों के बर्ताव के लिये जो नियम उन्होंने बता दिए हैं उनमें मितिव्यय—किफायतसारी—से चलने का नियम बिलकुल शुभा सा दिया गया है।

कर रक्खगे वह सफट के समय काम आवेगा और ऐसा होने से दिनदिता से उत्पन्न हुए असतोष का उन्हें बिलकुल ध्यान भरहगा। इस कारण हर एक शहर क म्युनिसिपिल सेविंग बैंक में, बहुत स मजदूर लोग अपनी बचत का रूपया जाफर जमा कर आते हैं। परतु यह बात सोशियालिस्ट लोगों को पसंद नहीं है, और यदि किसी मजदूर ने अपने बचाए हुए धन से अपने रहने के लिये अपना निज का घर बना लिया तो फिर यह बात उन्हें बिलकुल ही अन्ती नहीं लगती। मनुष्य स्वभाव प्राय समाज होता है और इसी सहज स्वभाव के कारण—फिर चाह वह सोशियालिस्ट मत का धनुयायी ही क्यों न हो, उसके मन में यह बात सहज ही उत्पन्न होती है कि अपने रहने के लिये अपना निजी मकान होना चाहिए और किराया देने का कष्ट सदा के लिये दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर छोटे छोट घर बनाने की ओर मजदूरों का ध्यान जर्मनी में बहुत कुछ आरपित हुआ है। बहुत से मजदूरों ने अपने लिये मकान बनवा भी लिए हैं। इन मकानों से उन्हें लाभ भी हो रहा है। परतु समझ करना, फिर चाह वह मकान के रूप में हो, चाहे बैंक में जमा किए हुए धन के रूप में हो, यह बात सोशियालिज्म के सिद्धातों के प्रतिकूल है। इस प्रकार का समझ करनेवाले सोशियालिस्ट पक्ष के लोग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक विशेष आश्र्य की बात यह है कि निज की सपत्ति के विरुद्ध सोशियालिस्ट लोगों की जो चढ़ाई हो रही है, उसका व्यय करने के लिये घर के लोग अर्थात्

जैसी होती है उसी प्रकार छोटे शिल्पकार में भी यह होती है, राजा महाराजाओं को अरण देने की जिनमें शक्ति है एस लक्ष्मीपुत्रोंमें वह जैसी होती है उसी प्रकार यारी खुरपा ले कर घास खोदनेवाले और प्रति सप्ताह अपनी आमदनी म्युनिसिपल बैंक में जमा करनेवाले मजदूरोंमें भी स्वभावत होती है।

उपरोक्त लेखानुसार अब भी मोशियालिज्म के कुछ लोग दरिद्रता और असतोष पर ही अधिक जोर देकर लोगों के सामने अपने सिद्धातों को लाने का प्रयत्न ऊरते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार अपने सिद्धातों के प्रचार होने में बहुत देर न लगेगी। परतु ससार में सुधार का कार्य होने से दरिद्रता अथवा दरिद्रता से होनेवाली यातना, कुछ न कुछ धीरे धीरे कम करने के साधन अस्तित्व में आने लगे हैं, यह बात उनक ध्यान में नहीं आती और इस कारण सोशियालिस्ट लोगों का यह व्यावहारिक पक्ष बहुत निर्वल हो जाता है। इतना होने पर भी वादविवाद के समय लोगों की बढ़ती हुई दरिद्रता का राग अलापते वे कमी नहीं करते। “तुम दरिद्रता में कैसे पड़े हो और कुछ लोग धन के ढेर पर पड़े हुए आनंद मना रहे हैं, यह देखो।” ये बाते ते मजदूरों से बार बार कहते हैं और इस प्रकार वे मजदूरों के मन में असतोष उत्पन्न करते हैं। अपने अनुयायियों के धर्ताव के लिये जो नियम उन्होंने बता दिए हैं उनमें मितिव्यय—किफायतसारी—से चलने का नियम बिलकुल भुड़ा सादिया गया है। मितिव्ययिता से चलने पर जो धन वे सचा

कर रखेंगे वह सफट के समय काम आवेगा और ऐसा होने से दिनदिना से स्तपन्न हुए असतोष का उन्हें बिलकुल ध्यान न रहेगा। इस कारण डर एक शहर के म्युनिसिपिल सेविंग बैंक में, बहुत से मजदूर लोग अपनी बचत का रुपया जाफर जमा कर आते हैं। परंतु यह बात सोशियालिस्ट लोगों को पसंद नहीं है, और यदि किसी मजदूर ने अपने बचाए हुए धन से अपने रहने के लिये अपना निज का घर बना लिया तो फिर यह बात उन्हें बिलकुल ही अच्छी नहीं लगती। मनुष्य स्वभाव प्राय समान होता है और इसी सहज स्वभाव के कारण—फिर चाह वह सोशियालिस्ट मत का अनुयायी ही क्यों न हो, उसके मन में यह बात सहज ही स्तपन्न होती है कि अपने रहने के लिये अपना निजी मकान होना चाहिए और किराया देने का कष्ट सदा के लिये दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर छोटे छोटे घर बनाने की ओर मजदूरों का ध्यान जर्मनी में बहुत कुछ आकर्षित हुआ है। बहुत से मजदूरों ने अपने लिये मकान बनवा भी दिए हैं। इन मकानों से उन्हें लाभ भी हो रहा है। परंतु सप्रह करना, फिर चाह वह मकान के रूप में हो, चाहे वैंक म जमा किए हुए धन के रूप में हो, यह बात सोशियालिज्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इस प्रकार का सप्रह करनेवाले सोशियालिस्ट पक्ष के लोग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक विशेष आश्र्य की घात यह है कि निज की सपत्ति के विरुद्ध सोशियालिस्ट लोगों की जो चढ़ाई हो रही है, उसका व्यय 'करने के लिये घर के लोग अर्थात्

स्वतं की संपत्ति पैदा करनेवाले मजदूर लोग चदा देते ही हैं। वे लोग यह कहते हैं कि “भावी राज्य (Future State) जब होना होगा तब होगा, उस समय तक तो घर बगैरह बनाकर रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। नियमानुसार चदा देने में ही हमारो कर्तव्य पूरा हो जाता है। मजदूरों के व्यवहार की ओर ध्यान देने से सोशियालिस्ट की नौका किस ओर जा रही है, यह बात सहज ही ध्यान में आ जाती है।

सोशियालिस्ट लोगों को इस समय जो प्रश्न लगा है, उसका एक और प्रबल कारण है। पार्लियामेंट में सोशियालिस्ट लोग जो आदोलन मचा रहे हैं उसको जितना यश प्राप्त होना चाहिए उतना विलकुल नहीं हुआ है। अपनी स्थिति सुधार कर धनवान लोगों के पजे से मजदूरों को छुड़ाने का प्रयत्न करना हो तो अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, यह बात आज से माठ वर्ष पहले ही उनके मुख्य नेता कार्ल मार्क्स ने कही थी। सोशल डेमोक्रैट पक्ष मनुष्यगणना के विचार से जितना प्रबल है उतना प्रबल और कोई भी राजनैतिक पक्ष नहीं है। परन्तु आपस में ही एकमते न होने के कारण उनकी शक्ति नुमायशी हो गई है। व्यावहारिक दृष्टि से इसके द्वारा कोई लाभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि इन लोगों के काम करने की शैली की नीव दृढ़ नहीं है। पार्लियामेंट में कोई भी प्रश्न उपस्थित होने पर सिवाय टीका टिप्पणी करने अथवा उसमें विनाश उपस्थित करने के और कोई दूसरा काम ही इन्हें नहीं है। इस प्रकार कार्य करने से क्या उनका राजकीय महत्व बढ़ सकता है ? महत्व बढ़ाने के लिये

कोई न कोई लोकोपयोगी कार्य किया जाना चाहिए । केवल कुत्सित टीका करना अथवा घलती गाड़ी की राह में रोड़ा अटकाने से कभी यह महत्व बढ़ नहीं सकता ? सोशियालिस्ट लोग अभी तक यही निश्चय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें चाहिए क्या ? यह बात न तो उन्हें पहले मालूम थी और न अब मालूम है । यदि इन लोगों से प्रश्न किया जाय कि “देश का कार्य तुम्हारे मतानुसार किस प्रकार चलाया जाय ?” तो इसका उत्तर देने में ये लोग टालमटोल करते हैं । “राष्ट्रग में यदि तुम लोगों का मत अधिक हो जाय तो तुम करना क्या चाहते हो ?” ? यह प्रश्न अभी हाल में ही एक भेवर ने पूछा या । इसका उत्तर हर बेवल ने यह दिया था—“हम लोगों का मताधिक्य होने से हम अपनी कल्पना के अनुसार राज काज चलावेंगे और विदेशियों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार होगा कि सचार में खारों ओर शाति ही शाति विराजमान हो जायगी । हम स्वत शाति रहकर दूसरों को अपना उदाहरण बता कर उन्हें शाति के मार्ग में लगा देने से हम मनुष्य जाति का कल्याण कर सकेंगे ।” ये विचार अवश्य उदारता लिए हुए हैं परंतु इन विचारों के अनुसार काम के में किया जा सकता है, इसका उत्तर नहीं मिलता । सोशियालिस्ट पक्ष के प्रसिद्ध लेखक हर पारबस ने अपने पक्ष की वर्तमान स्थिति का चर्णन केवल एक वाक्य में इस प्रकार किया है—“स्वत के कार्यक्रम में असंघर्ष होनेवाले भिन्न भिन्न मतों का सचय हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया है ।” सोशियालिस्ट लोगों में भी बहुत कुछ मतभेद है ।

नाना मत और नाना पथों से वह भी जाली नहीं है । इतना ही नहीं, एक मत दूसरे मत का घातक है । परतु जिन छोगों के पास धन है, उनके साथ द्वेषभाव रखने में किसी का मत-भेद नहीं है । जिस प्रकार माला की मणि एक सूत्र में एक दूसरे से सलझ रहती है उसी प्रकार इस पक्ष के लोग इम एक बात में आपस में संलग्न रहते हैं । बाकी बातों में एक का मुँह यदि पूर्व की ओर हुआ तो दूसरे का पश्चिम की ओर रहता है । उदाहरण के लिये अनियत्रित व्यापार पद्धति को ही ले लीजिए । इस पक्ष के लोगों का यह चिन्हात है कि नियत्रित व्यापार न होकर वाणिज्य के लिये मुक्त द्वारा होना चाहिए परतु वहाँ से लोग इनमें ऐसे भी पाए जाते हैं जो सरक्षित व्यापार के पक्ष पाती हैं । इसी प्रकार कृषि की उपेक्षा करके व्यवसाय वाणिज्य को उत्तेजना देना, इन लोगों का मुख्य चिन्हांत है परतु कृषि की रक्षा पहले होनी चाहिए फिर चाहे व्यवसाय वाणिज्य का नाश भी हो जाय तो भी कुछ दानि नहीं है, इस मत का प्रतिपादन करनेवाले लेखक भी इस समुदाय में पाए जाते हैं । उपनिवेश न चाहिए, हमें यह बात इस पक्ष के लोग स्पष्ट कहते हैं परतु इस पक्ष के लोगों की कामेस में कभी यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ कि हमें उपनिवेशों की आवश्यकता नहीं है । सरकार को अपने पास से धन खर्च करके सेना रखने की ज़रूरत नहीं है, यह बात कड़ने पर भी कागज पत्रों का अलावा स्पष्ट रूप से इस प्रश्न को सम्पूर्ण लाने का साहस कोई नहीं करता ।

जिस पक्ष के लोगों के विचारों में इतना अतर है उस

पक्ष के लोगों के द्वारा राज्य अथवा समाज की अच्छी स्थिति को धक्का पहुँचने का काई ढर नहीं है। गुणदोष विवेचना के काम में जर्मन लोग पहले से ही प्रसिद्ध हैं। उनका यह गुण यदि अत समय तक बना रहा तो सोशियालिज्म की दाल जर्मनी में बहुत दिनों तक न गल सकेगी। जर्मन सोशियालिज्म का प्रधान लक्षण “विध्वस” है। जर्मन समाज को विध्वस करने का काम इस पक्ष के लोगों ने अपने हाथ म लिया है। परतु सौभाग्य की बात यह है कि जर्मन समाज का विध्वस होने के बदल इस पक्ष का विध्वस अथवा कम से कम उसके मूल भवरूप में उल्ट पुल्ट होने का समय आ गया है। अपनी भाँबों क सामने एक ध्यय रख कर उसे साध्य करने के काम में एरुचित्त हो कर सहायता करनेवाले लोग जिस पक्ष में हैं, उस पक्ष क प्रतिकूल राज-छीय स्थिति होने पर भी जर्मनी में बहुत बड़े कार्य होने चाहिए थे, परतु सोशल डेमोक्रैट लोगों का पक्ष यदि कमजोर हुआ तो यहाँ पर मजदूर वर्ग तक ही इनका कार्य क्षम्भ सीमा-नद्दी नहीं है, सारे ससार को आलिंगन करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। जिस सापत्तिक नीव पर समाज खड़ा हुआ है, उस नीव को दृढ़ बनाए रखने का प्रयत्न त्याग कर शायद, कला, तत्त्वज्ञान और धर्म सुवधी सुधारों का प्रयत्न करने की ओर इन लोगों का ध्यान अधिक है। इसका परिणाम यह होता है कि जैसे पहला पाठ याद होने के पहले ही पुस्तक के सारे पृष्ठ उल्ट जाने से पहला पाठ याद नहीं होता और पढ़नेवाला कोरा का कोरा बना रहता है, वस यही

दशा उनकी होती है, और इसी कारण आपस में घर के घर डी में मतभेद ही हो जाता है। इस पक्ष के लोगों 'पैंतीस' लाख मनुष्य आज अनेक वर्षों से हवा में गठरी बौधने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वह विलक्षण और शोकप्रद है। जर्मन राजनैतिक क्षेत्र का यह अपूर्व हृशय अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता।

सोशियालिस्ट पक्ष के पुराने नेताओं के दुराप्रह से समाज का दित उस पक्ष के लोगों द्वारा आज तक न हो सका। परन्तु यह दुराप्रह वर्तमान समय के तरुण लोग वैसा ही बनाए रखेंगे, इस बात का निश्चय नहीं होता। हर बान बालमर के समान लोग अब यह प्रतिपादन करने लगे हैं कि भविष्यत् में अपने पक्ष के लोगों के हाथ से कोई महत्त्वपूर्ण कार्य संपादन हो अतएव अब नवीन कार्य-क्रम निश्चित किया जाना चाहिए। सोशियालिस्ट पक्ष के समाचार पत्र भी बालमर के मत का प्रतिपादन करने लगे हैं। विकास पक्ष के अनुयायियों के अनुकूल यदि कोई नया मार्ग सोशियालिस्ट लोगों ने हृदय निकाला तो दोनों पक्षों की एकता होने से यश मिलने में सहेह नहीं है, इस प्रकार के विचारों से भरे हुए लेख सोशियालिस्ट पक्ष के समाचारपत्रों में छपने लगे हैं। सोशियालिस्ट दल के नेता हर ह्यूने राइटर्स में भाषण करते हुए, अभी हाल में कहा था—“जर्मन नागरिकों में जो संघ उन्नतिवादी हैं, यदि उनके साथ मिल कर इस लोग कार्य करने लगेंगे तो लोककल्याण के कुछ न कुछ कार्य हमारे द्वारा अवश्य होंगे। सुधार का विरोध करनेवाले

लोग जिस तरह एकचित्त हो कर काम करते हैं उसी प्रकार ह्यान और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये जो लोग अलग अलग प्रयत्न करते हैं उन्हें मिल कर एक चित्त हो कर काम करना चाहिए ।” सोशियालिस्ट लोगों की मनोवृत्ति में इस प्रकार का पलटा खाने का परिणाम यह हुआ है कि राइटर्स में इस पक्ष के सभासदों का अब तक किसी पक्ष के सभासदों में मत नहीं मिलता था, परतु अब रेडिकल अथवा नेशनल लियरल टल के सभासदों के साथ इनका मत मिल जाने के कारण इनके द्वारा समाज सुधार का थोड़ा बहुत कार्य भी होने लगेगा । दक्षिण जर्मनी के लोग ददारमतवादी हैं, इसी कारण शायद वहाँ के साशियालिस्ट भी अधिक दठवादी नहीं हैं, और इसी कारण अन्य राजनीतिक पक्ष के लोगों के साथ मिल कर काम करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है । पार्लियामेंट में बजट पर वाद-विवाद आरभ होने से सोशियालिस्टों को मत देने की आवश्यकता नहीं है, यह उन लोगों का मत है । इसका कारण यह बतलाया जाता है कि यदि व बजट सदृशी वातों पर अपना मत प्रकट कर दें तो मानों नससे यह बात पाई जायगी कि उन्होंने घर्त्तमान राज्य पद्धति को स्वीकार कर लिया है । परतु इतना होने पर भी दक्षिण की बेवरिया, बुटेंबुर्ग और बेडन रियासतों को साशियालिस्ट सभासद अपने अपने प्रात की पार्लियामेंटों में इस विषय पर चिना किसी सकोच के अपना मत प्रदर्शित करते हैं, और ऐसा करने से हम अपने पक्ष के नियमों का उल्घन करते हैं, यह विचार भी उनके मन में नहीं आता । परतु उत्तरी

रियासतों के सोशियालिस्टों का कार्यक्रम इससे विलकुल चलता है। उनके मतानुसार बजट एक अपवित्र वस्तु है, उसके द्वारे से भी पाप लगता है अतएव उसका स्वर्ण अपने को न होने देना चाहिए। बजट उपस्थित होने पर मत देने का समय भाष्टे ही वे लोग उठ कर चले जाते हैं। बजट पर मत देना प्रचलित राज्य-पद्धति को स्वीकार कर लेना है, यदि यही बात है तो राज्य पद्धति द्वारा निश्चित किए हुए निर्वाचन सबधी नियमों का वे क्यों पालन करते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार निर्वाचित हो कर पार्लियामट में आ कर क्यों बैठते हैं ? यह उनकी बाल लीला ऊबल हठ के कारण होती है। निश्चित किए हुए कार्यक्रम में स्थिति पर ध्यान रख कर उसमें फेर फार करने को वे लोग कभी तैयार नहीं होते। अघ परपरा के उसी कार्य क्रम को बनाए रखने का बहुत बड़ा दुर्गुण सोशियालिस्ट लोगों में पाया जाता है।

सोशियालिस्ट लोगों के कार्यक्रम में प्रजातन्त्र राज्य, एक विशेष महत्व की बात है। उत्तर जर्मनी के सोशियालिस्ट राजसत्ता को मानने के लिये तैयार नहीं है। परतु दक्षिण जर्मनी के सोशियालिस्ट लोग राजा का बहुत मान करते हैं और राजघराने के लोगों को विशेष आदर भी बुद्धि संदेखत तथा उनके साथ आदर का व्यवहार करते हैं। राजा को मुन्ह उत्पन्न होने की खुशी में आनंद प्रदर्शित करने के लिये झेडल, चुट्टेवर्ग और बवेरिया रियासतों के सोशियालिस्ट नता राजमहलों में जाते हैं। वहां मजदूरों के घरों में साशियालिस्ट नेताओं के साथ साथ राजा रानी की तस्वीरें भी दीवारों

पर लटकती हुई पाई जाती है। इन बातों से यह पाया जाता है कि दक्षिण जर्मनी के सोशियालिस्ट अन्य लोगों के साथ मिल जुल कर चलते हैं और अन्य राजनैतिक पक्ष के लोगों से अपने विचारों को मिला कर चलने का प्रयत्न ऊरते हैं। इतना होने पर भी उनके नामों को सोशियालिस्ट लोगों के रानिस्टर में अप्रतक किसी ने रागिज करने का साहम नहीं किया और उनको जाति के बाहर कर देने का विचार भी अब तक किसी न प्रकट नहीं किया है। यदि सोशियालिस्ट हठप्राद को त्याग कर समाजसुधार के काम को एकचित्त होकर करेंगे तो व्यवहार-शून्यता का जो दोष उनपर लगाया जाता है वह दूर होकर उनके द्वारा समाजहित का कुछ न कुछ कार्य अवश्य होगा। परतु वर्तमान समय की इनकी पद्धनि ने जर्मन सभ्राद कैसर को भी इस पक्ष का द्वेषी बना दिया है, वे इन लोगों को अपनी परछाई में भी रड़ा रहने दना नहीं चाहत। सोशियालिस्ट लोगों का मूलोच्छेदन करने की बुद्धि ने उनके हृदय में धर कर लिया है। उन्हें जिस तरह पर हो सका दुख पहुँचाया है परतु इतना दुख उठाने पर भी उनकी आँखें अभी आसमान पर हो हैं। सोशियालिस्ट लोगों के सिद्धातों में गलतियाँ हैं, राजसत्ता वे नहीं चाहत, इतना होने पर भी नागरिकों के अनेक गुण उनमें पाए जाते हैं। अतएव उन गुणों का जितना उपयोग किया जा सकता है उतना उपयोग करने का यदि कैसर ने विचार किया तो दूध में शक्ति डालने के समान काम होगा।

सोशियालिस्ट लोगों में अब कुछ सौन्यता के चिह्न दिखाई

तेईसवाँ अध्याय ।

पोलिशा लोगों का प्रश्न ।

फूलैंड का कुछ भाग जर्मनी के प्रशिया प्रात के अव र्गत है। वहाँ की वर्तमान राज्यव्यवस्था, वहाँ के पोलिश लोगों को पसद नीर्दी है। अतएव उसमें फेरफार छरने का आदोलन होने के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे हैं। इस कारण पोलिश प्रश्न को—कम से कम प्रशिया प्रात की दृष्टि से—विशेष महत्व प्राप्त हो गया है।

पुराने पोलैंड का जो भाग प्रशिया के अभिकारनमें है, उसकी सापत्तिक स्थिति बहुत अच्छी है। वहाँ के लोग बुद्धिमान हैं, इस कारण उनमें राष्ट्रीय भावना बहुत प्रज्ञलित है। पोलैंड का जो भाग आस्ट्रिया के पास है, उस गलीशिया कहते हैं। उस प्रात के लोगों को स्वराज्य का अनुभव बहुत दिनों तक मिलते रहने से वहाँ के पोलिश लोगों की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति सतोषजनक है। परंतु सापत्तिक अवस्था और लोगों की बुद्धिमत्ता के विचार से प्रशियन पोलिश प्रात आस्ट्रियन पोलिश प्रात की अपेक्षा अच्छा है। रूसी पोलैंड तो इन दोनों बातों में आस्ट्रियन पोलैंड से भी पीछे है। पौलैंडवासी प्रशिया की राजसत्ता क्यों नहीं चाहते इसके भी अनेक कारण हैं। परंतु जातिभेद और धर्मभेद सुख्य कारण है।

पोस्टेन और वेस्ट प्रशिया में पोलिश लोगों की आवादी अधिक होने के कारण प्रशिया के इन दोनों प्रातों को ही "पोलिश" नाम दे सकते हैं, तथापि ईस्ट प्रशिया और सायबीशिया प्रांत के कुछ भागों में बिल्कुल पोलिश ही आवाद है। इस भाग में अब पोलिश आदोलन इतना प्रबल है कि राइटाग और डाएट में जो अभी नया निर्वाचन हुआ है, उसमें पोलिश पक्ष के प्रतिनिधि, उस प्रात से निर्वाचित हो कर आगए हैं। इन चारों प्रातों में पोलिश जाति और पोलिश भाषा बोलनेवाले पक्षीय लाख मनुष्य हैं। इसके अलावा सारी जमना में, खामकर वेस्टफालिया, ह्राइन, साक्सेन और स्वयं बर्लिन नगर में और उसके आस पास के भागों में, ये लोग फैले हुए हैं, और इनकी सख्त्या, इन जगहों में पाच लाख से कम नहीं है। इन लोगों से अब प्रशियन राज्य को भय उत्पन्न होगया है। परंतु सज्जा भय इन लोगों से नहीं है, ऊपर जिन दो प्रातों का लहेय हुआ है, वहाँ के निवासियों से है।

सन् १८५६ में रूस और आस्ट्रिया में और सन् १८६३ में अफेडे रूस ही में पोलिश लोगों ने विद्रोह मचाया था। उस समय इसका प्रभाव प्रशिया पर भी पड़ा था। प्रशिया के कुछ सैनिकों और पोलिश विद्रोहियों ने बीच कुछ झगड़ा हो गया था परंतु विद्रोहियों की तैयारी अच्छी न होने के कारण दोनों अवसरों पर प्रशिया में पोलिश विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित न हो सकी। सन् १८६३ के पश्चात् प्रशिया और स्वयं की पोलिश प्रजा में राजसत्ता संघर्षी जो असतोष उत्पन्न हुआ है वह भीतर ही भीतर सुड़ा रहा है।

पोलिश प्रात का जो आधिभौतिक सुधार हुआ है, उसका सारा श्रेय प्रशिया को ही देना चाहिए। यह प्रात सन् १७७२ से प्रशिया में शामिल किया गया। उस समय इस प्रात की दशा बहुत हीन थी। यह धात पोलिश लेखक भी स्वीकार करते हैं। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द्वी प्रेट ने अपने राजत्वकाल (सन् १७४०-१७८६) में ही इस प्रात की दशा सुधारने का कार्य आरम्भ कर दिया था। फ्रेडरिक द्वी प्रेट ने सन् १७३२ से सन् १७८६ तक अर्धांत् अपने राजत्वकाल के अतिम १४ वर्षों में पोलिश प्रात की दशा बहुत कुछ सुधारदी थी और इसका प्रमाण यह है कि इन १४ वर्षों में वहाँ की आवादी ५० फी घटी बढ़ गई। इनके पश्चात् जो राजा प्रशिया की गदी पर बैठे उन्होंने भी इस प्रात की उन्नति की और घराघर उमका ध्यान रखा। सन् १८०६ से सन् १८१३ तक नेपोलियन ने प्रशिया में खूब ऊधम मचाया और पोलिश प्रात भी उससे ले लिया। इन दिनों में पुनः उमकी कुछ दुर्दशा हुई, परंतु नेपोलियन के परास्त होते ही युरोप में सर्वत्र शाति का राज्य हो गया और जो प्रात प्रशिया के हाथ से निकल गए थे, वे पुनः उसके हाथ में आ गए और उन प्रातों के सुधार और उन्नति सवधी कार्य पुन आरम्भ हो गए।

पहले जर्मन सन्नाद् प्रथम विलियम के राजत्वकाल में (सन् १८६१ से १८८८) सन् १८६३ से पोलिश प्रात की आपत्तिक उन्नति बहुत शीघ्रता से होने लगी। गत चालीस पचास वर्षों में प्रशियन पोलिश लोगों की आपत्तिक उन्नति नो तुनी हो गई है। पहले समय में पोलिश सरदार अपना

घन पेश आराम में स्वर्च करते थे, परतु अब यह दशा नहीं रही। अब उनका घन पोलिश बैंकों में आने लगा है। कुपि की प्राचीन पद्धति भी अब बदल गई है और उसका स्थान नई शास्त्रीय पद्धति ने प्रहण कर लिया है। पुराने हळ बैंकों क बजाय नए औजार काम में लाए जाते हैं। छोटे छोटे किसानों की दशा बहुत कुछ सुधर गई है। बड़े बड़े खेतों में मजूर की शक्ति बनने और शराब के कारखाने खुल जाने से खेत के मालिकों को अच्छी आमदनी होने लगी है। खानों में जो अपार सप्ति भरी पड़ी थी, उस ओर हिसी का ध्यान ही न था, परतु आज कल शास्त्रीय पद्धति से खनिज सप्ति बाहर आने लगी है। सायलीशिया प्रात के ऊपरी भाग में लोहे और कोयले का व्यापार बहुत बढ़ गया है। पश्चिम प्रशिया की नमक और लोहे की खानों से बहुत अच्छा लाम हो रहा है। खेतों में भी हर प्रकार का अनाज अब पैदा होने लगा है। घोड़े तथा अन्य पशुओं की भी अच्छी उत्पत्ति हो रही है। कुपि प्रदर्शनिया भी अब नियमानुसार जगह जगह पर होने लगी हैं।

सब से अधिक उन्नति का कार्य जो पोलिश प्रातों में हुआ वह मध्यम श्रेणी के लोगों की उन्नति है। पोर्ट्ड राष्ट्र की अधोगति का मुख्य कारण यह था कि मध्यम स्थिति के बुद्धिमान् और चतुर लोगों की सख्त्या वहा बहुत कम थी। पचीस तीस वर्ष पहले पोलिश शहरों में मध्यम स्थिति के कोग अधिकतर जर्मन अधवा यहूदी पाण जाते थे। आज इन लोगों को पीछे हटा कर तक्षण और सुशिक्षित पोलिश आगे

निकछ गए हैं । अब पोस्ट व्यापारी, अद्वितीये, दूकानदार, यत्रकार, शिल्पकार, वैद्य, वकील और इजीनियर आदि मध्यम स्थिति के लोग बहुतायत से पाए जाते हैं ।

इस प्रांत की उन्नति के लिये सरकार दस वर्ष पीछे एक करोड़ मार्क्स (१ पौंड=२०४ मार्क्स) के बल पाठशालाओं, पुस्तकालयों, अजायबखानों, उच्च शिक्षा के लिये इमारतों—पोसेन और उटजिक सरीखे बड़े बड़े शहरों के लिये—के बनाने में खर्च करती है और इसमें विशेषता यह है कि, यह क्रम अमुक वर्ष तक चलाया जाय, यह भी निश्चित नहीं किया है । इस प्रांत को धन की कमी न मालूम हो अतएव उसके लिये उचित प्रबंध सरकार द्वारा कर दिए गए हैं ।

इतना होने पर भी यह प्रांत शिक्षा में उतना दी ऊचा है जितना होना चाहिए । रुसी पोलैंड शिक्षा में बहुत पीछे है । रुसी पोलैंड में प्रति सेंकड़ा बीस लोग लिखना पढ़ना जानते हैं परतु प्राशियन पोलैंड में प्रति सेंकड़ा के बल तीन मनुष्य निरक्षर हैं । किंतु विलक्षण अतर है ॥ अनिवार्य शिक्षा का प्रचार अब वहां कर दिया गया है । सन १८८० से जर्मन यूनिवर्सिटी में, शिक्षा पाने के लिये, पोलिश विद्यार्थी, पहले की अपेक्षा दस गुने अधिक आने लगे हैं । पोलिश जाति के जर्मन विद्वानों ने अपनी विद्वत्ता का प्रभाव अनेक अवसरों पर दिखाया है । उटजिक में सरकार ने एक व्यावसायिक हाई स्कूल खोलना निश्चित किया है । इस काम में सरकार आवश्यक धन लगा देने को तैयार है । इस हाई स्कूल के खुल जाने से औद्योगिक शिक्षा की प्राप्ति में बहुत कुछ आवानिया हो जायेगी ।

उपरोक्त वर्णन से हमारे पाठक यह जान गए होंगे कि पोलिश प्रातों की संपत्ति और बुद्धि बढ़ाने के काम में प्रशियन सरकार ने कितना ध्यान दिया है। इस काम में सरकार ने उदारतापूर्वक धन खर्च किया है, परतु प्रशिया के पश्चिमी भाग की संपत्ति और वहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता देखने से पाया जाता है कि पोलिश प्रातों का नवर इन दोनों बातों में बहुत नीचा है। तौभी यदि पोलिश प्रातों की भूत और वर्तमान स्थिति का मुकाबला किया जाय तो जर्मन आसमान का अतर पाया जायगा ।

राजनीतिक मामलों में, प्रशिया का पोलिश प्रजा के साथ जैसा धर्ताव रहा, उसमें उसे यश नहीं मिला। पोलिश राष्ट्रीय आकाशा को दबा देने का जैसा अटल व्यवहार रूप से ने किया वैसा प्रशिया ने नहीं किया, यह बात सच है, परतु एक बात ध्वन्य स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उत्तरी प्रशियन और पोलिश इन दोनों का एकीकारण होने के रास्ते में धर्म और जाति सबधी कुछ ऐसी कठिनाइया आकर उपस्थित हो गई है कि जिनका अनिष्ट परिणाम होकर जापस में एक दूसरे का वैमनस्य हुए यिना न रहेगा। दूसरी बात एक और है—जर्मन लोगों ने पोलिश लोगों को जर्मन पनाने के जो प्रयत्न आज तक किए वे व्यवस्थित और बुद्धिमानी के न थे। सन् १७५२ से हर एक प्रशियन राजा के राजत्वकाल में, पोलिश सबधी उहेश्य भिन्न भिन्न प्रकार का रहा है। इस विषय में, बहुत पीछे न जाकर केवल चालीस वर्ष पहले अर्धांत् पहले विलियम के राजत्वकाल से अब तक जो बातें

हुई हैं, उनका उल्लेख करने से ही बहुत कुछ पता चल जायगा।

पोलिश घराने के एक सरदार की रूपवती तरण कन्या पर राजा मोहित होगया था और उसके साथ विवाह करने की उसकी इच्छा थी। परतु वह कन्या जर्सन जाति की न होने से उसके पिता तीसरे फ़ंडारिक विलियम ने विवाह करने की सम्मति नहीं दी। इस कारण वह विवाह न हो सका। पहले विलियम के जीवन में जब यह एक सद्भुत घटना घटित हुई तभी से उसके मन में पोलिश लोगों के सबध में एक प्रकार का प्रेम उत्पन्न होगया और यह प्रेम जीवन पर्यंत बना रहा। पोलिश सरदारों के साथ उसे विशेष प्रेम था। इस कारण, इस दयालु वृद्ध राजा के रात्रिकाल में, पोलिश राजनैतिक उद्देश्य कई बर्पें तक स्नेह-भाव युक्त रहा। उसके दूरधार में, बहुत से पोलिश सरदार पाप जाते थे। पोलिश राजकाज में वह उन लोगों में से एक सरदार से सलाह मशबरा लिया करता था, जो उस वरुणी के घराने का था, जिसके साथ राजा विवाह करने को तैयार था।

परतु उन १८७५ में प्रिंस विस्मार्क के एक कार्य ने रोमन अर्जे के धर्माधिकारी मंडल को प्रशियन सरकार के विरुद्ध कर दिया। पोलिश लोग रोमन कैथोलिक संप्रदाय के हैं। उनकी धर्मसंस्था की व्यवस्था के कुछ नियम प्रशियन सरकार ने अस्वीकार किए परतु एक बात को जब उन लोगों ने न माना तब प्रिंस विस्मार्क ने पोलिश प्राय-सेट (धर्मगुरु) को पोसेन के जेल में भेज दिया। इसके साथ और भी अनेक धर्मोपदेशक जेल भेजे गए।

इसका परि णाम बड़ा भयानक निकला । उसी समय से पोल्स धर्म-मठ के प्रशिया वा कहर शत्रु हो गया । उसने अपने शिष्यों में, जर्मन लोगों के सघन में, द्वेष भाव उत्पन्न कर दिया । द्वेष का बीज एक बार लोगों के मन में उत्पन्न होजान से वह किर नहट न किया जा सका । अब उस बीज से एक बड़ा वृक्ष तैयार हो गया है । सन १८५५ में जाति द्वेष ही परस्पर वैमनस्य का कारण हुआ । परन्तु उसे धर्म द्वेष का सहारा मिल जाने से उसकी शक्ति दूनी हो गई । उसी समय से पोल्स लोग जर्मन लोगों को 'अपना शत्रु' समझने लगे हैं । यह द्वेष भाव जिस तरह अधिक बढ़ सके, उसी प्रकार का प्रयत्न पोल्स धर्म गुरु करने लगे । इसका परिणाम यह हुआ है कि नीचे दर्जे के पोल्स लोगों के मत में भी जर्मन लोगों के विषय में अव्वल नवर का द्वेष उत्पन्न हो गया है, और यह द्वेष इतना दृढ़ हो गया है कि पोल्स लोगों के समान ही जो जर्मन कैथोलिक मतानुयायी हैं, उनसे भी वे लोग द्वेष रखते हैं । इसका प्रभाव राहशटाग और प्रशियन डापट पर भी पड़ा है । अर्थात् इन दोनों समाजों में पोलिश प्रातों से जब निर्वाचित होकर समासद आए तथ उन में एक भी जर्मन कैथोलिक समासद निर्वाचित नहीं हो सका, और दोनों समाजों में "सेटर" नामक जो कैथोलिक दल है, उसका पक्ष घटूत गिर गया ।

इतना होने पर भी प्रिंस विस्मार्क ने धर्म समाजों के लिये जो व्यवस्था सोची थी वह व्यवहार में नहीं लाई जा

नष्ट हुई । इस हानि से उन्हे बहुत बड़ी शिक्षा मिली और इसी कारण वे वर्तमान समय में अपना कार्य बड़ी सावधानी के साथ कर रहे हैं । अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों को वे सदा देखा करते हैं । 'उतावलेपन अथवा बिना पूरी तैयारी किए वे कोई भी साइस का काम करने को उद्यत न होंगे और न ससार की कोरी सहानुभूति पर ही वे बैठे रहनेवाले हैं । युरोप के बलबान राष्ट्रों के आगे वे अपना प्रभु उपस्थित करेंगे या रूस में जब राज्यकाति होगी, उस अवसर से वे लाभ उठावेंगे, अथवा अस्त्रिया इंगरी के वर्तमान महाराज की मृत्यु हानि से कुछ फेरफर होगा, अथवा भिज् भिज् राष्ट्रों में घनघोर युद्ध होजर सारे राष्ट्र कमजोर हो जायेंगे, ऐसे समय की वे लोग प्रवीक्षा कर रहे हैं । एसा समय आने पर पोलैंड का सतत राज्य कैसा होना चाहिए और उसके लिये क्या कार्य किया जाना चाहिए, यह उस समय की परिस्थिति के ऊपर निर्भर है और इसी कारण वे लोग इस समय चुप चाप बैठे हैं । परंतु इस बीच में पोलिश लोगों में वीरत्व उत्तर्ज फरना, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की आकाशा प्रत्यक व्यक्ति के अत करण में जागृत करना और वर्तमान राजनैतिक आदोलन को दृढ़ता के साथ बनाए रखना ही उन लोगों का दृढ़ संकल्प है । पोलिश लोगों में जितना अधिक शिक्षा का प्रचार होगा और खाच कर प्रशिया के पोलिश में, उतना ही कार्य समय आने पर शीघ्रता से हो सकेगा, इसमें शक्ता नहीं है ।

इस प्रकार रूस, आस्त्रिया और प्रशिया में पोलिश लोगों

की जो स्वतंत्रता नष्ट हो गई है उसे बापस लाने का प्रयत्न जो हो रहा है उसका इमने यहां पर सक्षेप में वर्णन कर दिया और उनके कार्य क्रम का स्वरूप भी बता दिया । ये बातें उनके नेताओं ने केहो, लेपर्ग, वारसा, पोस्तेन और नेसन सरीखे बड़े बड़े नगरों में जो राष्ट्रीय उत्सव उन लोगों ने समय समय पर किए, उनमें स्पष्ट रूप से प्रगट कर दीं और उनकी रिपोर्ट से ही ये बातें यहां पर लिखी गई हैं अतएव इनमें भूल होना संभव नहीं है ।

पोलैंड में “सोकोल्स” नाम के बहुत से कुश्ती के अदावे हैं । उन अखाड़ों से कशरत सीखे हुए बहुत से लोग चेना में काम करने के बहुत उपयोगी साधित हुए हैं । सन्देश वहा इसी प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है । सन् १८९३ में नेपोलियन की सत्ता का धीमा अपने ऊपर से उतार ढालने का प्रयत्न प्रशिया ने आरंभ किया था, उस समय इसी प्रकार के अदावे वहा मौजूद थे और वहा सीखे हुए मनुष्यों से युद्ध के लिये चेना तैयार करने में बहुत सहायता मिली थी । बच्चमान समय में जिस प्रकार का आदोळन पोस्त लोगों ने आरंभ कर रखा है उसका वर्णन प्रशियन डाएट में करते हुए एक राजमन्त्री ने इन अखाड़ों को राजविद्रोह का अঙ्ग कहा था । इन अखाड़ों में किस प्रकार की बातें अथवा भाषण हो रहे हैं, इसके भी कई एक उदाहरण उन्होंने बतलाए थे । उन भाषणों को पढ़ कर कोई भी कह सकता है कि वे राजविद्रोह के विचारों से परिपूर्ण हैं । प्रशिया के पोलैंड प्रान्त में इन अखाड़ों की सूखा दो सौ से ले कर तीन सौ तक है

है, इसका हाल पीछे बताया जा चुका है। सरकार बरा बर यह उद्योग करती रहती है कि जैसे बन सके वैसे पोलिंग लोगों को जर्मन बना डाला जाय। इस उद्देश पूर्ति के लिये वह पोलिंश प्रातो से पोलिंश भाषा उठा देने का कढ़ाई के साथ प्रयत्न कर रही है। प्रशियन में राज सचिव का तेज प्रस्तर होने के कारण इग्लैंड के समान राहु को जो उपाय कभी करना नहीं आता उसी प्रकार के अत्याषारी उपायों की ओजना प्रशियन सरकार कर रही है। परंतु पोलिंग लाग भी अपने प्रातो में जर्मन भाषा का प्रचार न होने देने का प्रयत्न बराबर करते रहते हैं। इस काम में उन्हें अपन धर्मगुरुओं से बड़ी सहायता मिल रही है। इन लोगों का सामान्य लोगों पर बड़ा प्रभाव है। अतएव उनकी सहायता से जर्मन भाषा का कुण्ड मुक्त करने का प्रयत्न बराबर जारी है। उन लोगों का विश्वास है कि यदि पोलिंश घरों में, प्रार्थनामंदिरों में, व्याप एवं अध्यवा न्यायालयों में जर्मन भाषा का एक बार प्रवेश हुआ तो फिर पोलिंग लोगों को जर्मन बनाने का जा प्रयत्न प्रशियन सरकार कर रही है, उसे यश प्राप्त हुए बिना न रहेगा। उनका यह कथन ठीक नहीं है ऐसा कौन कह सकता है? और इस कारण जर्मन भाषा के विरुद्ध जो आदोलन वे लोग कर रहे हैं, इस के लिये उनको कौन नाम दस सकता है?

इस आदोलन में सचमुच उन्हें यश प्राप्त हो रहा है, इसमें दांडा नहीं है। जर्मन और पोलिंश दोनों भाषा जानने

बाले लोगों को सहज ही में जो धन प्राप्त हो सकता है, उसे त्याग देने के लिये वे लोग एक भय से तैयार हैं। यह बात जान कर पोल्स लोगों की स्वार्थत्याग की और इस कार्य को करनेवाले धर्मगुरुओं की प्रशंसा करनी चाहिए। पोलिश भाषा का त्याग करनेवाला देश का शब्द है, स्वजाति का शब्द है अथवा दूसरे के घर में रहनेवाला गुलाम है, ये बातें वे लोग रपष्ट कहते हैं और लोग भी उनकी इन बातों को शिरोधाय करते हैं। इसका कारण यही है कि उनका यह कथन युक्तिसंगत है। यह कल्पना लोगों के मन में जम जाने के कारण जर्मन भाषा स्वीकार करने से जो नौकरिया पोल्स लोगों का मिल जाती अथवा जो व्यवसाय वाणिज्य व कर खकरे उससे उन्हें हाथ धोना पड़ा है।

परंतु केवल पोलिश भाषा पर ही सतुष्ट न रह कर वे चारों पोलिश प्रातों (ईस्ट प्रशिया, वेस्ट प्रशिया, पोसेन और स्यालीशिया) में जहा पोल्स लोगों की आबादी है, “पोलोनाइजेशन” का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें इस प्रयत्न में यश भी प्राप्त हुआ है। पोलिश लोग सरकारी स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन बहुत ही उत्तम प्रकार से करते हैं, इस कारण जर्मन लोगों की अपेक्षा उन लोगों की आबादी शीघ्रता से बढ़ रही है और इससे ‘पोलोनाइजेशन’ के उद्योग को बहुत लाभ पहुँच रहा है। छोटे छोटे गाँवों या देहातों में ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी जर्मनों की अपेक्षा पोल्स लोगों की आबादी बढ़ी है। पोसेन, नेसन, शार्फर्ग, यार्न वर्ग इन शहरों में कुछ साल पहले जर्मन लोगों

की अधिकता थी। वह क्षम बहुत कम हो गई है। इतना ही नहीं, पोल्स लोगों की उन शहर में सुख्या धर्म गई है वह धात ध्यान में रखने योग्य है।

जर्मन लोगों के ध्यान में जो सबसे भयानक धात आरही है वह पोलिश प्रातों में जर्मन निवासियों पर “पोलोनाइजेशन” का प्रभाव है, जो धीरे धीरे उन पर पड़ रहा है। सब से सरल चराय इस प्रभाव का विवाह घटन है। जर्मन और पोल्स में विवाह उच्चधरों से ही जर्मन राष्ट्राभिमान को प्रायः प्रहण सा लग जाता है। परन्तु जहाँ इस उपचार से जर्मन लोग कावू में नहीं लाए जा सकते वहाँ उन पर और प्रवृत्त उपायों का प्रयोग किया जाता है।


पोलिश भाषा के नाश करने के प्रयत्न में जर्मनों को सफलता नहीं मिली अतएव प्रिंस विस्मार्फ ने “जर्मन कालोनाइजेशन फड़” स्थापित किया। इस फड़ में, वीस करोड़ मार्कर्स धन जमा है। इस फड़ के स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह या कि पोल्स प्रातों में जर्मन लोग उपनिवेश समझ कर, जा कर वसें और उन्हे इस फड़ से धन द्वारा सहायता पहुँचाई जाय। परन्तु इस प्रयत्न में भी उन्हे सफलता नहीं मिली। प्रशियन सरकार ने लोगों को पोल्स प्रातों में जा कर आवाद होने की बहुत उत्तेजना दी परन्तु लोग वहाँ जा कर आवाद होने को राजी नहीं हुए। इसका कारण यह है कि वहाँ जा कर आवाद होने से वे पोल्स लोगों के जाठ में बिना फौसे न रहेंगे। केवल इसी भय से वे वहाँ जा कर

मालाद नहीं होते । जर्मन सरकार ने इस फड़ का उपयोग इनके लिये एक और युक्ति निकाली है । निज के तौर पर अधिक सरकारी तौर जब उन प्रांतों में जमीन खेत अथवा बाग नीलाम होते हैं तब वे इस फड़ के घन से बरोद कर जर्मन लोगों को दिए जाते हैं, परतु यह उद्देश्य भी पोल्प लाग पूरा होने नहीं देते । नीलाम के समय जर्मनी के मुकाबले में वे मूल्य बढ़ा कर अपने देशवासियों की प्रमीन जर्मन लोगों के हाथ में जाने नहीं देते । कटावित किसी जर्मन को कुछ जमीन मिल भी गई तो उसे वहा कानो-वार करना कठिन हो जाता है । उसके साथ वे किसी सरकार का अवहार नहीं करते । उसके खतों में पोल्प मजदूर जाकर मजदूरी नहीं करते, बाजार में कोई चीज उसे नहीं मिलने देते । जानवरों और फसल को नष्ट कर देन का अन्यतम करते हैं, तात्पर्य यह कि उसे हर तरह से तग करने हैं और वह स्वतँ जमीन छोड़ कर भाग जाता है । इसी धारण कोई भी जर्मन, पोलिश प्रातों में, जमीन नीलाम देन का बहुत नहीं करता ।

बहुत से लोगों का यह विचार है कि पोलिश प्रातों में पश्चियन सरकार अत्याचार करती है । परतु उनका यह कहना ठीक नहीं मालूम होता । किन्हीं किन्हीं बातों में प्रशिग्न सरकार पोल्प के साथ कठोरता का अवहार करती है तरुन, परतु इस कठोरता को अत्याचार नहीं कह सकते । अब एक जो बाते हमने नि पक्षपात होकर गराई हैं उनसे गठकों के व्यान में यह बात अवश्य आ जायगी कि प्रशि-

यन सरकार ने, वर्तमान में जिन उपायों की योजना की है, वह केवल अपने बचाव के लिये की है। जर्मन लोगों न जब पोलिश प्रांत को अपने अधिकार में लिया या तब उनसा यह उद्देश्य था कि जर्मन भाषा, जर्मन सुधार और जर्मन धर्यों का प्रचार पोलिश लोगों में किया जाय और वहाँ जर्मन उपनिवेश स्थापित करके अल्पसंख्यक जर्मनों की शक्ति छोड़ दिया जाय, परतु पोलिश लोगों ने “पोलोनाय-जेगन” का जो क्रम आरभ किया है, यदि वह क्रम ऐसा ही बना रहेगा तो जर्मनों को अपना उद्देश्य त्याग देना पड़ेगा। वर्तमान दशा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पोलिश लोगों ने जो क्रम आरभ किया है वह बिना किसी कठिनाई के जारी रहगा। प्रशियन सरकार इसे रोकने का विचार सोचती रहती है परतु अब तक उसे इसमें सफलता के चिह्न दिखाई नहीं पड़ते। पचास वर्ष पहले पोलिश प्रांतों की जो मापन्तिक स्थिति थी, वह अब चौगुनी हो गई है। अतएव अब वहाँ के लोगों को जर्मन बनाना बहुत कठिन और करीब करीब असम्भव सा दिखाई पड़ता है। जर्मन यूनिवर्सिटियों में शिक्षा पाए हुए बुद्धिवान् पोलिश लोगों न वर्तमान समय का आदोलन अपने हाथ में ले लिया है। पोलिश जाति, पोलिश भाषा और पोलिश विचारों को नद करने के लिये वे लोग बराबर प्रयत्न करते रहते हैं, “राज्याधिकारियों के साथ शीघ्र ही दो दो हाथ होनेवाले” विचार से व अपने अनुयायियों को नैतिक शिक्षा की लिये उत्सेचित करते रहते हैं। प्रशियन सरकार के उ

भ्रम का प्रश्न आ उपस्थित हुआ है उससे अपना लिंग छुड़ाने अथवा अपना वचाव करने के लिये प्रयत्न भरना एक बहुत आवश्यक कार्य है । परतु इस प्रश्न का हल करने या इससे अपना पीछा छुड़ाने का सब से मान न्याय यह है कि पोत्स लोगों को "जर्मन" बनाने का प्रयत्न इस होना है चित्त होगा । एक पोत्स सरदार ने इस सबध में कहा— ' प्रशियन मरकार राजकाज मे अतिशय दक्ष, अतिशय व्यवस्थित और अतिशय कार्यकुशल है परतु जिन लोगों पर वह अपना प्रभुत्व चला रही है उनका अपने उस प्रम उत्पन्न करना अथवा उनके मन में अपने विषय में विश्वास उत्पन्न करना, यह कार्य उसे करना नहीं आता । ऐसे लोगों का समूल नाश करना और उनके स्थान पर उन लोगों को लाकर बसाना उसका यह सत्यानाशी कम दायर जारी है । ' इस कथन में बहुत कुछ मर्याद है और यदि पोत्स लोगों को सतुष्ट रखना है तो उनके साथ उठना का व्यवहार स्याग कर सामोपचार करने में ही शिरा का यश प्राप्त होना सम्भव है ।



मनोरंजन पुस्तकमाला ।

—○○○—

अब तक निम्नलिखित पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं ।

- (१) आदर्श जीवन—लेखक रामचंद्र शुभ ।
- (२) आ-पोद्धार—लेखक रामचंद्र वर्मा ।
- (३) गुरु गाविंशिंह—लेखक बेणीप्रसाद ।
- (४) आदर्श हिंदू १ भाग—लेखक मेहता लखाराम शर्मा ।
- (५) " " "
- (६) " " "
- (७) राणा जगद्वादुर—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (८) भीष्म पितामह—लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ।
- (९) जीवन के आनंद—लेखक गणपत जानकीराम दूष्ट बी० ए०
- (१०) भौतिक विज्ञान—ले० सपूर्णनदवी एस-सी, एड-टी०
- (११) लालचीन—लेखक वृजनदन सहाय ।
- (१२) कथीरवचनादली—संप्रदाकर्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय ।
- (१३) महादेव गोविंद रानडे—लेखक रामनारामण मिश्र बी० ए०
- (१४) बुद्धेव—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (१५) भितव्यय—लेखक रानचंद्र वर्मा ।
- (१६) सिक्षणों का सत्थान और पतन—लेखक नदकुमार देव शर्मा ।

- (१७) वीरमणि—लेखक इयामविहारी मिश्र एम० ए० और
शुक्रदेव विहारी मिश्र ची. ए ।
- (१८) नेपोलियन बोनापार्ट—लेखक राधामोहन गाङ्गुली ।
- (१९) शासनपद्धति—लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार ।
- (२०) हिंदुस्तान, पहला खण्ड—ल० दयाघट्र गोयबीच ची० ए०
- (२१) „ दूसरा खण्ड — „ „
- (२२) महर्षि सुकरात—लेखक वेणीप्रसाद ।
- (२३) ज्योतिर्विनाद—लेखक सपूर्णानन्द ची. एम सी, पन्न टी
- (२४) आत्माशिक्षण—लेखक इयामविहारी, मिश्र एम ए
और शुक्रदेवविहारी मिश्र ची. ए ।
- (२५) सुदरसार—सम्राट्टर्स हरिनारायण पुरोहित ची. ए ।
- (२६) जर्मनी का विकास, पहला भाग—लेखक सूर्यकुमार
वस्मा ।
- (२७) „ „ „ दूसरा भाग „ „
-

